खण्ड-271, अंक-6
शुक्रवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1889
(31 मार्च, 1967 ई0)

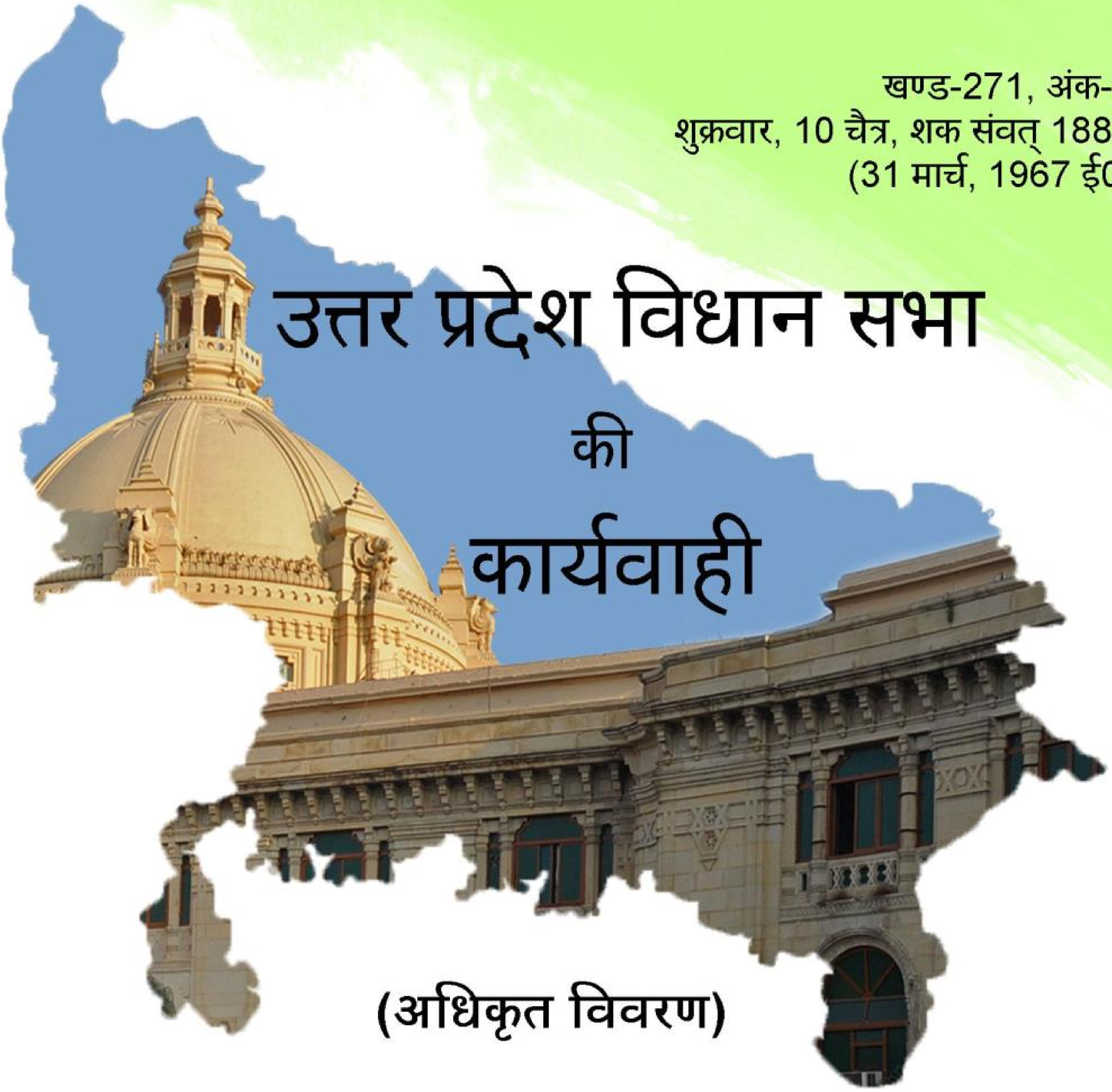

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 271 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३१ मार्च, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमद उल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम्प्रकाश, श्री
ओम्प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैया लाल, श्री (इटावा)
कन्हैया लाल, श्री (झांसी)
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री

कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगा राम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरि राज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरी सिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंग बहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बेरश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
द्रुगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवी चरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मसिंह, श्री

ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिस्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदनराम, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्त लाल, श्री (जालौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भीखा लाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगल देव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिवे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुंशी लाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरली राज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री

मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल , आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
राम प्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
रामलाल, श्री
राम श्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूप नारायन, श्री

लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाल कृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरी सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, (श्री मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हुकमसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, १९६७*

सहकारिता मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राज्य सम्पत्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम—११२२/बत्तीस—६७, दिनांक २१ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, १९६७ को उत्तर-प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

*छापी नहीं गयी।

मुख्य मंत्री द्वारा कथित गलतबयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज की कार्यसूची में क्रम संख्या ३ से संबंधित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना माननीय टम्बेश्वर प्रसाद तथा भुवनेश भूषण शर्मा ने दी है जो इस प्रकार है:

"माननीय चन्द्रभानु गुप्त एवं माननीय नवलकिशोर जी ने जो सदस्यों की सूची एवं पत्र आपकी सेवा में भेजा है एवं व्यक्तिशः मिलकर स्थिति जो आपको बताई है उससे आदरणीय सदन एवं उसके सदस्यों के अधिकार पर अवांछनीय हमला है। महोदय, माननीय श्री गुप्त ने गलत बयानी की है। सदस्यों के वक्तव्यों को तोड़ा मरोड़ा है। उनके सदन के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिये भय दिखलाया है।

अस्तु आपके माध्यम से मैं माननीय श्री गुप्त के खिलाफ आपको एवं सदन को गुमराह करने वाले आंकड़े, दलों की उनके सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में दिये जाने के लिये विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं।"

मैं माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी से, इसके पहले कि मैं इस पर कोई निर्णय दे सकूं, चाहूंगा कि वे इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। खासतौर से मैं यह चाहूंगा कि एक तो वह यह बतलायें कि किस विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी। दूसरे माननीय गुप्त ने गलतबयानी की है और सदस्यों के वक्तव्यों को तोड़ा मरोड़ा है यह अस्पष्ट है, इसे जरा स्पष्ट करके बतायें कि किस सदस्य के वक्तव्य को तोड़ा मरोड़ा है? यह भी इसमें बताया गया है कि सदन के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिये भय दिखलाया है। यह एक बड़ी सीरियस बात है। इस पर भी आप प्रकाश डालें कि किन माननीय सदस्यों को इस तरह का भय दिखाया गया है। इन तीन बातों पर पहले आप प्रकाश डालें। फिर मैं दूसरे पक्ष को सुन कर अपना निर्णय दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैंने कल ही निवेदन किया था कि जो दो सूचियां उपस्थित की माननीय गुप्त ने २२८ नामों की उनमें चूंकि व्यक्तिशः उन्होंने स्वयं नाम नहीं बताये अपनी सूची के, मैंने आपके कार्यालय से जानने का और देखने का भी प्रयत्न किया। मुझे विशेष रूप से दो सदस्यों ने जिनका नाम जब सदन उस पर विशेष रूप से कार्यवाही करेगा, तब सूचित करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि २०६ की सूची संयुक्त विधायक दल ने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। माननीय गुप्त जी ने या माननीय नवल किशोर जी ने जो २२८ की संख्या दी है वह तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। कारण यह है कि आज तक सदन में इस ओर से उस ओर या उस ओर से इस ओर जाने की परम्परा जो रही है उस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा सूचना दी जाती रही है। आज तक किसी सदस्य की ओर से यहां सदन में नहीं कहा गया कि उसने अमुक दल ज्वाइन कर लिया है। आप जानते हैं कि सदस्यों के खिलाफ प्रदर्शन हुये हैं। आज प्रदेश में एक ऐसा वातावरण है जैसे सदस्यों की कोई खरीद फरोख्त बड़े लम्बे पैमाने पर चल रही है। ऐसे समय में कल सदन की संख्या आपने ही कहा था कि भ्रमवश ११ अधिक हो रही है। मेरे पास कार्यवाही का रजिस्टर मौजूद है.....

श्री अध्यक्ष—

आप इस समय अपना भाषण सीमित रखें केवल इस हद तक कि किस विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी, कौन से सदस्यों को भय दिखाया गया और किन सदस्यों का वक्तव्य तोड़ा-मरोड़ा गया।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय गुप्त जी ने जब उन सदस्यों के नाम आपकी सेवा में नहीं भेजे हैं तो मेरा निवेदन है कि जिन सदस्यों ने संयुक्त विधायक दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है उनकी भी संख्या बताना उन सदस्यों के वक्तव्यों को तोड़ना मरोड़ना है। यह माननीय गुप्त जी और माननीय नवल किशोर जी का उनके नेकनीयती पर हमला है।

श्री अध्यक्ष—

किन की ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मैंने तो नाम आपके सामने रख दिये।

एक सदस्य—

किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिये।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

यह कोई पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। यह तो अगर माननीय गुप्त जी के अलावा कोई दूसरे माननीय सदस्य करते तो मैं उनका नाम लेता। आप कृपया इस ओर ध्यान दें कि माननीय राज्यपाल के यहां हम लोगों ने.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय राज्यपाल के यहां क्या हुआ उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि आप मुझे यह बतायें कि किन तथ्यों पर यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आधारित है। अभी दोनों पक्षों की ओर से मेरे पास पूरे नाम नहीं आये हैं। आप तो संसदीय प्रणाली के पंडित हैं, आप केवल इतना स्पष्ट कर दें, अगर आप कर सकते हैं कि किसी सम्भावना के ऊपर वह गलती हो सकती है या आपके पास कोई बिल्कुल स्पष्ट प्राइमा-फेसी ऐसी सूचना है कि अमुक सदस्य को धमकी दी गयी या उनके वक्तव्य को तोड़ा मरोड़ा गया। कौन से विशेषाधिकार की अवहेलना हो रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को आज तक इस बात में अपना स्वाधिकार रहा है कि वह अपनी स्थिति स्वयं स्पष्ट करते रहे हैं। यह सदस्यों का अधिकार है। लेकिन इस घोषणा से उनके चरित्र पर, उनकी नीयत पर हमला होता है। अगर कोई बात स्पष्ट न हो तो कदाचित मुझ पर भी हमला हो माननीय गुप्त जी का। इसीलिये हम कहते हैं कि माननीय गुप्त जी का यह कार्य ठीक नहीं हुआ है। जो बात राज्यपाल महोदय के यहां हुई वही आपके यहां हुई। मैं उन सदस्यों को प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है, जैसा कि मैं कहता हूं कि इन सदस्यों के उस वक्तव्य को जो संयुक्त विधायक दल की सदस्यता स्वीकार करते हुए उन्होंने दिया है। इस समय मैं रजिस्टर अपने साथ नहीं लाया हूं। लेकिन यदि आप कहें तो मैं थोड़ी देर में ले आऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बार फिर आपको अवसर दे रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप और सारी पृष्ठभूमि से, यह आपके अधिकार हैं, यह परम्परा रही है वह अलग प्रश्न है। इस समय केवल प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार की जो अवहेलना है वह कौन से विशेषाधिकार की है और जिसकी सम्भावना पर यह सूचना आश्रित है। मान लीजिये नाम नहीं दिये। उसके लिये मैंने दोनों

[श्री अध्यक्ष]

पक्षों से यानी माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से नाम मांगे हैं। इस पर यदि आप प्रकाश डालें तो अच्छा है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है। मैं नाम बताने के लिये तैयार हूं। वह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं केवल इतना जानता हूं जितनी मेरे पास सूचना है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मैं माननीय चन्द्रशेखर जी का नाम पेश करता हूं और दूसरा नाम माननीय अठ्ठिराम जी का है।

(श्री रामायण राय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामायण राय जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं या व्यवस्था पर जो उन्होंने भाषण दिया है उसके विरोध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैं पहले अवसर देना चाहता हूं कि अगर कोई मंत्रिमंडल में से या माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहते हों तो कहें।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, जहां तक हमारे नियमों का संबंध है हमारे नियमों ने आपको इस बात के लिये पूरा अधिकार दे रखा है कि कोई भी ऐसा प्रश्न जो विशेषाधिकार की संज्ञा से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाय, प्राग्दर्शन में प्रतीत होता हो कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है तो आप सक्षम हैं कि उसे समाप्त कर दें। इसके साथ ही साथ यह है कि जिस घटना के संबंध में यह प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है....

श्री अध्यक्ष—

तो मैं यह समझूं कि आप उसके विरोध में कह रहे हैं ?

श्री रामायण राय—

जी हां, जहां कहीं आप देखेंगे वहां यही है कि अलियेस्ट अपौरच्यूनिटी अवेल करनी चाहिये उस व्यक्ति को जो यह महसूस करता हो कि किसी विशेषाधिकार का हनन् हुआ है। इसके ऊपर हाउस काफ कामंस में काफी विवाद हुआ कि कोई समाचार प्रकाशित हुआ। कोई वक्तव्य हुआ, तो हाउस में कब नोटिस ले सकते हैं। जहां तक इस घटना का संबंध है आप की आज्ञा के निष्पादन में कुछ सूचनाएं विभिन्न दलों के नेताओं ने आपकी सेवा में प्रेषित की। उन सूचनाओं के आधार पर आपने सदन को सूचना दी, कुछ माननीय सदस्यों के आग्रह पर। इस सदन में हमारे दल के नेता का कोई वक्तव्य नहीं हुआ जिसमें आपके द्वारा सदन को सूचना दी गयी। उस समय किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार था कि किसी अंश को आपत्तिजनक समझें तो आग्रह कर सकते थे कि आप जो सूचना दे रहे हैं उसका अमुक अंश

आपत्तिजनक है। उस अवसर से लाभ नहीं उठाया गया। आज इतना समय बीतने के बाद सदन का समय नष्ट करने के लिये .....

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

"सदन का समय नष्ट करने के लिए" अनपार्लियामेंटरी है।

श्री रामायण राय—

नियमों में दिया हुआ है कि बहुत से माननीय सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न कह कर, प्वाइन्ट आफ आर्डर कह कर समय-समय पर सदन का समय नष्ट करते हैं .....

श्री अध्यक्ष—

इसके दोषी आप भी हैं। आपने प्वाइन्ट आफ आर्डर से शुरू किया और इतना लम्बा भाषण दे डाला।

श्री रामायण राय—

मैं तो आप की आज्ञा से बोल रहा हूं। जिस समय आप समझें कि मैं नियमों का हनन कर रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष—

एक बात स्पष्ट नहीं हो पायी। या तो हो सकता है कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं कि चूंकि तात्कालिक जिस समय यह बात नोटिस में आयी उस समय माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं उठाया इसलिए आपत्ति है....

श्री रामायण राय—

जी नहीं। मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर है क्या ?

श्री रामायण राय—

प्वाइंट आफ आर्डर है मेरा।

श्री अध्यक्ष—

प्वाइन्ट आफ आर्डर में तो भाषण नहीं होता।

श्री रामायण राय—

प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि प्रा्दर्शन म प्रतीत नहीं होता है कि विशेषाधिकार का प्रश्न है। इसकी अजेंसी नहीं है। इसलिए इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामायण राय ने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया उसको मैं उचित नहीं समझता। वह प्वाइन्ट आफ आर्डर का विषय नहीं है। मुझे प्राइमाफेशी अधिकार है कि मैं पूछूं भी नहीं और विशेषाधिकार के प्रश्न को अस्वीकार कर दूं। लेकिन मैं ने यह उचित समझा कि जिन्होंने यह प्रश्न उठाया उनसे पूछ लूं। उसके बाद विपक्ष में जो राय हो सकती है वह पूछ लूं। उसके बाद निश्चय लूंगा। यह मेरा निर्णय है। जो माननीय रामायण राय जी ने प्रश्न उठाया है वह निराधार है।]

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि उनके पास माननीय सदस्यों के नाम हैं लेकिन वह छिपाना चाहते हैं। किसी बात को सदन में कह कर फिर छिपाना, यह कहां तक उचित है इस पर श्रीमन्, व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष---

यह न कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है, न इस पर आपत्ति हो सकती है। इस सदन में कोई माननीय सदस्य सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं। न मैं माननीय नेता सदन से कह सकता हूं कि वह सूचना दें, न ही मैं नामों को देने के लिए बाध्य कर सकता हूं। इसी तरह से माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद या विरोधी दल के किसी नेता को मैं बाध्य नहीं कर सकता कि वह नाम दें। मेरा कोई वास्ता नामों या नामों के सूक्ष्म परीक्षण से नहीं है। मैं तो, जितनी सूचना मिल सके उसके आधार पर जो मेरे कर्त्तव्य हैं, सीटों का अलाटमेन्ट और बाहरी सुविधाएं देना, उसके लिए चाहता हूं।

*न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

श्रीमन, मेरा ऐसा खयाल है कि वैसे तो एक प्रश्न जो श्रीमन्, ने किया माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी से उसकी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। श्रीमन् ने उनसे यह पूछा कि यह ब्रीच का प्रश्न कैसे बनता है और कोई होने वाली घटना है या हुआ है या किस प्रकार से यह ब्रीच का प्रश्न है। मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वह सदन को यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि ब्रीच का प्रश्न कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ और क्यों हुआ। मैं इसमें सदन का काफी समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा से, इस ब्रीच के प्रश्न पर जो मेज पार्लियामेन्ट्री प्रक्टिस में जिस चीज का जिक्र है, उसको मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं और श्री टम्बरेश्वर प्रसाद जी से भी आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि ब्रीच के प्रश्न तो बराबर यहां पर आएंगे और वह एक विपक्षी दल के माननीय सदस्य हैं, तो मेरी उनसे इतनी प्रार्थना होगी कि ब्रीच के प्रश्नों पर यदि कुछ हम बिचार कर सदन के सामने रखें तो उससे सदन के समय की बचत होगी और हमारे सबके प्रति न्याय होगा। इसके १९६४ के १७वें एडीशन के पृष्ठ ४८ पर मैं श्रीमन् के द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें लिखा है---

"The privileges of Parliament are rights which are "absolutely necessary for the due execution of its powers."

एक सदस्य---

हिन्दी में पढ़ दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यानी पार्लियामेन्ट का प्रिविलेज वह अधिकार है कि जो पार्लियामेन्ट या सदन के कार्यों को पूरा करने के लिये नितान्त आवश्यक हो। या अगर मैं इसे और स्पष्ट करूं तो अधिकारों की पूर्ति के लिये जो पूरी तौर पर आवश्यक हो। और ब्रीच आफ प्रिविलेज के बारे में इसके पृष्ठ ४३ पर दिया है---

"When any of these rights and immunities, both of the Members, individually, and of the assembly in its collective capacity, which are known by the general name of privileges, are disregarded or attacked by any individual or authority, the offence is called a breach of privilege,..."

अर्थात् जब कभी यह अधिकार जो कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो या इस सदन को संपूर्ण रूप से प्राप्त हो, उनका जब कभी हनन होता है या जब उनके प्रति अवज्ञा प्रदर्शित की जाती है किसी व्यक्ति या अधिकार के द्वारा तो इसका नाम ब्रीच आफ प्रीविलेज है। यह बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। श्रीमन् को तो सिर्फ माननीय सदस्यों के लिये सीटिंग का प्रबन्ध करना है और उसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक दल आपको यह बता दे कि उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या कितनी है। हमारे मित्रों ने अपने अंदाज से आपको संख्या दी और हमने भी अपनी संख्या जिसको हम अपनी संख्या समझते हैं, श्रीमन् को दे दी। इसके बाद सदन का अधिकार है कि सदन में बैठने के स्थानों को श्रीमन् तय करें। इस सदन को यह अधिकार है कि श्रीमन् उनके लिये समुचित व्यवस्था करें कि कहां कहां कौन दल बैठे। इसके अतिरिक्त और तो श्रीमन् को अधिकार नहीं है। अलग अलग दल हैं, कांग्रेस दल भी उनमें एक है और विपक्ष के बहुत से दलों ने मिलकर एक संयुक्त विधायक दल का निर्माण कर लिया है, श्रीमन् ने हमसे पूछा हमने बता दिया। किसी माननीय सदस्य ने हमसे क्या कहा या क्यों कहा या किसने कहा कि वह हमारे साथ है या किसी हमारे मित्र ने कहा कि यह उनके साथ है, इसके संबंध में न तो श्रीमन् को जानकारी करने की आवश्यकता पड़ेगी और न श्रीमन् यह देखेंगे कि जो हमसे माननीय सदस्य ने कहा वह ठीक है या नहीं। जो हमने सूचना दी वह इस पर निर्भर है कि कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे साथ रहने का अपना संकल्प बतलाया कि वह हमारे साथ हैं। ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न तभी यह होता जब किसी अमुक सदस्य ने कुछ कहा होता और इधर से कहा जाता कि उसने नहीं कहा। तब तो कोई प्रश्न प्रिविलेज का बन सकता था लेकिन आज यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि एक संख्या हमने दी और एक संख्या उन्होंने दी। उस संख्या में केवल यह देखना है कि अमुक सदस्य को या किस दल को कहां बिठायें। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके अन्तर्गत किसी ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न निकट से भी छूता नहीं है और न कोई इस तरह का प्रश्न है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)---

यदि कोई सूचना माननीय अध्यक्ष मांगते हैं और उनको गलत सूचना दी जाती है तो क्या वह ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं बनता है ?

श्री अध्यक्ष---

यह आपका हाइपोथटिकल क्वैश्चन है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल---

मैं यह जानना चाहता हूं कि एक सूचना मान्यवर चाहते हैं और वह सूचना आपको गलत दी गई, तो क्या इस पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठ सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया और कुछ बातों की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया। इस तरफ से भी कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया, उनको मैंने सुन लिया। अब मैं अपना निर्णय दूंगा।

शिक्षा मंत्री (श्री नवलकिशोर)---

यह जो सवाल उठाया गया वह मान्यवर, केवल इतना सवाल है कि वह कहते हैं कि उनके साथ २०६ हैं और हम कहते हैं कि हमारे साथ २२८ आदमी हैं। यदि इस तरफ से हमारी संख्या पर आपत्ति है और वह कोई सवाल उठाते हैं तो हम भी इस बात को कहते हैं कि २०६ आदमी उनके साथ नहीं है। तब तो दोनों तरफ से ही विशेषाधिकार का सवाल उठ सकता है। मैं अब इस विवाद में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन आपसे इतनी दरख्वास्त करता हूं कि जो बातें उधर से कही गई हैं उसके अन्तर्गत कोई विशेषाधिकार का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री अनन्त राम (जिला बाराबंकी)---

मैं भी इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इस समय इस पर किसी विवाद का अवसर नहीं है। मैंने उस विषय में इधर और उधर दोनों तरफ के विचार सुन लिये। माननीय टम्बरेश्वर जी ने एक प्रश्न उठाया। उस संबंध में उनके विचार भी सुन लिये। उसके बाद अब मेरा निर्णय होगा।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो २, ३ प्रश्न उठाये हैं। क्या किसी व्यवस्था के लिये माननीय अध्यक्ष को किसी सदस्य द्वारा कोई गलत सूचना दी जा सकती है? क्या माननीय अध्यक्ष के समक्ष अपने दल की स्थिति का या किसी प्रकार की स्थिति का स्पष्ट करने के लिये कोई गलत बयानी की जाय वह जायज है और वह भी इतने विशिष्ट नेता के द्वारा? तीसरा प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम लिये गये उनको साथ लेकर निर्णय दें।

श्री अनन्तराम---

यह अत्यन्त जरूरी सवाल है। इस पर कुछ मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

सदन में बहुत से सम्मानित सदस्य हैं। सब के समान अधिकार हैं। मैंने अभी स्पष्ट कर दिया कि माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी इसलिये बोले कि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था और अगर उत्तर से संबंधित कोई बात समझ में आयी हो तो वह बता दें। अब इसमें किसी बात पर वाद-विवाद की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं इस समय अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं। आज सायंकाल से कल प्रातः काल तक मैं अपना निर्णय दूंगा। इस बीच में माननीय सदस्य अगर कोई बात बताना चाहें, तो वे कृपा करके मेरे कक्ष में आ सकते हैं।

श्री अनन्तराम---

यह कक्ष का मामला नहीं है। यहीं पर बहस का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके लिये इजाजत नहीं दे सकता। अब वह विषय समाप्त है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

मैंने श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न उठाया था . . .

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। मैं उस प्रश्न को आज देखूंगा और अगर उसमें औचित्य होगा तो उसके लिये समय दूंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (अमाप्त)†

श्री अध्यक्ष--

अब हम जो महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है उस पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसको जारी रखेंगे।

*श्री गंगाराम (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज दो दिनों से यह चर्चा माननीय राज्यपाल जी के ऐड्रेस पर हो रही है। इस बीच में कुछ ऐसी बातें हमारे विरोधी दलों के बारे में कही गयी हैं जिनके

---

†३० मार्च, १९६७ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये में समझता हूं कि चूंकि अब वह पार्ट आफ दि प्रोसीडिंग्स हो चुकी है इसलिये उनका जवाब देना आवश्यक है।

एक तो यह कहा गया कि महामान्य के संबोधन के समय हमने वाक आउट किया वह ठीक नहीं था। मैं यह समझता हूं कि कुछ कारणों से वह बिल्कुल ठीक था और वह कारण यह है कि श्री राज्यपाल ने जिस तरीके से यह सरकार बनवाई, वह तरीका ठीक नहीं था। किसी समय भी अगर उन्होंने देखा था कि कांग्रेस पार्टी अबसलूट्ट मेजारिटी में नहीं है तो वह फौरन विरोधी दल के नेता को बुलाते और उनसे कहते कि आप अपनी गवर्नमेन्ट बनाइये। लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जो मेरी समझ में ब्रिटिश कांस्टीट्यूशनल हिस्टरी में या किसी भी पार्लियामेन्टरी सिस्टम आफ गवर्नमेन्ट में कभी कभी किसी कांस्टीट्यूशनल हेड ने नहीं लिया होगा। उन्होंने विधायकों की शिनाख्त कराना शुरू कर दिया और यह पूछा कि कौन कौन मेम्बर किस किस पार्टी में हैं? मैं निहायत अदब से कहता हूं कि इस किस्म के स्टेप्स के बहुत गहरे परिणाम होंगे और हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेन्ट बनाने में मदद की उसके बहुत गहरे परिणाम होंगे और हो रहे हैं। मैं उनके प्रति बड़ा आदर रखता हूं और मेरी टेम्परामेन्टल एबिनिटीज उनके साथ हैं, मैं ने उनके कई भाषणों को सुना है और मैं उनके विचारों का बड़ा आदर करता हूं लेकिन जो पोजीशन उन्होंने कांस्टीट्यूशनल हेड की हैसियत से ली उसके जरिये से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने में इतनी मदद की कि जो कांस्टीटयूशनल हेड को नहीं करनी चाहिये थी।

श्री रामायण राय—

मैं श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या किसी माननीय सदस्य को राज्यपाल के कृत्यों के ऊपर इस तरह से अटैक करने का अधिकार है?

अनेक सदस्य—

है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इतने अध्यक्ष सदन में हैं और सभी जवाब देने लगेंगे तो कैसे काम चल सकता है। माननीय रामायण राय जी ने जो बात उठायी है वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने एक कांस्टीटयूशनल कृत्य किया है और उस पर चर्चा हो रही है जिसके फलस्वरूप सरकार संगठित हुई है और हम राज्यपाल जी के संबोधन पर वादविवाद कर रहे हैं और सरकार राज्यपाल द्वारा बनाई जाती है इसलिये उस हद तक राज्यपाल जी के कृत्य पर चर्चा होना बिल्कुल संवैधानिक है।

श्री गंगाराम—

माननीय अध्यक्ष जी, यह बातें स्पष्ट हो चुकी थीं कि कुछ ऐसे विधायक आये हैं जो कि कांग्रेस से निकाले गये थे और कांग्रेस से निकाले जाने के बाद वे कांग्रेस के मुकाबले में लड़े और वह जीत कर यहां आये निर्दलीय सदस्यों के रूप में या किसी और दल में शामिल होकर वह आये। लेकिन वह कांग्रेस से निकाले हुए सदस्य थे। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं अगर माननीय राज्यपाल ने यह सारी बातें समझ कर, और श्री कामराज आदि के वक्तव्य जो प्रेस में निकल चुके थे कि जो सदस्य कांग्रेस से निकाले जा चुके हैं वह वापस नहीं लिये जायंगे, और अगर ऐसे लोग विधायक भी चुन लिये गये हैं तो उनको मिला कर कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, राज्यपाल महोदय ने कांग्रेस सरकार यहां प्रदेश में बनने दी।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं अथवा कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? वे अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जब व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो कृपा करके उस पर जरा गहराई से विचार कर लिया करें। कांग्रेस गवर्नमेंट शासन में है और इसलिये कांग्रेस पार्टी भाषण में आलोचना के लिये यदि आती है तो उस पर इस तरह की आपत्ति करना उचित नहीं है।

श्री गंगाराम--

माननीय अध्यक्ष जी, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस तरीके से यह सारी व्यवस्था हुई, वह सब माननीय राज्यपाल महोदय को मालूम था और...

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको यह सूचित कर दूं कि आपका समय केवल दस मिनट का है और माननीय राज्यपाल का भाषण आपको कवर करना है। तो इसी हिसाब से आप अपना भाषण फैलाइये।

श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)--

मैं यह निवेदन कर दूं कि वे जनसंघ के लीडर हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी जनसंघ के लीडर की सूचना यहां नहीं रखता। आप अपना स्थान ग्रहण करें। केवल नेता को विशेष अधिकार होता है, लेकिन वह एक अलग चीज है। आप साधारण सदस्यों की पंक्ति में आते हैं। एक दो मिनट तो मैं आवश्यकतानुसार दे ही देता हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकूंगा। यह सूचना मैंने आप को दे दी है।

श्री गंगाराम--

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह प्रिजेम्शन आफ फैक्ट्स था वह माननीय राज्यपाल के सामने था कि इस तरह से विधायक आये हैं। उनके ऊपर बहुत मुमकिन है कि बहुत और कई किस्म के प्रेशर्स पड़े हों और उन प्रेशर्स की वजह से यह सब संभव हुआ हो। किन्तु जो निर्दलीय सदस्य चुन कर आये थे वे कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ, कांग्रेस की पालिसीज के खिलाफ चुन कर आये थे और यह कहना, जैसा कि सदन में कहा गया है कि वे सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनकर आये थे, गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा कर शान्ति स्थापित करें। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण शान्तिपूर्ण वातावरण में भाषण सुनें। यदि आप ही माननीय अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे तो व्यवस्था कैसे रहेगी?

श्री गंगाराम--

जो निर्दलीय विधायक आये हैं वह कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को चैलेन्ज कर के आये हैं, वह जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो को चैलेन्ज कर के नहीं आये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह क्या कार्य प्रणाली माननीय सदस्य अपना रहे हैं?

(व्यवधान)

मैं यह चाहता हूं कि जब आपका अवसर आये तो कृपया उसका उपयोग करें लेकिन अगर इस तरह से कोरस शुरू हो जायगा तो अच्छा नहीं होगा।

श्री गंगाराम—

तो जो निर्दलीय इस तरह से आये थे और जो दूसरे विधायक आये थे उनको कोई काज करने का या आइडेंटिफिकेशन का कोई स्टेज नहीं था जो कि कांस्टीट्यूशनली माननीय राज्यपाल जी ले सकते थे। तो मैं इस वजह से यह निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से विधायक मंडल ने, संयुक्त विधायक दल ने स्टेप्स लिये हैं वह ठीक स्टेप्स थे और उनके लिये कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता जैसा कि उधर से किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हमारे दल के खिलाफ कही गयी हैं, जैसे कि कहा गया कि यह दल तो हेट्रोजिनस एलीमेंट है, भानुमती का पिटारा है और इनमें आपस में कानफ्लिक्टिंग आइडियोलाजीज हैं जो कि इनको इकट्ठा बैठने नहीं देतीं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हमने एक मिनिमम प्रोग्राम बनाकर एक दल बनाया हमनें कानफ्लिक्टिंग आडियोलाजीज हैं वह हों लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है, इसी तरीके से दल दूसरी स्टेट्स में भी गवर्नमेंट चला रहे हैं--बिहार में, पंजाब में चला रहे हैं। क्या वजह है कि अगर यह सरकार इस तरह से हुकूमत चला सकती है तो अपोजीशन नहीं कर सकता? तो इस तरीके से जो कानफ्लिक्टिंग आइडियोलाजीज के लिए कहा जा रहा है, मैं समझता हूं कि मोरार जी देसाई और अशोक मेहता की जो आइडियोलाजीज हैं, जो गोविन्द सहाय जी की या जो मिनिस्ट्री के मेम्बर्स हैं उनकी कानफ्लिक्टिंग आइडियोलाजीज हैं उनके रहते हुए भी वह सरकार चला सकते हैं। तो यह समझ लेना कि यह विधायक मंडल, यह दल नहीं चला सकता, यह ठीक नहीं है। हम यहां रहकर यह कोशिश करेंगे कि इस सरकार को हटावें और अपने मिनिमम प्रोग्राम से हटावें।

कुछ ऐसी बातें मैंने अपने बयान में कही हैं कि एग्जिक्यूटिव और जुडीश्यरी सेपेरेट होनी चाहिए थी और २० वर्ष कांग्रेस सरकार को सरकार चलाते हुए हो गये लेकिन अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिये। मैं ला कमीशन की रिपोर्ट वाल्यूम २ पेज ८५३ से पढ़ूंगा—

"In Uttar Pradesh, a scheme of what is called separation has been introduced by executive orders in some districts. In certain districts, some of the officers, called judicial officers, were appointed whose duties were only the trial of criminal and revenue cases; they had no executive duties. They were not to be under the control of the Collector and the district Magistrate. They were, however, placed under the control of the Commissioner of the division through an Additional district Magistrate (Judicial).

The High Court has no control over these judicial magistrates. It will thus be clear that the system of separation which prevails in some of the districts of Uttar Pradesh is only a separation in form; the substance of separation, namely, the freeing of the judicial officers from executive control has not been achieved,"

श्री अध्यक्ष—

इसका हिन्दी में अनुवाद भी करना होगा।

श्री गंगाराम—

ला कमीशन ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में यह स्कीम—सेपेरेशन आफ जुडीश्यरी और एग्जिक्यूटिव की—कहा गया है कि चलायी गयी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वह लागू हो गयी है। उसके मुताबिक जुडीश्यल आफिसर्स अप्वाइंट हुए हैं और उनको रेवेन्यू और क्रिमिनल केसेज का ट्रायल दिया गया है, लेकिन ये जुडीश्यल मैजिस्ट्रेट्स कलेक्टर के कंट्रोल में नहीं हैं बल्कि कमिश्नर आफ दि डिवीजन, एक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जुडीश्यल) के ये, उनके कंट्रोल में हैं। हाईकोर्ट का कोई कंट्रोल इन जुडीश्यल मैजिस्ट्रेट्स पर नहीं है। यह सेपेरेशन बिल्कुल नौमिनल है और अब कुछ न कुछ नयी चीजें होनी चाहिये।

तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि कोई वजह बतलायी जाय कि ऐसा रूल आफ ला क्यों नहीं इस स्टेट में इंट्रोड्यूस होता है।

इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जब विरोधी पार्टी थी अंग्रेजों के राज्य में तो ये चाहते थे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट खत्म कर दिये जायं, लेकिन जिस समय इनकी सरकार बनी तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स को कायम रखा। इनका एक ही मुद्दा है और वह यह कि पावर हर तरह से इनके ही हैंड्स में रहे और यह उनको भी अपने फायदे के लिये यूज करना चाहते हैं। कोर्ट्स फीस कम होना चाहिये, न्याय सस्ता होना चाहिये, मगर हो उसका उल्टा रहा है। मैं पर्सनल एक्सपीरिएंस से बतला सकता हूं कि आज न्याय बहुत ही महंगा हो गया है और उसमें देर भी बहुत लगती है।

कानपुर की कम्पलीट राशनिंग के बारे में वहां के विधायक जानते हैं कि उससे वहां के रहने वालों को कितनी परेशानी है। मेरा सुझाव है कि वहां कम्पलीट राशनिंग को खत्म किया जाय और उसकी जगह पर पार्शियल राशनिंग करके फ्री मार्केट कर दिया जाय ताकि लोगों की तकलीफें दूर हो सकें।

कानपुर में मिल के मजदूरों के रहने के लिये कालोनीज की व्यवस्था की जाय, उनके रहने का प्रबन्ध किया जाय।

सेल्स टैक्स सिंगिल प्वाइन्ट होना चाहिये। आज जिस प्रकार कीमतें बढ़ रही हैं, यह सरकार उनको रोक नहीं पायेगी, उसकी पालिसी ही गलत है जिनके कारण वह रोक नहीं सकते, यह कार्य तो जिस वक्त संयुक्त विरोधी दल की सरकार आयेगी, तभी हो पायेगा।

(श्री गोविन्द सहाय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, इनको कितना समय देंगे, हमारे नेता को तो १० ही मिनट दिये गये।

श्री अध्यक्ष—

२५ मिनट, यह तय हो चुका है—मिनिस्टर को २५ मिनट, नेता विरोधी दल को ३० मिनट और अन्य माननीय सदस्यों को १० मिनट।

एक सदस्य—

नये विधायकों को बोलने के लिये प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह आप अपने दल के नेता से कहिये।

वनमंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो दो दिन से चर्चा हो रही है उसको मैंने बड़ी दिलचस्पी, आदर और आस्था के साथ सुना और इस खयाल से भी सुना कि जो बातें उसमें ठीक कही गयी हों उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिये। पिछले दो दिनों में विभिन्न सदस्यों ने जो बातें कहीं उनमें बहुत सी बातों को मैं सही मानता हूं। जो सही बात है उसको कबूल करना चाहिये। किन्तु कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आयीं बावजूद कोशिश करने के, और कुछ बातें मुझे बड़ी खतरनाक भी लगीं। यह कहा गया कि सरकार मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर पायी, यह सही बात है, यह हकीकत है, इसे मानना पड़ेगा। किन्तु यह कार्य कैसे करें, इस पर सोचना पड़ेगा।

अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े उनको फिर कांग्रेस में भरती कर लिया गया। जहां तक हमारी नैतिकता का सवाल है हमारे उसूलों का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस ने अपने उसूलों के मुताबिक ही काम किया है। हमने अपनी नैतिकता को कायम रखा है। मगर जो बात नैतिकता की हमारे लिये कही जाती है वह आप विरोधी पक्ष पर भी लागू होती है। क्या आपको यह मालूम नहीं है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस टिकट के लिये मांग की, कांग्रेस ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो वे स्वतंत्र होकर लड़े और उनको आपने अपना मेम्बर ही नहीं बल्कि सरताज तक बनाना स्वीकार किया। इससे यह तो जाहिर ही है कि अपोजीशन के लीडर हमारी ईमानदारी में यकीन करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्टैन्डर्ड हमने मेन्टेन किया है उसको आप अपने यहां भी लागू करें। तीसरी बात जो खतरनाक कही वह मुझे यह लगी कि निरन्तर दो दिन से एक बात कही जा रही है जो मैं बहुत ही खतरनाक समझता हूं कि इस सदन में खरीद-फरोख्त की जाती है। आप कहते हैं कि यह बात कह कर आप तौहीन कर रहे हैं लेजिस्लेटर्स की, सिर्फ इसलिये कि आप इनफाक नहीं करते हैं...

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि मेम्बर्स चाहे इधर के हों या उधर के हों, मैं समझता हूं कि जो लोग चुन कर आये हैं अगर उनके बाद में यह ख्याल बाहर चला जायेगा कि ये बिक सकते हैं या खरीदे जा सकते हैं तो लोगों की आस्था डेमाक्रेसी से हट जायेगी। मैं इशारा नहीं करना चाहता हूं। मैं जानते हुए भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं तो समझता हूं कि अगर ऐसी बात न कही जाय तो ही अच्छा है उससे लाभ होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

मैं तो उस बात को किसी भी सदस्य के लिये अपमानजनक समझता हूं और इसलिये मैं इस सिलसिले में कोई भी बात नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अगर कृपया अलग-अलग खड़े होकर प्रश्न कर लें तो पार्लियामेंटरी पद्धति में उसकी जगह है लेकिन सब लोग एक साथ प्रश्न की बौछार करें तो अच्छा नहीं है। माननीय गोविन्द सहाय अपना भाषण जारी करें।

श्री गोविन्द सहाय—

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समझ सोचकर फिकरात का इस्तेमाल कर रहा हूं। हो सकता है कि गलती से कोई लफ्ज निकल जाय। आसानी से तो गलत अल्फाज नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनसे आप प्रोवोक हो सकते हैं और प्रोवोक होने पर, गरमी आने पर आप भी सही बात दिमाग से नहीं निकाल पाते। मैंने एक बात सुझाव के रूप में रक्खी कि बहुत सी बातें गलत होती हैं और उनकी अनावश्यक चर्चा करते रहने से कोई लाभ नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहिली बात तो यह कही गई कि इस सरकार को जनता ने तिरस्कृत किया है यानी रिजेक्ट किया है और यह मैनिपुलेशन यानी तिकड़म के जरिये अपने को कायम किये हुए हैं। दूसरी बात यह कही गई है कि इनकी जो नीति है वह विफल हुई हैं, गलत साबित हुई हैं और इसलिये जरूरत है नीतियों में आमूल परिवर्तन करने की। तीसरी बात यह कही गई है कि यह सरकार चीजों के बढ़ते हुए दामों को रोकने में बिल्कुल असफल हुई है और असफल होने के साथ-साथ हमको यह आशा नहीं है कि इस दिशा में यह कुछ कर सकेगी। और चौथी बात यह कही गई है कि समाज में भूख है, असमानता है, भ्रष्टाचार है, बहुत सी व्याधियां हैं और यह पार्टी समाजवाद का नाम लेती है और समाजवाद का नाम खत्म होता जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आपने अपनी बातें कहीं और हमने उन्हें शान्ति से सुना तो जो सरकार का पक्ष है उसे भी आप को खुले दिल से सुनना चाहिये।

[श्री गोविन्द सहाय]

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस सरकार को जनता ने तिरस्कृत या रिजेक्ट किया है, मैं जानना चाहता हूं कि तिरस्कृत करने का पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में कौन हमारा विचार है। अगर तिरस्कृत करने का एक स्टैंडर्ड यह है कि मैजारिटी वोट कांग्रेस को नहीं मिले इसलिये यह तिरस्कृत है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको पिछले इलेक्शन में और उससे पहले इलेक्शन में भी ५० परसेंट से कम वोट मिले। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को ३६ परसेंट वोट मिला और इस इलेक्शन में ३२ परसेंट मिले हैं। पिछले इलेक्शन में रिजेक्टेड वोट्स की परसेंटेज ३ थी और इस इलेक्शन में ६.५९ रही है। जिस पैटर्न में हम और आप काम कर रहे हैं उसमें यह हो सकता है कि किसी पार्टी को ३० परसेंट वोट मिल कर भी ज्यादा सीटें मिलें। यह सही है कि कांग्रेस पार्टी पिछले के मुकाबले में इस बार कम तादाद में आई है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के सिटिंग सदस्यों में से २३० में से १०५ निकल कर आये हैं, जनसंघ के सिटिंग मेम्बर्स जिन्होंने कन्टेस्ट किया उनमें ३३ में से १० लौट कर आये हैं। ऐस० ऐस० पी० में २८ ने कंटेस्ट किया जिनमें से ८ लौट कर आये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के ८ में से ५ लौट कर आये हैं। रिपब्लिकन का मेरा ख्याल है कि एक भी लौट कर नहीं आया और पी०एस०पी० की हालत भी शायद ऐसी ही है। तो वर्डिक्ट आफ दी पीपल वह हुआ कि जो पार्टियां आज संसद में हैं उनमें कांग्रेस के सदस्य सबसे ज्यादा लौट कर आये हैं। इसलिये सबसे ज्यादा विश्वास कांग्रेस पर हुआ जनता का। आप में से किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास प्रकट नहीं किया है। एनेबेसिस फेयर होना चाहिये। वर्डिक्ट आफ दी पीपल यह है कि जो मौजूदा पार्टियां हैं उनके कार्य करने के तरीके में जनता को असन्तोष है। वर्डिक्ट आफ दी पीपुल यह है कि वे वर्तमान से बेचैन हैं और तब्दीली चाहते हैं। यही कारण है कि न सिर्फ इधर के ही प्रमुख आदमी हारे हैं बल्कि उधर के भी हारे हैं। पार्लियामेंटरी पद्धति में यह तरीका है कि मैजारिटी पार्टी को गवर्नर सरकार बनाने के लिये बुलाते हैं। कांग्रेस पार्टी का दिल व दिमाग बहुत साफ था। हम नहीं चाहते थे कि इस बार गवर्नमेंट बनाने में हम जरा भी जल्दी दिखलावें। इसमें यहीं का ही सवाल नहीं है, ऊपर से भी ऐसा ही निर्णय हुआ। अच्छा होता अगर गवर्नर महोदय को बहस में न लाया जाता लेकिन मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी का एक नियम यह भी है कि हैड आफ दी स्टेट से अगर हम डिफर भी करें तो भी उसकी नीयत पर न जावें। कांग्रेस ने इस समय गवर्नमेंट अन्डर डयूरेस सम्भाली है, ताकि पार्लियामेंटरी स्ट्रक्चर न टूटे। मैं नहीं समझता कि वर्डिक्ट आफ दी पीपुल इज अगेन्स्ट अस। यह बात जरूर है कि जनता हमारी परफार्मेंस से असन्तुष्ट थी और चाहती है कि हम अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करें।

जहां तक नीतियों का सवाल है, मुझे बड़ी खुशी होती अगर यह बतलाया जाता कि आपकी यह नीति खराब है और इसके एवज में यह नीति होनी चाहिये। हमें एक पिछड़ा हुआ कृषि प्रदेश मिला है। हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल रिफार्म इत्यादि की नीतियां होती हैं। एग्रीकल्चर में हम इस नतीजे पर आये कि पिछड़ी खेती को सुधारने के लिये जमींदारी का खत्म करना, किसान को मालिक बनाना, जमीन को इकट्ठा करके बटवारा करना, कुंवें, तालाब, खाद इत्यादि का फैलाव करना जरूरी है। अगर कोई यह कहता कि जमींदारी अबालीशन नहीं करना चाहिये तो मैं समझ सकता था। हमें अपनी नीतियों में जितनी एफीशेंसी और लगन की जरूरत थी उतनी हम नहीं कर पायें, हकीकत यह है। हमें सबक मिला है कि हमें इस तरफ सोचना चाहिये और अगर आप लोग भी इस तरफ कुछ सुझाव दें तो मैं उन को वकत करूंगा।

एक सदस्य---

असली सोने के बजाय नकली सोना चलाया जा रहा है।

श्री गोविन्द सहाय---

नकली सोने की बात एक प्रगतिशील पार्टी के माननीय सदस्य ने कही। मैं उनकी जानकारी के लिये बतला दूं कि सोना आजकल सभी प्रगतिशील देशों से खत्म होता चला जा रहा है और सब जगह पेपर करेंसी है। बहुत से देशों में तो सोना रखना जुर्म है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सीलिंग का कानून जब पास हुआ तो माननीय मंत्री जी भी मौजूद थे। सरकार ने कहा था कि २९ लाख एकड़ जमीन निकलेगी और वह जनता में बांटी जावेगी। मुश्किल से नौ या दस हजार एकड़ जमीन बांटी गई। २८ लाख एकड़ जमीन कहां गई।

श्री गोविन्द सहाय—

भूमिहीन लोगों को भूमि न देने की जो बात अभी कही गई है मैं उसे कबूल करता हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सी खामियां रही हैं और मैं उन्हें कबूल करता हूं, कबूल करना चाहिये। जो अपनी खामी को कबूल नहीं करता है वह उन्हें दूर नहीं कर सकता। उनमें से एक यह भी है कि सीलिंग ऐक्ट की स्प्रिट हम नहीं पहुंचा सके और मौका है कि उस सवाल पर गम्भीरता से सोचा जाय कि क्या इसके लिये करना लाभदायक होगा। मैंने कोई दावा नहीं किया है कि इस सरकार की सारी नीतियां सफल रही हैं, यह एक सोशलिस्ट सरकार है। जो बातें ऐसी हों जिनसे सरकार अपनी नीति बदलने में लाभ हो, वह बदलनी चाहिये और सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करने के लिये तैयार है। मकसद तो हमारा और आपका भी वही है कि प्रदेश की जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई जिद की बात हमारी तरफ से नहीं है। जो भी बातें आप ऐसी बतलावेंगे--जिनसे जनता का लाभ होगा तो हम उन पर सहानुभतिपूर्वक विचार करेंगे और जहां तक हो सकेगा उन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सी बातों पर मुझे भी उतनी ही बेचैनी है जितनी कि आपको है। लेकिन यह एक सिस्टम है जिसे कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप एकदम से बदल नहीं सकता है। तीसरी बात यह है कि यह सरकार प्राइसेज को कन्ट्रोल करने में असमर्थ रही है। इस बात में मैं बिलकुल आपसे इत्तफाक करता हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई सरकार प्राइसेज का कन्ट्रोल कर सकती है, जब तक कि वाल्यूम आफ ट्रेड तथा करेंसी पर उसका नियंत्रण न हो जाय। जिस ढंग से हम चल रहे हैं उसमें सरकार गाली खाती है दूसरों के अमल पर। न मनी पर उसका कन्ट्रोल है नमनी मारकेट पर उसका कोई कन्ट्रोल है और न प्रोडक्शन पर ही कोई कन्ट्रोल है। इसलिये इस प्राइजेज के कन्ट्रोल वाले सवाल के लिये हमें उत्पादन की प्रणाली में कुछ आमूल परिवर्तन करना होगा उसकी तकसीम की प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। हम उसे करना चाहते हैं और उसका हमें अहसास है। आपको भी इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया मुझे संबोधित करें। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जनतंत्र में कहना ही काफी नहीं होता उसमें सुनना भी होता है।

श्री गोविन्द सहाय—

मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर हमें इस बात का अहसास हो जाय कि हमें यह काम करना है तो आपको हमारा हौसला बढ़ाना चाहिये ताकि हम उस काम को कर सकें न कि आप यह कहें कि हम उस काम को कर ही नहीं सकते। इस प्रकार से आपका जो एप्रोच है वह ठीक नहीं है।

हमारा देश इस वक्त एक क्राइसेस से गुजर रहा है। हमारा देश ही नहीं, जितने भी देश दूसरी वर्ल्ड वार के बाद आजाद हुये हैं पिछड़े हुये देश हैं, उन सब की हालत डांवाडोल है, सब में बेचैनी है। वह क्राइसेस इसलिये है कि उनको नेताओं को अपना रास्ता चुनना उस व्यवस्था के अन्दर से जो उनको वरीहर के रूप में मिली है। हमें वरीहर के रूप में अंग्रेजी पैटर्न का ढांचा मिला, ब्यूरोक्रेसी मिली, एक न्याय का ढांचा मिला, एक शिक्षा का ढांचा मिला। अब इस सारे ढांचे में क्या हम एक इस समाजवादी समाज को स्थापित कर सकते हैं, यह एक चैलेंजिंग मार्क हमारे सामने है। ऐसी हालत में जो लोग समाजवाद में यकीन करते हैं उन सब को मिल कर इस बात

[श्री गोविन्द सहाय---]

को सोचना है कि आया आदमी किसी सिस्टम को बदल सकता है या कोई सिस्टम आदमी को बदल सकता है । क्या जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, हम उस सिस्टम को बदल सकते हैं ? कैसे बदला जाय, उसके टैकनिक को हमें सोचना होगा । इसके लिये मैं एक बात चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं । वक्त की जरूरत है कि हम लोगों को इस बात का विश्वास दिलायें कि यह पार्लियामेन्टरी ढांचा एक बड़ी सेंटेम नियल समाज व्यवस्था है । अगर हम ऐसा नहीं करते तो समय उसको उखाड़ फेंकेगा । अगर हम पार्लियामेंटरी सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो हमको दो काम करना है । १---लोगों का जनतंत्र में फेथ हो, २---जनतंत्र हमारे रहन-सहन का तरीका हो । अगर हमने यह काम नहीं किया तो इतिहास हमें बख्शेगा नहीं । आज जो हमारे देश की हालत है वह वही है जो हिटलर के आने के पहले जरमनी की थी । वहां पर सोशलिस्ट डेमक्रेसी की हुकूमत थी, रोज हड़तालें होती थीं, मजदूर, नवयुवक और मध्यम वर्ग के लोग नाराज थे और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर टोटेलीटेरियन ताकत आयी और तब सोशलिस्ट ताकतों को अफसोस हुआ । मुझे डर लगता है कि जिस ढंग से आज यहां हम लोग चल रहे हैं, उसमें ऐसा न हो जाय । हम गुस्से में हों, गुस्से में बात कहें, यह तो समझ में आता है । लेकिन गुस्से को छोड़ कर हमारी बात में विवेक होना ही चाहिये । मुझे इस बात का डर है कि अगर सोशलिस्ट फोर्सेज ने इस क्राइसेस में अपने दिल दिमाग को खुला रखकर इन व्यवस्थाओं को नहीं बदला और कोई कन्फ्यूजन पैदा किया तो उसका अन्जाम यहां सिर्फ फैसिज्म होगा । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे देश में कम्युनिज्म नहीं आ सकता । मैं समझता हूं कि इस देश में कैपिटलिज्म आ सकता है । पश्चिम की हर चीज आ सकती है, बुशशर्ट आ सकती है, चुस्त पेंट आ सकती है, वहां के सब जायके आ सकते हैं तो फिर इस देश में फेसिज्म, कम्युनिज्म सब कुछ आ सकता है लेकिन जो टेकटिक्स कम्युनिज्म लाने के लिये यहां की कम्युनिस्ट पार्टी को बरतने चाहिये वह न बरत कर के जिस तरह की काल दी जा रही है और जिस तरह के कोलिशन किये जा रहे हैं उसका अन्जाम उसके लिये भी खतरनाक हो सकता है । इसलिये सोशलिस्ट में विश्वास करने वाले लोग चाहे इधर हों या उधर हों, सब को मिलकर एक ऐसी आबोहवा पैदा करना चाहिये और हमारा विश्वास सोशलिज्म की मान्यताओं में और उस प्रणाली में हो और तभी यह सम्भव हो सकेगा कि हम देश से भूख, गरीबी और बेकारी को मिटा सकेंगे ।

श्री हरीश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सन् ५७ से सन् ६२ तक ट्रेजरी बेंचेज के निकट बैठने का मौका मिला था । जो मैं ने वहां से कहा था वह, तिरस्कृत होकर यहां से भी कहूंगा, उससे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा । वहां से जो कुछ मैंने चाहा था उसके विरुद्ध भी मेरे खिलाफ हाईकमान्ड को रिपोर्ट्स हुई थीं और मैं समझता हूं इसी कारण से मुझे वहां बैठने का मौका नहीं मिला । यह मेरी खुश किस्मती भी है । मैं एक चीज और कह दूं कि महात्मा गांधी की जो नीतियां हैं, जो उनका कथन है उन में मेरी आस्था है, पूर्ण विश्वास है और मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करने की कोशिश भी करता हूं । यह नहीं कि मैं सोशलिज्म तो चिल्लाऊं और उसके बजाय कैपिटलिज्म को बढ़ावा दूं । मैं अब भी सोशलिस्ट हूं और मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी के चेले कहलाने वाले व्यक्ति जो उधर बैठे हैं वह कैपिटलिस्ट हैं और उन्हीं के सहारे वे यहां बैठे हैं और कैपिटलिस्ट्स की ही मदद करने के लिये यहां बैठे हैं ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हमारे देश में स्वराज्य आया तो हमारे सामने तीन चार मुख्य प्रश्न पैदा हुये । पहला प्रश्न तो यह था कि हम गरीबी से निकल कर आये हैं और हम अपने धनदौलत को कैसे बढ़ायें । दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह था कि हम रोजगार की जो कमी है उसे कैसे बढ़ायें, बेरोजगारी को कैसे कम करें । तीसरा प्रश्न यह था कि उत्पादन कैसे बढ़ायें और उसका वितरण कैसे करें और चौथा प्रश्न यह था कि हम प्रजातंत्र की रक्षा कैसे

करें । हमारी जो कांग्रेस सरकार उस वक्त बनी उसने यह कोशिश की और इसके लिये पंचवर्षीय योजनायें बनाईं । पहली पंचवर्षीय योजना इसलिये बनी कि हम किसानों को प्रोत्साहन दें कि वे उत्पादन और कच्चे माल को बढ़ावें । दूसरी पंचवर्षीय योजना इसलिये बनी कि हम काश्तकारी के सामान को बढ़ावा देते हुये उद्योग धन्धों को बढ़ावें और तीसरी पंच वर्षीय बहु उद्देशीय योजना बनी । उनसे हर एक माननीय सदस्य वाकिफ हैं । ये तीनों पंचवर्षीय योजनायें काफी तौर तक असफल रहीं । हम उत्पादन नहीं बढ़ा सके । हम ठीक से उत्पादित वस्तुओं का डिस्ट्रिब्यूशन भी नहीं कर सके । नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में मुद्रा का बाहुल्य (इन्फलेशन औफ करैन्सी) हो गया और उसने देश में २ चीजों को बढ़ाया, एक करप्शन और दूसरा चोरबाजारी और पूंजीवाद (कैपिटलिज्म) । श्रीमन्, क्या मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रियों से यह प्रार्थना करता हूं कि क्या उस करप्शन से और पूंजीवाद से इन गरीबों का शोषण नहीं हुआ ? क्या इन गरीबों को कैपिटलिस्टों ने और करप्ट अधिकारियों ने नहीं लूटा ? क्या आपने देखा कि उनकी क्या गति हो गई ? जिसके बल पर जोड़ी महफिल, उसके लबों पर जाम न आया ।" सारा रुपया जो प्लानिंग पर खर्च किया गया वह या तो बेकार चला गया या जेबों में चला गया, लेकिन उन गरीबों के लिये, जिनके लिये यह प्लानिंग बनी थी, उनके पास एक दमड़ी भी नहीं पहुंच पायी। यह सरकार कैपिटलिस्ट सरकार बन गयी । यह सरकार कैपिटलिस्टों के सहारे पर यहां बैठी हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं, और मुझे माननीय मंत्रीगण इस बात का जवाब दें कि जिन कैपिटलिस्ट्स ने लाखों रुपया चन्दे का लिया, वह लाखों रुपया उन्होंने कहां से दिया ? क्या वह उनका इन्वैस्टमेन्ट नहीं है और अगर यह उन्होंने कर दिया है तो क्या आप उनको उसका रिटर्न नहीं दे रहे हैं ? आप देंगे और दे करके रहेंगे । इस प्रदेश की जनता ने आप पर अविश्वास करके आपको हरा दिया । अंग्रेजी में एक मिसाल है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बौटल्स लेकिन यहां ओल्डवाइन इन ओल्ड कैस्ड बौटल्स । क्या आप नहीं देख रहे हैं कि उन पूंजीवादों को एक को नहीं, २ को नहीं ४ को नहीं, ५ को नहीं और इसी प्रकार आगे भी गिनती हैं मदद करने के लिये नहीं बैठे हैं ।

मैं समझता हूं कि आपको एक ब्यूरोक्रेसी मिली है । वह आपको अंग्रेजों की देन है । २० वर्ष का अरसा हो गया है । आप उसे कन्ट्रोल नहीं कर सके । वह ब्यूरोक्रेसी कितनी कौस्टली मशीनरी है, रेड टेपिज्म उसके अन्दर भरा हुआ है, कोई काम समय पर नहीं हो सकता । २० वर्ष के समय में उसको कंट्रोल करने में आप इनकामपीटेन्ट रहे और ब्यूरोक्रेसी की जो ताकत है उसमें यह साफ तौर से जाहिर है कि आज का प्रजातंत्र अब बयूरोक्रेसी के कब्जे में है । एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ भी उल्टा या सीधा चल रहा है, जिस को आप कंट्रोल नहीं कर सके वह ब्रिटिशर्स की देन है और उसको चलाने के वास्ते आपके लीडर्स हर स्टेज पर उस में इमपेडीमेंटस डालते हैं, रुकावट डालते हैं और पक्षपात को प्रोवोकेट करते हैं । सरकारी आफिसर्स जिले में मौजूद हैं, उसके बाद एक-एक सुपर आफिसर हर जिले में आप की तरफ से तैनात है । जो अफसर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको वह काम नहीं करने देते और अगर वह उनकी मरजी के खिलाफ जरा सा कुछ काम करते हैं तो यहां से उन के ट्रान्सफर होते हैं और जो उनके हिसाब से काम करने वाले हैं उनको वहां पर रखा जाता है, वही इलेक्शन के इनचार्ज हैं, जिसको चाहें जितावें । मेरी एक मंत्री जी से बातचीत हुई, मैंने कहा महात्मा गांधी की कांग्रेस में एक विकसित व्यक्ति की जरूरत है जिसको कि सामने लाया जाय । मैंने उनसे यह भी कहा कि अमुक-अमुक व्यक्ति जो है वह गुंडा किस्म का है, जिससे मेरे पिछड़े हुये क्षेत्र में और गुंडागर्दी बढ़ जायगी । उन्होंने जवाब दिया था कि हम को गुंडों की जरूरत है कांग्रेस में । मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस में गुंडों की जरूरत है तो जो भले आदमी उधर बैठे हैं वे इधर आकर बैठें और ऐसी शक्ति बनावें जो इन गुंडों का सत्यानाश करे ।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हो गया ।

*श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं, नया सदस्य हूं और निर्दलीय हूं और मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था और फिर पुनः उसको समर्थन दिया है । हमको सैकड़ों गालियां खानी पड़ रही हैं । मैं आप से एक निवेदन कर दूं कि क्या वह निर्दलीय अच्छा है जो जनाब के साथ बैठा है और जो हम इधर बैठे हैं वे खराब हैं? राज्यपाल महोदय ने हम सब लोगों को अपने यहां पर बुलाया था और पूछा था कि आप लोग किस के साथ हैं । मैं उन की निष्पक्षता पर जरा भी संदेह नहीं करता हूं । मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम एक-एक व्यक्ति को अलग-अलग बुलाया गया था, हम से पूछा था क्या आप को कोई भय दिखाया जा रहा है, कोई लोभ या लालच दिखाया जा रहा है । मैंने कहा था कि हमें भय कोई क्या देगा, हम तो कांग्रेस से लड़ कर आये हैं, हम लोग मिनिस्टरों से लड़ कर आये हैं तो हम को क्या कोई भय देगा । सब से ज्यादा बदनामी हमारी यह कह कर की जाती है कि हमें परमिट और थैलियां दी गईं । मैं पूछना चाहता हूं कि परमिट अगर किसी तरीक़े से दिया गया है तो परमिट की मोटर किसी छत पर तो नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो मार्ग पर ही चलेगी और उस पर लिखा होगा केशव देव हरियाना इस का मालिक है । ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो मोटर हो वह मेरे कोठे पर चलती हो या मेरे घर तक चलती हो । (व्यवधान) वह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं जो मेरे ऊपर बीती है । (व्यवधान) मेरा यह निवेदन है कि मेरे मुकाबले में झोपड़ी थी, चिराग था, बरगद था.....

एक सदस्य---

बल नहीं थे ?

श्री केशव देव---

बैल भी थे ।

श्री अध्यक्ष---

अगर कोई माननीय सदस्य एक प्रश्न कभी कर लें तो ठीक है लेकिन सब लोग एक तरफ से खड़े हो जायेंगे तो फिर शान्तिपूर्ण व्यवस्था नहीं रह सकती ।

श्री केशवदेव---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे मुकाबले में बैल भी थे, बरगद भी था, चिराग भी था और झोपड़ी भी थी.....

(व्यवधान)

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् । अभी-अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर वे लोग शोर मचाते हैं तो हम भी बहुत ज्यादा खुराफात कर सकते हैं और बहुत गरम हो सकते हैं । मुझे ऐसा लगता है कि वे इस तरह की धमकी देकर हम जैसों को डराना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कुमार जी, मैं तो आशा करता था कि आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, यह तो व्यवस्था को भंग करने की बात होगी । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री केशवदेव---

तो मेरे मुकाबले में जितने भी खड़े थे उन सब की जमानतें मैंने जब्त करायीं, केवल बैल वालों की ही जमानत बच सकी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न करने का समय नहीं है । आप मेहरबानी करके ऐसी व्यवस्था की परम्परा डालें जो शोभनीय हो ।

श्री केशव देव---

मैं कह रहा था कि सिवा कांग्रेस के सब की जमानतें मैंने जब्त करायी । इसी से आप समझ लें कि इनमें जनता की आस्था कितनी है ।

एक निवेदन मैं और कर दूं कि जिस दिन मैंने निर्दलीय पार्टी को ज्वायन किया था और मैं कामन रूम में गया था . . . (व्यवधान)

जब मैं कामन रूम में पहुंचा तो एक व्यक्ति ने मेरी कांस्टीटुऐन्सी वालों को यह इत्तिला दी कि हरियाना ५-७ पार्टियों से बने हुये दल में जा रहा है तो दूसरे दिन ही मेरी कांस्टीटुऐन्सी के २० आदमी यहां पर आ गये और उन्होंने कहा कि हरियाना-हम आपको कांग्रेस के साथ रहने की इजाजत तो दे सकते हैं लेकिन ५७ पार्टियों से मिल कर जो भानुमती का कुनबा बना है उसके साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकते । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह उचित नहीं है कि माननीय सदस्य इस तरह से बारबार उचक-उचक कर खड़े हों । (व्यवधान)

यह बिलकुल अनुचित है, व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर यह दुर्व्यवस्था है । इस तरह से व्यवस्था के प्रश्न उठाने की आशा मैं नहीं करता हूं । अगर इस तरह से कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गयी तो आगे मैं इस तरह से उनको उठने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री केशव देव---

अगर मेरी बात में किसी को शक सुबहा हो तो वे आज भी मेरी कांस्टीटुऐन्सी के बीसों आदमियों से पूछ सकते हैं जो आज भी मेरे पास आये हुये हैं। उन्होंने मुझको साफ तौर पर कहा कि हम आपको अलीगढ़ नहीं जाने देंगे यदि आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया । इसमें कोई भय या लालच की बात नहीं है । वे मेरे दिल के टुकड़े हैं, जिन्होंने मेरे लिये काम किया है और मुझे यहां चुन कर भेजा है । उन्होंने कहा और समझाया कि इन लोगों का कोई ठीक नहीं है, दो आदमी कूद कर कभी इधर आ जायेंगे तो कभी दो आदमी कूद कर उधर चले जायेंगे जब कि आज एक मजबूत सरकार बनाने की जरूरत है । इसलिये आपको कांग्रेस के साथ ही रहना चाहिये । मुझे कांग्रेस की नीतियों से घृणा नहीं है । मुझ से पहले जो वक्ता बोले उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने कांग्रेस का टिकट मांगा था तब उनको कांग्रेस की नीतियों से कोई गुरेज नहीं था । मुझे उन नीतियों को ठीक से पालन न करने पर गुरेज था। चार रोज की बहस में उस तरफ से कोई सुझाव यह नहीं आया कि सरकार को यह कार्य नहीं करना है और यह कार्य करना है ।

मेरा निवेदन है कि अगर खेती की योजना, सिंचाई की योजना सफल हो जाय तो न मजदूरों की हाय-हाय रहेगी, न कर्मचारियों को शिकायत रहेगी और न विरोधियों के पास कोई बात बोलने की रह जायगी । ५३० करोड़ रुपया खेती पर खर्च करने के लिये दिये गये हैं, अच्छा होता कि इसके मिनिस्टर बूढ़े न हो कर नौजवान होते । मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

[श्री केशव देव]

पहले टयूबवेल को ले लीजिये इसका जो फाउन्डेशन होता है जिस पर मोटर रखा जाता है वह नीचे लेविल पर इस तरह से रखा जाता है कि पानी का दबाव बढ़ जाने से नित्य प्रति मोटर जल जाता है और हर एक टयूबवेल खराब होता रहता है । इससे किसानों में असंतोष बढ़ता है । फिर उस मोटर को नीचे से निकालने के लिये कारखाने तक पहुंचाने के लिये आपरेटर को एक भी पैसा नहीं मिलता है । वह किसी तरह से गांव के आदमियों के जरिये मोटर को निकलवा कर कारखाने तक ले जाता है । इसलिये मोटर को कारखाने तक ले जाने के लिये कुछ पैसे का प्राविधान होना चाहिये । इसके अलावा वारबन्दी में झंझट होते हैं उन पर निगाह रखी जाय । दूसरे आपरेटर को लाभ मिले इसके लिये उसे इनिशियेटिव दिया जाय । प्रति यूनिट पर एक पैसा अथवा एक आना फी घंटा टयूबवेल चलाने के लिये दिया जाय ताकि वह अधिक से अधिक समय तक टयूबवेल चलाये, यह नहीं कि वह शादी में चला गया, खरबूजे खाने चला गया । इसके अलावा उसको एक महीने की ट्रेनिंग दे दीजिये, ग्राम सेवकों के जो शिविर चल रहे हैं उनको बन्द कीजिये । केवल आप आपरेटर को एक महीने की ट्रेनिंग दे दीजिये ताकि अभी तक जो किसी छोटी मोटी खराबी के लिये मोटर अलीगढ़ लाया जाता है वह वहीं ठीक कर दिया जाय ।

अब मैं परिवार नियोजन की बात लेता हूं । श्रीमन, यह तय है कि या तो खेती की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी या परिवार नियोजन को अमल में लाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री भैरवदत्त धूलिया (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कई दिन से इस सदन की कार्यवाही को सुन रहा हूं और उसको सुन कर बाज समय यह खयाल आता था कि हम प्रजातंत्र के युग में हैं या पानीपत के मैदान में हैं । अभी सहाय जी ने जो भाषण दिया उससे भी मुझे कुछ यह प्रेरणा मिली, मुझे एक शायर का यह पद याद आता है कि—

सभी हमको ही कहते हैं कि नीची रख नजर अपनी,
कोई इनको नहीं कहता न निकलो यूं अयां हो कर ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद की बात है इसको भी हम एक पुराने तर्ज से लेते हैं । हमने अपनी सब बातों का अनुवाद अंग्रेजी से किया है । असल बात यह है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक अपना खाता होता है और इस विधान सभा का यह कर्तव्य होता है कि सरकार को उसके कार्यों के लिये धन्यवाद दे । अगर हम इस कसौटी पर इस बात को करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो बातें इस समय देश के लिये निहायत जरूरी हैं उनको राज्यपाल के अभिभाषण में महत्व नहीं दिया गया है । सब से पहली बात भ्रष्टाचार की है । हम लोगों को भ्रष्टाचार का निराकरण करना चाहिये । दूसरी बात मूल्य नियंत्रण की है । तीसरी बात अन्न में आत्मनिर्भरता की है । अगर हम भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं करेंगे तो हम कोई भी व्यवस्था यहां नहीं ला सकते । अभी सहाय जी ने कहा कि लोग तिरस्कृतता की बात करते हैं । उन्होंने कुछ आंकड़े दिये जिससे यह सिद्ध किया कि विरोधी दल के लोग कितने थे, कितने आये, कांग्रेस के कितने थे, कितने आये और यह तिरस्कृतता की मिसाल दोनों तरफ से है । लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस को अल्पमत मिला और अल्प प्रतिनिधित्व मिला, औरों को अधिक मिला । अगर हम इसके कारणों पर जायं तो उन्हें देखना चाहिये कि तिरस्कार जनता के द्वारा है । किसी समय जब कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी तो उसके लिये जनता में वह सम्मान था कि वह अपना खून भी देने के लिये तैयार थी । उस समय उसके नेता महात्मा गांधी थे । कांग्रेस का दूसरा रूप एक राजनैतिक पार्टी का हुआ ।

तब उसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे । आज मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस ने पार्टी के बजाय एक गैंग जैसा रूप ले लिया है और उसके नेता कामराज जी हैं । कामराज जी ने जो काम किया है उसका फल तो उन्हें मिल गया लेकिन देश को भी उसका फल भुगतना पड़ रहा है । आज कोई पूछे कि पार्टी और गैंग में क्या फर्क है तो मैं बतलाऊंगा कि पार्टी देश के लिये होती है और तब व्यक्ति पार्टी के लिये होता है और गैंग उसे कहते हैं कि पार्टी के लिये देश हो और अपने स्वार्थों के लिये पार्टी है। आज देश के अन्दर यही व्यवस्था चल रही है । प्रजातंत्र में आदान प्रदान की बात होती है । सरकार और अपोजीशन तो बाप बेटे की तरह हैं । आपसे उनको अधिकार मिलना है और उनको काम चलाना है । आप जिस चीज को नहीं कर सकेंगे उसको उन्हें करना है । जनतन्त्र की परिभाषा यह कही गई है कि "यस्मिन् राज्ये विरोधो हि, भविष्योत्तरदायकः । तदेव जनतंत्राख्यं राज्यमाहुर्मनीषिणः" । जिस राज्य में विरोध ही राज्य का उत्तराधिकारी हो वही जनतन्त्र है । अगर ऐसा नहीं है तो जनतंत्र नहीं है) हमारे यहां कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका मैं १९२१ से लेकर १९४८ तक सदस्य रहा हूं और अब मैं उससे अलग हूं। अभी तक मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है । लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस का स्वरूप बहुत विकृत हो गया है । सोशलिज्म की बात जो है उसमें माननीय गोविन्द सहाय जी का जो भाषण हुआ है उसके लिये मैं चाहता था कि वह किसी दूसरी जगह पर होता और उसमें वे सोशलिज्म की बात करते । कांग्रेस ने सब से पहले सोशलिज्म की करांची में, फिर अवाड़ी में, फिर भुवनेश्वर में और इसके बाद मुजफ्फरनगर में बहुत सी रूपरेखायें बताई ह । लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस का सोशलिज्म आज केवल भ्रष्टाचार द्वारा पैसा बांटने का सोशलिज्म है और नीचे वालों को उठाने की विधि न बताना है परन्तु जिनके पास रुपया है उनसे टैक्स द्वारा धन लेना सोशलिज्म है । किसी ने भी सोशलिज्म की परिभाषा नहीं बताई । मैं आपको बताता हूं जो व्यास जी ने परिभाषा बताई है । इसका मतलब यह है कि "यावत् ग्रीयते जठरें तावत् सत्वं हि देहिनाम् । अधिकं योऽभि मन्येत स स्तेनो दन्ड महंति । "जितना पेट में समाता है यानी जितना जो खाता है उतना ही रखना सोशलिज्म है इससे यदि ज्यादा रखता है तो वह चोर है, उसको दन्ड मिलना चाहिये । यह सोशलिज्म की परिभाषा है इस पर आप लोग देखिये कि हमारे कांग्रेस में जो मंत्री हैं उन्होंने न जाने कितना बटोरा है ।

श्रीमन्, मैं अंगद की तरह अपना पांव जमाकर कहता हूं और माननीय गुप्ता जी से कहता हूं कि हम आपकी मिनिस्ट्री चलायेंगे, आपको मदद देंगे यदि आप एक काम करें कि सात आदमियों का एक निरपेक्ष मंत्रिमंडल बनायें और १४ राज्य मंत्री रखें । उसमें ऐसे आदमी न रखें जो बहुत बदनाम हो चुके हैं । पुराने जमाने में लाल, पाल और बाल बहुत ही ऊंचे व्यक्ति थे । आपके मंत्रिमंडल के लाल, दास और हसन साहब की सारी जगहों पर चर्चा है । उनके बिना मंत्रिमंडल नहीं चल सकता है । यह दोषपूर्ण है, इसको आप ठीक करें । दूसरे हम आप के साथ हैं । बशर्ते कि आप अध्यापकों और क्लर्कों का जिनका वेतन कम है उनकी समस्या को कानून के अनुसार हल करें । आपका जो जीवन सूचकांक है उसमें जो बढोत्तरी हुई है उसके अनुसार पैसा दीजिये ।

(लाल बत्ती होने पर)मुझे थोड़ा समय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप तीन मिनट बोलिये ।

श्री भैरोवदत्त धूलिया—

जब १६० सूचकांक था उस समय का महंगाई भत्ता है और वही उन्हें दिया जा रहा है, आज ४०० के निकट पहुंच गया है । आपका कानून है कि महंगाई भत्त जीवनसूचकांक अंक के हिसाब से होना चाहिये । सेन्टर और यहां के वेतनों में विषमता है । उसे दूर करें । सेंटर से लड़कर इसकी व्यवस्था करें । तीसरी बात है भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए । आप एक आयोग बनाएं । इसे गुप्ता जी अपनी पार्टी द्वारा जिस मुसीबत में हैं

[श्री भैरवदत्त धूलिया---]

वह उससे खत्म हो जायगी। वह भ्रष्टाचार नियंत्रण आयोग बनाएं और जिन मंत्रियों को रखने में कंपिलक्ट है उनकी फाइलें आयोग को दें। वह सब क्लीन हो जायेंगे तो उनको भी सहायता मिलेगी। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं कर सकते हैं। गोविन्द सहाय जी ने मूल्यों के नियंत्रण की बात कही। यह लम्बी बात है। मैंने इस मूल्य नियंत्रण के संबंध में हर स्थान पर देख कर अध्ययन किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके दो पहलू हैं। एक तो केन्द्र के सहयोग के बिना मूल्य नियंत्रण नहीं हो सकता। या तो व्यापार की छूट सारे देश में हो, किदवई जी की तरह कंट्रोल को हटा दें तब मूल्य नियंत्रण होगा। दूसरे जितने भी स्टाकिस्ट हैं उन्होंने बड़े किसानों के यहां गल्ला पहुंचा दिया है। उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है उस अनाज को निकालने की। श्री रुस्तम सैटिन और जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आप एक आर्डिनेन्स निकालें। उस समय कृषि मंत्री ने कहा कि जब सदन बैठा होता है तो आर्डिनेन्स नहीं निकल सकता। मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि तीन दिन में सदन खत्म हो रहा है। आप चौथे दिन आर्डिनेंस निकालें और ऐसा नियंत्रण करें कि किसी किसान के घर में अधिक अन्न नहीं रखा जायगा। इससे बड़ी राहत होगी। चौथे, अन्न में आत्मनिर्भरता हो। केन्द्र का मंत्री अगर विदेश से रुपया कर्ज लेने में सफल होता है तो उसकी ख्याति होती है यहां का मंत्री केन्द्र से जितना लाता है उतनी उसकी ख्याति होती है। मैं जो सुझाव दे रहा हूं उससे दो साल में अन्न में आत्म निर्भरता हो जायगी। प्रत्येक जिले में एक बड़ा कृषि फार्म होना चाहिये और यहां के कृषि फार्मों की उतनी उपज जरूर होनी चाहिये जितना यू० पी० बाहर से अन्न मंगाता है। जिन्होंने रूस का इतिहास पढ़ा होगा, १९१७ में रूस में क्रान्ति हुई। १९२३ में ६ अरब रुपया के हथियार और कृषि के औजार दिये गये। जब अन्न की उपज नहीं बढ़ी तो फार्म बनाये गये जो सफल हुए।

श्री अध्यक्ष---

अब आप का समय समाप्त।

(श्री एस० जी० दत्त से) आप जरा स्थान ग्रहण करें।

मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारे माननीय सदस्यों में बड़ी इच्छा है इस विवाद में भाग लेने की। मैं इस भावना और इच्छा का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरी भी कठिनाइयां और सीमाएं हैं। न सब को मैं समय दे सकता हूं, न ही ऐसा मापदंड प्रस्तुत कर सकता हूं जिसमें सब को समान संतोष हो। मैं इस विषय में आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। लोकसभा में और हाउज आफ कामन्स में भी परम्परा है कि जो दल होते हैं उसके नेता अपने सचेतक के द्वारा या स्वयं इस पीठासीन व्यक्ति को सूचित करते रहते हैं कि आज के वाद विवाद में कौन-कौन लोग बोलेंगे। किन्तु मैं देखता हूं इस समय हमारे पास व्यक्तिगत प्रार्थनाओं की भरमार है। पर्चों पर पर्चे चले आ रहे हैं, उनकी वर्षा-सी हो रही है। यह न तो शोभनीय है और न इससे मुझे सहायता ही मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इधर और उधर के बैठने वाले यदि यह तय कर सकें कि समय का उनको अभाव रहता है, आज के वाद-विवाद में कौन लोग बोल सकते हैं। इसमें दो एक ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तो घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि वाद विवाद अच्छा और उच्च स्तर का होगा, माननीय सदस्यों को बार बार खड़े होने से जो असन्तोष होता है वह नहीं होगा और हमें भी सहायता मिलेगी। यही बात मैं कांग्रेस दल के नेता से भी कहना चाहता हूं। यदि वह भी ऐसी व्यवस्था कर सकें तो अच्छा हो।

मैं कभी यह नहीं कहता कि जो नाम नेताओं के द्वारा आएंगे, उनसे मैं बाध्य हूंगा, मैं केवल उनसे सहायता लूंगा और मैं उसका उतना ही आदर करूंगा जितने विचार से वह मेरे पास आएंगे।

मैं दूसरी बात यह चाहता हूं कि यह प्रथा न पड़ जाय कि हर माननीय सदस्य माइक ले लें और बोलने लगें। पहले आपको खड़े होना है और फिर अनुमति लेनी है, तत्पश्चात् ही बोलें। मेरी एक कठिनाई यह भी है कि मैं अभी कुछ नये सदस्यों के नाम से परिचित नहीं हूं।

(व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्य जो खड़े थे नाम बताकर बोलने का प्रयत्न करने लगे)

श्री अध्यक्ष—

चूंकि मैंने पहले एक सदस्य माननीय एस० जी० दत्त को बुला लिया है तो दूसरे को अनुमति नहीं मिल सकती। इसलिये अभी आप सब बैठ जाएं।

(सदस्यों के फिर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

राम नरेश पाण्डेय जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि हमको आपने अवसर दिया....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको बोलने के लिये नहीं कहा। यदि और कुछ कहना चाहते हों तो कहें। आप खड़े थे, इसलिये मैंने जानना चाहा कि आप क्यों खड़े हैं, बोलने का अवसर तो मैंने श्री एस० जी० दत्त को दे दिया है।

एक सदस्य—

मैंने तो श्रीमन्, अपनी पार्टी के नेता के द्वारा भी अपना नाम भेजा फिर भी मुझे अवसर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद है कि मेरे इतने स्पष्ट कर देने पर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या तो वे मेरी बात समझने में असमर्थ रहे हैं या समझकर भी सहयोग नहीं देना चाहते हैं। मेरे पास पर्चा भिजवाना मैं अनुचित समझता हूं। सबसे अच्छी प्रणाली होगी कि अपने अपने नेता से मिलकर आप सब व्यवस्था कर सकें तो अच्छा हो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी मैं इसके लिये आपको बाध्य नहीं कर सकता। उस स्थिति में मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसकी जरूरियात को इस हाउस में रखूं। मैं यहां पर कल्याणपुर, जिला कानपुर से आया हूं। जो नये भाई आए हैं उनकी इत्तिला के लिये कह रहा हूं। हमारे यहां कल्याणपुर ब्लाक के बहुत सारे गांव कारपोरेशन में चले गये हैं और वह इतनी अच्छी किसानों की जमीन थी कि उनकी आमदनियां ३–३ और साढ़े ३–३ हजार रुपया सालाना थी। लेकिन कारपोरेशन ने उनका मुआवजा १०० रुपये का दिया है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनको पूरा पूरा मुआवजा दे।

हमारे कानपुर में राशन का भी मामला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि टोटल राशनिंग तो रखी जाय लेकिन अगर आप गेहूं निकलवाना चाहते हैं तो मार्केट्स को भी खोल दीजिये जिससे कि जिन लोगों को उस मारकेट से खरीदना हो वह खरीद लें।

श्री अध्यक्ष—

(एक माननीय सदस्य के सदन के फ्लोर क्रास करने पर) माननीय सदस्य जो वहां बैठे हुए हैं उनके लिये इस तरह से सदन में आमने-सामने जाना और बोलने वाले सज्जन और मेरे बीच में आना नियमों के सर्वथा विपरीत है।

श्री एस० जी० दत्त—

तीसरी बात मैं टीचर्स की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उनका स्थान हर देश में बड़ा होता है। वह बच्चों और नवजवानों को तालीम देकर देश के लिए तैयार करते हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि टीचरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उनको मेडिकल एड देना चाहिए, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम देना चाहिए और जो रियायतें मिल सकती हैं उनको देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब यह कहना चाहता हूं कि जनसंघ ऐसी संस्था है जो बिल्कुल कम्युनल है। इस हाउस में मैं अकेला क्रिश्चियन सदस्य हूं और मैं इस हाउस में एलान करता हूं कि कम्युनलिज्म को अगर कोई बढ़ा रहा है तो वह यही संस्था है। वह इस देश को बरबाद कर रही है।

श्री भुवनेशभूषण—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय दत्ता ने जनसंघ दल को कम्युनल की संज्ञा दी है और देश को बरबाद कर रही है। तो श्रीमन्, क्या कोई व्यक्ति किसी दल के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगा सकता है?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि किसी दल के ऊपर कोई आलोचना करना या आक्षेप लगाना, पार्लियामेंटरी पद्धति में उसकी इजाजत है। किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री एस० जी० दत्त—

मैं आपके बीच में माइनारिटी का अकेला आदमी हूं और कल्याणपुर से चुन कर आया हूं। मेरे मुकाबले पर जनसंघ था और उसका ऐसा वह नता था जो जनसंघ का बहुत बड़ा मुडढ़ है। इन लोगों ने मेरे क्षेत्र में घर-घर जा कर कहा कि यह दत्ता ईसाई है इसको वोट मत करो, हिन्दू राज्य कायम करो, यह ईसाई है। यह रोज गाय को काटता है और गाय का मांस खाता है।

श्री भुवनश भूषण—

मैं पुनः व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने अभी व्यवस्था दी कि व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं किया जा सकता। क्या कोई व्यक्ति जो चुनकर नहीं आया है क्या उसके खिलाफ सदन में चर्चा हो सकती है?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि कुछ आपको कड़वी बात लग रही है। यहां पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाय तब अनुचित है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--

उन्होंने एक व्यक्ति जो उनके विरुद्ध लड़ा था उसको लक्ष्य करते हुए कहा है।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन उसकी एक सीमा है। आप देखें, उन्होंने नाम नहीं लिया और जब तक नाम नहीं लिया जाता तब तक वे कह सकते हैं। माननीय दत्ता, आप जरा राज्यपाल के अभिभाषण पर आ जायं।

श्री एस० जी० दत्त--

मैं इस हाउस का एक जुज हूं और इस प्रदेश के अन्दर अकेला क्रिश्चियन चुनकर आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्रिश्चियन ने इस देश के लिए कुरबानियां नहीं दी हैं। क्या हमने देश के लिए खून नहीं बहाया और क्या हम जेल नहीं गए? आज जब कि यह पार्टी कहती है कि यह क्रिश्चियन है, इसको वोट मत दो और हिन्दू राज्य कायम करो तब म कहता हूं कि कहां है इस का स्थान इस हिन्दुस्तान के अन्दर। आज देश में यह वह संस्था पैदा हो गई है जो इस देश का सत्यानाश कर देगी। इसी नवम्बर के महीने में जब गौ वध आन्दोलन चल रहा था तो इन्होंने एलान किया था सारे हिन्दुस्तान में कि चलो दिल्ली, वहां पर गौवध बन्द करायेंगे। ये १० लाख से ज्यादा इन्सान वहां पर जमा हो गए। इन्होंने किराया दिया और उनके लिए खाने का इन्तजाम किया। दिल्ली में एक सप्ताह तक इन लोगों के लिए खाने-पीने का इन्तजाम रहा और ये लोग वहां रोटी-पानी खाते-पीते रहे। अगर ५० रुपया भी एक आदमी का एक सप्ताह का खर्चा लगाया जाय तो करीब ५ करोड़ रुपया इन्होंने वहां पर खर्च कर दिया। इन लोगों ने वहां पर वह हालत बरपा कर दी कि जिससे सारा देश बदनाम हो गया। लोगों की इन्होंने प्रापर्टी जला डाली। मैं इन गौवध बन्द करने वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी यह गौवध बन्द करने वाली संस्था है तो उस ५ करोड़ रुपए से जमीन खरीदते और वहां पर उन गाय भैंसों को रखते तो इससे गौ और भैंस वंश की बड़ी भारी सेवा होती। एक बड़ी भारी गोशाला बन जाती। अगर आपने मिलकर यह ५ करोड़ रुपया इस तरह से गौ की सेवा में खर्च किया होता तो सरकार भी आपको १५ करोड़ रुपया और देती लेकिन आपका तो नजरिया दूसरा था। आपने वहां पर कम्युनल नजरिया सामने रखकर इस ५ करोड़ रुपए को बहा दिया और गरीब देश का इतना रुपया जाया कर दिया। साधू महात्माओं को जमा करके इस तरह की फीलिंग देश में पैदा की कि जिसका फायदा इन्होंने उठाया। मैं आपको बतलाऊं कि अगर देश के सामने आपने यही नक्शा पेश किया तो हिन्दुस्तान की आजादी बिल्कुल खतरे में पड़ जायगी। मेरे एक जनसंघी दोस्त ने बतलाया था कि जिस दिन हम पावर में आ जायेंगे तो उस दिन यहां से मुसलमानों को निकाल देंगे। क्रिश्चियन को कहां रखेंगे जब यह हालत होगी? मगर मैं कहूंगा कि ऐसी हालत आने से पहले हम आपको शूट कर देंगे और फिर अपनी हत्या कर लेंगे। अगर आप समाजवाद के सच्चे हामी हैं....

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बिना मेरी अनुमति के खड़ा होना उचित नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त--

मैं कहता हूं कि अगर आप समाजवाद के सच्चे हामी हैं तो आप यह जाति-पांति का राज्य कायम करने की कोशिश न करें। मुझे एस० एस० पी० के माननीय सदस्यों को देखकर शर्म आती है जब वे ऐसे लोगों के साथ मिलकर चलते हैं। उन्होंने भी अपने ऊपर जनसंघ का साइनबोर्ड लगा लिया। इस साइनबोर्ड को उनको तोड़ देना चाहिए और उनके साथ गठबन्धन

[श्री एस० जी० दत्त]

करके अपने को बदनाम नहीं करना चाहिए। इस वास्ते मैं एक क्रिश्चियन की हैसियत से इस हाउस के अन्दर एलान करता हूं कि अगर इस देश को जन संघ जिन्दा रखना चाहता है तो इस जाति-पाति को खत्म करे और इस कम्युनल फीलिंग को खत्म करे और सीधे-सीधे समाजवाद के ऊपर आए।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उस में जो खामियां हैं इसी से साफ जाहिर है कि जो धन्यवाद के प्रस्ताव में सैकड़ों संशोधन किए गए हैं प्रदेश को बनाने के लिए उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यह सरकार एक तरफ तो आम चुनाव में हारी और हारने के बाद ताल-तिकड़म से सरकार बनायी, तुरन्त ही अन्न की मंहगाई को दूर करने के लिए और अन्न को उपलब्ध कराने के लिए उसने कदम उठाए और छापे मारे। इस में भी फेल हुई क्योंकि छापे मारने के बाद जो गल्ला प्राप्त हुआ उसे सरकार ने अदालत के हवाले कर दिया और जो व्यापारी है वह सरकार को चुनौती दे कर अपना गल्ला मंहगे दामों पर बेच रहा है, लेकिन उस के बाद भी यह सरकार बेहयायी के साथ गद्दी पर बैठी हुई है। चूंकि इस सरकार का यह पहला कदम फेल हो गया इसलिए इस सरकार को हट जाना चाहिए। लेकिन बेहयायी की हद है। देवरिया में सस्ते गल्ले की दूकानों का सारा गल्ला देवरिया नगर में बेच कर दूकानदार चले जाते हैं। एक ज्वार है देवरिया में, जिसे बाहर से कोई व्यापारी नहीं मंगा रहा है। लेकिन खुले बाजार में देवरिया में बाजरा और उसका आटा मिलेगा। सस्ते गल्ले की दूकानों से ज्वार और बाजरा ही देवरिया में दिया जा रहा है। देवरिया में बिक रहे आटे में उस में सतखड़ी नाम की एक मिट्टी है उसे पीस कर बेची जा रही है। आटे में सोप स्टोन का पाउडर मिलाया जा रहा है जिस के कारण इस सोप स्टोन के पाउडर का व्यापार काफी बढ़ गया है। पिछले डेढ़-दो महीने के अन्दर सोप स्टोन काफी बड़ी मात्रा में देवरिया में आया है। आप पता लगायें कि यह कहां खर्च हुआ है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में अन्न के उत्पादन के सिलसिले में जो सिंचाई की बात कही गयी है उन के लिए आप मौका मिलने पर जा कर देखें कि सिंचाई मद में दिए जाने वाले अनुदान में अधिकारियों को हिस्सा न पाने पर वह सारी स्कीम फेल हो रही है। सैकड़ों, हजारों कुयें और ट्यूबवेल इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि किसान उस अनुदान के पैसे में से कर्मचारियों का कथित उनका हिस्सा नहीं देना चाहता।

(इस समय १ बज कर ८ मिनट पर, अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, पीठासीन हुईं।)

इसीलिए किसान को वह पैसा देने में कर्मचारी आनाकानी कर रहे हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जो लाभ हम अपनी स्कीमों का लेना चाहते हैं वह हम को नहीं मिल पा रहा है। इधर सरकार को भीख मांगने का अभ्यास हो गया है। यह सरकार केन्द्र से भीख मांगती है और केन्द्र सरकार दूसरे मुल्कों से भीख मांगती है। आज अगर सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश में जितने अन्न की कमी है उस को वह इन गर्मी के पांच महीनों के अन्दर पूरा कर सकती है। किसानों को सिंचाई के साधन की उपलब्ध कराए जायं और चना और मक्का इस गर्मी के पांच महीनों में उपजायी जा सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अपनी भीख मांगने की आदत को छोड़ कर पूरे कृषि विभाग को इस दिशा में लगा दे और इस विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं, कर्तव्यी बन कर किसानों की मदद करें तो यह भीख मांगने की परम्परा टूट सकती है और अन्न की कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन भीख मांगने की जब आदत पड़ जाती है तो आदमी जल्दी काम करने को तैयार नहीं होता है। लगता है कि सरकार की भी भीख मांगने की आदत पड़ गयी है और इसीलिए वह काम नहीं करना चाहती। चाहे वह मुख्य मन्त्री हों, अथवा खाद्य मन्त्री, रोज ही वे दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं भीख मांगने के लिए और केन्द्रीय सरकार अमरीका और कनाडा की तरफ देख रही है। इसी तरह से गन्ने के उत्पादन में खेत मजदूरों की उपेक्षा हो रही है। उनके लिए मंहगाई के हिसाब से निम्नतम मजदूरी कानून लागू किया जाना चाहिए। इस ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। साथ ही जो लोग

खेत में लगे हुए हैं और अपने हाथों से हल जोत रहे हैं उनको जब आप खेत नहीं देंगे तो आप मन चाहा अनाज नहीं निकाल सकते। दूसरों के जांगर से दूसरों के खेत में अन्न नहीं निकलेगा। वह तो वहां जाकर बेगार ही करेंगे। इसलिए जोतने वाले को खेत देने की व्यवस्था आप कीजिए। तब खाने भर को अन्न पैदा होगा। वरना स्कीम स्कीम ही रह जावेगी। सस्ते गल्ले की दूकानों पर आप देहातों में भी कार्ड पर गल्ला देनें की व्यवस्था करें। गन्ने का एक उद्योग प्रदेश में सब से बड़ा उद्योग था, वह अगले साल एक दम ठप होने जा रहा है। इसी साल साढ़े तेरह लाख टन चीनी जो पैदा होने वाली थी वह सिर्फ ७ लाख टन रह गयी। अगले साल के लिए किसान गन्ना बो नहीं रहा है। अभी एक महीने का समय है। अगर साढ़े तीन रुपया मन गन्ने के मूल्य का एलान कर दिया जाय और बीज का बन्दोबस्त कर दिया जाय तो गन्ना पर्याप्त मात्रा में चीनी के लिए पैदा हो जायगा, लेकिन अगर ऐलान नहीं हुआ तो गन्ना बोया नहीं जायगा और जो बोया जा रहा है वह मिलों को मिलेगा नहीं, सारे का सारा गुड़ और खंडसारी बनेगा, चाहे सरकार का कोई काला कानून आये, किसानों को रोक नहीं सकेगा और किसान एक टुकड़ा भी गन्ना सरकार या मिलों को नहीं देगा।

पूर्वी जिलों की फसलें पिछले २०साल से पकने के समय पछुवा हवा के कारण बरबाद होती जा रही हैं। यों तो ओला और दूसरे प्रकोप आते ही रहते हैं मगर पछुवा हवा से हर साल बड़ा नुक्सान होता है। बहुत-सी खोज होती हैं लेकिन इस पर कोई खोज नहीं हो रही है कि उन फसलों को बरबादी से बचाने के लिए क्या किया जाय। तुरन्त इसके लिए कदम उठाना चाहिए। कुछ भ्रष्टाचार का भी म जिक्र करना चाहता हूं। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में नुरुलहसन हाशमी साहब हैं जो उर्दू विभाग के हैड हैं और वजाहत हुसैन हाशमी साहब हैं जोकि वाइस चांसलर के पी० ए० हैं। उन दोनों ने मिल कर यह किया है कि वे फरजी सनद बांट रहे हैं और अभी-अभी अपने एक रिश्तेदार को दिया है जोकि लखनऊ दीवानी में नौकर थे। एक तरफ वहां पर भी हाजरी भरती रही है और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में भी और बाद को उनको एम० ए० फर्स्ट क्लास फर्स्ट की सनद मिल गयी, जब डिग्री मिल गयी और बरेली में लेक्चरार हो गये तो इधर सीनियर फैलोशिप की यू० पी० सी० सी० की ग्रांट भी मुफ्त में ४०० की दी जाती रही है। इस तरह से यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्वविद्यालय में फरजी सदन का भ्रष्टाचार हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है, इधर में सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

पुलिस विभाग तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ही संभाल रखा है। देवरिया का एक खड्डा थाना है, वहां पर एक गन्ना विभाग के डायरेक्टर हैं और अपने गांव के सरपंच भी हैं और कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं..... (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट और दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप के दो मिनट हैं।

श्री चन्द्रबली—

उन पर बिहार के ३७९ के वारंट हैं कई, लेकिन वह रोज थाने पर जाते हैं, कमेटी में जाते हैं, कोई वारंट उन पर तामील नहीं हो रहा है। फरजी दफा ८७–८८ की कार्यवाही हुई है और यहां से चिट्ठी भी बिहार पुलिस के पास गयी हैं कि अगर इस शख्स को बचाया जा सके तो बचाया जाय। इसी तरह से देवरिया में २६ फरवरी को १० बजे दिन को राधाकृष्ण बरतनिया का उसके मकान मालिक ने घर लूट लिया है। सैकड़ों गुण्डों को बुलाकर भाले बन्दूक के बल पर पुलिस कोतवाल बैठा लुटवाता रहा। कलक्टर और एस० पी० को मालूम हुआ है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ५–६ हजार रुपये का माल लूट लिया गया है और हजार रुपये का माल छितरा दिया गया और तोड़-फोड़ डाला गया है।

[श्री चन्दबली]

इसी तरह से सिंचाई विभाग में एक गंडक की नहर है। वहां पर इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप आये। माननीय सिंचाई मन्त्री जी जो भूतपूर्व हैं उन्होंने उस पर चार्ज-शीट लगवा ली और उनको बुलवाया जा रहा है इंजीनियर यहां भी घूम रहे हैं। विधायकों की शरण ले रहे हैं। जो मुकदमा चलना चाहिये वह नहीं चल रहा है। सरकार से और उस विभाग के नये मंत्री जी से मेरी अरजी है कि इन भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने छितौनी बांध को बरबाद किया है मुकदमें द्वारा अदालत के हवाले किया जाय। इन इन्जीनियरों के कारण नये सिरे से राजस्व का पैसा लगाने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं उनके साथ हरगिज रियायत न की जाय और उन पर मुकदमा चलाया जाय।

देवरिया जिले में एक कनज्यूमर स्टोर है। दो माह पहले जब चीनी के दाम बढ़े थे तब वहां ५-६ सौ बोरे चीनी के थे वह चीनी बढ़े हुये दामों पर बेची गयी। जब हलवाइयों ने उस की शिकायत की और जब कलक्टर ने उनसे पूछा, तो उत्तर दिया गया कि गुप्ता जी को वहां से जो थैली दी गयी है उसमें उनका हिस्सा है, आखिर वह पैसा कहां से आयेगा? इस तरह से वहां लूट हुई। माननीय गेंदा सिंह जी वहीं से आते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

श्री त्रेपनसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

माननीया, आपने जो मुझे इस वाद-विवाद में बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पहाड़ों के सम्बन्ध में जो बोर्ड की स्थापना के संबंध में घोषणा की गयी है उसके लिये हम लोग उनके बहुत आभारी हैं। इस नयी चीज की हम बहुत दिनों से कल्पना कर रहे थे। आज वह पूरी हुई है। इसके लिये हम प्रधान मन्त्री के भी आभारी हैं जिन्होंने पहाड़ों की इस मांग पर सरकार की तवज्जह दिलाई। पहाड़ों पर सड़कों के सम्बन्ध में भी अभिभाषण में कहा गया है, यह भी सराहनीय है, पहाड़ों पर आने-जाने का सड़कें ही एक साधन होती हैं, वहां हवाई जहाज वगैरह तो आ जा नहीं सकते, इसलिये इस ओर ध्यान जाना बहुत आवश्यक था।

जो रियासतें उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन हुई थीं उनके बारे में यह आश्वासन दिया गया था कि वहां के विकास के लिये विशेष व्यवस्था की जायेगी और उनको निकटवर्ती जिलों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जायेगा। मगर सरकार का उधर ध्यान नहीं गया है। अभी परसों भी एक माननीय सदस्य ने रामपुर के लगान के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि टेहरी गढ़वाल और रामपुर के संबंध में लगान संबंधी वही नियम बनाने चाहिये जो कि वहां के समकक्ष जिलों में हैं। पहिले भी इस सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई और हमने सरकार से निवेदन किया था कि अगर सरकार इस कार्य को भी विभागीय ढंग से करेगी तो यह मामला कभी हल नहीं हो सकेगा। इसलिये यह निवेदन है कि इन मसलों को पालिटिकल आधार पर तय किया जाय। क्योंकि इन रियासतों में पहिले भी जुल्म होते थे इसलिये इनको जो भी रियायतें आप दे सकते हैं वे दें। टिहरी गढ़वाल में लगान कम हो जाना चाहिये। यह उनकी बहुत सी जायज मांग है। पहाड़ों का मसला इस ढंग का है कि जिसको पूरी तौर पर यहां सोचा नहीं जा सकता। प्रदेश में इतनी बड़ी समस्यायें विद्यमान हैं जो उलझी हुई हैं उनको भी सुलझाना होगा, जैसे कि खाद्यान्न का मसला है। पहाड़ों में दो तीन महीनों से ज्यादा समय के लिये गल्ला पैदा होता ही नहीं है। ओलों के गिरने से वहां की स्थिति और भी खराब हो गयी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पहाड़ों में भेजे

जाने वाले गल्ले की मात्रा बढ़ाई जाय। मिर्जापुर के जिले के सम्बन्ध में अभी सदन में काफी चर्चा चली। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिले के पहाड़ों की स्थिति और भी खराब है तो इसमें अत्युक्ति नहीं होगी। पहाड़ों में गरीब लोगों को दो-दो तीन-तीन दिन तक खाना नहीं नसीब हो रहा है, वहां रोजगार भी नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसे कि मिर्जापुर में व्यवस्था की गई है वैसी ही व्यवस्था पहाड़ों में भी की जानी चाहिये ताकि लोगों को खाना मिल सके। मैंयह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ते गल्ले की दूकानों में एक ही भाव से जिलों में गल्ला मिले। पहाड़ों में ढुलान खच्चरों और आदमियों के जरिये से होता है। इसलिये गल्ले की कीमत जो २५ या ३० रुपया मन होती है वह चालीस और पचास रुपया मन वहां पर गल्ला बिकता है। अगर सरकार को ढुलान का दो या तीन लाख रुपया भी बर्दाश्त करना पड़े तो वह करना चाहिये और लोगों को राहत मिलनी चाहिये। सरकार इस कठिन परिस्थिति में सब मुसीबतों का मुकाबिला कर रही है। उन सब के लिये सरकार बधाई की पात्र है। विरोधी भाइयों ने जो चर्चा की उस दौरान मैंने सुना कि बहुत से लोग तो यहां तक कह गये कि चीन और पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई उससे स्थिति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। मैं आप से निवेदन करूं कि जो लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी उस में उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं पर जितना रुपया खर्च हुआ है उतना एक लड़ाई में खर्च हो गया। अगर वे इसको खास बात न समझें तो उससे ज्यादा समझ क्या हो सकती है? ऐसी स्थिति भी रही है कि ओले गिरते रहे, सूखा पड़ता रहा और फसलें खराब होती रहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादती होगी। इसलिये विरोधी पक्ष से भी मैं निवेदन करूं कि जितनी मुसीबतें देश के सामने हैं उनका उनको आभास होना चाहिये और सरकार का सहयोग करना चाहिये ताकि वह उसको हल कर सके और इस प्रकार प्रदेश के गरीब लोगों को राहत पहुंचवाने की कोशिश करें।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अधिष्ठात्री महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है उस में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारी तरफ से विरोधी सदस्य कांग्रेस की नुक्ताचीनी करके उनको अपदस्थ करने की जो इच्छा रखते हैं उस को पूरा करने के खयाल से जो आनन्द आता है मैं भी उस आनन्द से वंचित रहना नहीं चाहता। लेकिन यह उसका उचित अवसर नहीं है। मैं उसके बजाय कुछ दूसरी बातें आप के द्वारा सदन में रखना चाहता हूं। हमारी तरफ से भी सरकार की आलोचना के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं और एक बात यह कही जाती है कि यह राज्य बनियों का ही हो गया। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नुक्ताचीनी कर के मुख्य राजनीतिक प्रश्नों की ओर से हम भटक जाते हैं। मैं उधर से विमुख हो कर कहना चाहता हूं कि इसमें बनिये बक्काल क्यों ज्यादा घुस गये और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि यह गैर बनिये जो सरकार में हैं वे बहुत ज्यादा अफेक्टिव या लगनशील हैं और वह इस वजह से कि वह बनिये हैं इसलिये वह खराब हो गये हैं, मैं ऐसी आलोचना का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। अगर मंत्रि मंडल में सारे बनिये बैठ जायें और अच्छा काम करने लगें तो उस मंत्रि मंडल से हमें किसी तरह से कोई रोष न होगा। मुख्य बात यह है कि आज जब हम यह कहते हैं कि सामान्य प्रशासन बिलकुल खराब हो गया है, उसमें कोई भी क्षमता काम करने की नहीं रह गई है तो ऐसा मालूम होता है कि सामान्य प्रशासन किसी जादू टोने से ठीक हो जायगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में यह सरकार की नीति का संकट है। लेकिन जिनका मैं अनुयायी हूं उन्होंने कहा है कि समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई आदि जो फैलती हैं तो ऐसा लगता है कि यह बीमारियां हैं। लेकिन यह कोई बीमारी नहीं है। यह तो केवल बीमारी की अलामतें हैं। मुख्य बीमारी तो यह है कि जिसके कि इलाज की जरूरत है कि इस प्रदेश में पूंजीवाद का असामयिक विकास हो रहा है। इस देश में इस तरह से केपिटलिज्म का विश्वास नहीं होना चाहिये था लेकिन यह कांग्रेस सरकार जबरदस्ती यहां पूंजीवाद का विकास करना चाहती है। यह मुख्य बीमारी जो

[श्री आचार्य दीपंकर]

बढ़ रही है इससे पूंजीवाद का विकास भी नहीं होगा। लेकिन समाजवादी हितों का विकास तो नहीं हो सकता। नये-नये उपनिवेश जो आजाद हुये हैं उनमें बहुतों में यह रास्ता अपनाया गया है। लेकिन जहां यह रास्ता अपनाया जाता है वहां ऐसी समस्यायें बड़ी तेजी के साथ पैदा होती हैं। जहां ४०० साल पहले के पूंजीवाद की पुरानी पगडंडी अख्तियार की जाती है वहां भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी आयेगी ही। समाज में जो बीमारी है उसकी यह अलामतें पैदा होंगी ही और उनको कोई रोक नहीं सकता। हमारे समाज के विकास का एकमात्र रास्ता केवल गैरपूंजीवादी हो सकता है। अगर गेंदासिंह जी की जगह मैं भी खाद्य मंत्री बना दिया जाऊं तो मैं भी उसी दलदल में फंस जाऊंगा जिसमें कि गेंदासिंह जी फंसे हैं, उससे निकलने का कोई रास्ता ही न होगा।

हमारे समाज की जो मूल समस्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना जरूरी है। यह संकट दरअस्ल मंहगाई, भ्रष्टाचार या बेरोजगारी का नहीं है बल्कि असल संकट यह है कि बिना श्रम के पूंजीवाद यहां आ गया है जिसमें विकास नहीं हो सकता और समाजवाद की अलामतों का जन्म भी जिसमें नहीं हो सकता। यहां तो डंडे मारकर पूंजीवाद को जन्म दिलाया जा रहा है और इसी कारण से यह संकट आया है। दूसरे जो नौकरशाही हैं, मंत्रियों की शिकायत हम सब करते हैं कि वे मौज मारते हैं, ठीक है। मैं जानता हूं कि केरल में, वेस्ट बंगाल में वेतन कम हो गये। यहां भी कम हो जाय तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं आप के द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि समस्या यह नहीं है कि मंत्री लोग मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, इसलिये देश में गिरावट आ रही है लेकिन कारण यह है कि शैतान तो चला गया परन्तु अपनी नालायक औलाद को छोड़ गया है। सम्राजवाद तो चला गया लेकिन अपनी विरासत के रूप में इस सफेद हाथी रूपी नौकरशाही को छोड़ गया है। मिनिस्टरों को हम गालियां देते हैं। वह पूरे के पूरे समाज को चूसता है और बदनाम होता है मिनिस्टर। समाज उस को गालियां दे रहा है, कोस रहा है और समझ रहा है कि यह सब उस की वजह से हो रहा है। एक माननीय मंत्री जी के खिलाफ यह शिकायत हुई कि उन्होंने सरकारी खर्चे से अपने खेत में ट्यूबवैल लगा लिया है। उसके बारे में इस सदन में शोर मचा। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी ने वह काम सही किया। लेकिन उसके बारे में यहां इतना शोर मचा। लेकिन उसी शहर में एक चीफ इंजीनियर ने पांच लाख रुपये सरकारी खर्चे से महल खड़ा कर रखा है लेकिनउस के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। इस तरह से यह सफेद हाथी समाज को खाये जा रहा है। अगर उन को कान्टेक्ट करने की कोशिश कीजिये तो मालूम पड़ेगा कि पूजा घर में हैं, चाहे कभी पूजा का नाम भी न लेते हों। कभी बाथ रूम में हैं और मंत्री जी जब उनको टेलीफोन करते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं कि इस मामले में कुछ तो करो। वे कहते हैं—कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, कुछ तो करो। लानत है ऐसे मिनिस्टर पर। डूब मरो, अगर आप अपनी पालिसीज को उनसे कैरी आउट नहीं कर वा सकते हो तो। मुझे यह शिकायत नहीं है कि कांग्रेसमैन में कुछ बुराई है। मैं भी पुराना कांग्रेसमैन रहा हूं। मैंने भी कांग्रेस का झंडा उठाया है। और कांग्रेस तो कम्युनिस्ट पार्टी की माता रही है लेकिन हमारे यहां एक कहावत है कि जब मां दूसरे की कली पाने लगे तो उस को मां कहने में शर्म आती है। मैं कह यह रहा था कि मिनिस्टर आज बना है तो सिर्फ गाली खाने के लिये बना है, बदनाम होने के लिये बना है, २४ घंटे धिक्कारे जाने के लिये बना है, लेकिन मौज मारने के लिये नौकरशाही है। जो नीति आप लेकर आते हैं, हिम्मत के साथ उन नीतियों को कैरी आउट कराओ। आज नौकरशाही का लामबाम पूरे शासन पर छाया हुआ है, इसी कारण कोई मसला हल नहीं हो पा रहा है। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस ने कौन सी ऐसी बात कही है जो सैद्धान्तिक रूप से गलत हो। अगर उन घोषित नीतियों पर अमल किया जाय तो देश की यह दुर्दशा न होती।

हमारे एक साथी बोल रहे थे वे कह रहे थे कि हमें कांग्रेस की नहीं विशेष व्यक्ति की शिकायत है। मुझे न विशेष व्यक्ति की शिकायत और न कांग्रेस की नीतियों की शिकायत है। शिकायत है कि आप में मोरल गट्स नहीं उन

पालिसीज को अमल में लाने की। जब आप सरकारी मेशीनरी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो तो ८ करोड़ आदियों की सेवा करने का काम कैसे पूरा कर सकते हो? दो प्रश्न मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं। एक तो खाद्य समस्या, जो बहुत विकट है, का सवाल है। रेडियो पर केन्द्रीय सरकार की अचानक घोषणा आती है कि उनके पास केवल २ महीने का स्टाक शेष रह गया है। नतीजा यह होता है कि अनाज ५१ रुपये पर बिकता-बिकता एक दम ६० रुपये तक पहुंच जाता है। मैं तो यह सोचता हूं कि कहीं इनकी सांठगांठ अनाज के व्यापारियों से तो नहीं है। इस प्रकार के जो वक्तव्य प्रसारित होते हैं वे स्वयं ब्लैक मार्कटियर्स को प्रश्रय देते हैं कि वे दाम बढ़ायें। इस समय ४ जोन हैं और ४ आर० एफ० सी० हैं। वे लोग सबके सब निरंकुश होते हैं और हमारे मन्त्रिगण उनके मातहत हैं। उनका सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हमारे प्रदेश में ३० या ३५ आटे की मिलें हैं। उनके लिये सेन्टर से अनाज का कोटा आता है। किस तरह से वह गल्ला प्रयोग में आता है, कोई नहीं जानता। इन ४ आर० एफ० सी० के अलावा एक एक जिले में ३-३ सफेद हाथी और हैं। एक इंडस्ट्री विभाग में उद्योग अधिकारी, एक जिला पूर्ति अधिकारी और एक आर० टी० ओ० है। ये लोग सब के सब नचाते रहते हैं। परिणाम क्या होता है, आपके सामने है। मेरठ में जो जिला पूर्ति अधिकारी होता उस पद के लिए सौदे बाजी होती है। ऐसे ही आर० टी० ओ० और उद्योग अधिकारी का हाल है। इस सब से यह महसूस होता है कि इनके सामने कोई नीति नहीं है, यह सामान्य प्रशासन का संकट नहीं है बल्कि नीति का संकट है।

*श्री रामनाथ (जिला मिर्जापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीया, मैं मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूं। यहां पर कई दिनों से मिर्जापुर जिले के बारे में बातें कही गयी हैं और मैं भी इसके बारे में पहले कह चुका हूं। मिर्जापुर एक पहाड़ी इलाका है और दो हिस्सों में विभक्त है। मैं यह कई बार कह चुका हूं लेकिन आज तक सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुयी जिसके कारण वहां पर भुखमरी व्याप्त हुयी है। मैदानी इलाके से एक सड़क रिहांड डाम तक बन गयी है और हमारे बड़े बड़े नेता और बाहर के लोग उस सड़क को पकड़ कर रिहन्ड डाम चले जाते हैं लेकिन उस सड़क के ५० मील पूर्व और ५० मील दूसरी ओर जहां मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, उस इलाके में न कोई स्थानीय अधिकारी और न कोई बाहर के देखने वाले ही जाना चाहते हैं। मैं यह मांग कर चुका हूं कि हमारे इस इलाके की ओर भी ध्यान दिया जाय। आज यहां पर यह कहा जाता है कि मिर्जापुर जिले में बहुत तरक्की की जा रही है। वहां पर एक रिहांड डाम और बड़े-बड़े डाम बने हुए हैं। वहां पर एक सीमेंट फैक्टरी है। यह बड़े दुख की बात है कि वहां पर सीमेंट फैक्टरी के होते हुये भी आसपास में कोई दुकान नहीं है और अगर वहां के लोगों को सीमेंट लेना पड़ता है तो वह दुद्धी से जाकर मिर्जापुर में मिलती है। जिस भाव से मिर्जापुर वालों को, बनारस वालों को, सीमेंट मिलता है उस से मंहगा सीमेंट राबर्ट्सगंज और दुद्धी वालों को मिलता है। रिहन्ड डैम बना, कई हजार आदमी उजाड़े गये, उन की उपजाऊ जमीन डुबाई गई और परिणाम यह हुआ कि उस इलाके में जो बिजली बन रही है वह कानपुर, डालमिया नगर और कलकत्ता भेजी जाती है और उस इलाके के किसान अगर बिजली मांगते हैं तो हमारे जिला अधिकारी उनको बिजली नहीं देते। सरकार के आदेश होने के बाद उस इलाके के किसानों को आज तक बिजली नहीं दी गई क्योंकि अधिकारी शहर में रहते हैं, हमारे अधिकारी और नेतागण शहर में रहते हैं। पहाड़ी इलाके में लोगों को क्या दिक्कतें हैं, इस को कोई देखने वाला नहीं। इसलिये उस जिले का दुख तभी दूर हो सकता है कि सरकार से जो भी अनुदान दिया जाय, इस इलाके के तीन निर्वाचन क्षेत्र हैं राजगढ़, राबर्ट्सगंज और दुद्धी, इन तीनों का अनुदान अलग कर दिया जाय। होता यह है कि इन इलाकों का अनुदान मैदानी इलाकें पर खर्च होता है। १० लाख रुपया शुद्ध पेय जल योजना निमित्त उस इलाके के लिये दिया गया लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनाथ---]

हमारे जिलाधिकारी, जिला परिषद् के लोगों ने उस रुपये का दुरुपयोग किया और पहाड़ी इलाके में जहां सैकड़ों गांव हैं, पीने के पानी के कुएं नहीं थे, सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि कुएं बनाये जायंगे, वहां एक भी कुआं नहीं बना। हमारी अशिक्षा, गरीबी के साथ पक्षपात कर के जो रुपया हमारे क्षेत्र के लिये मिलता है उसको जिले के नाम पर लूटा जाता है। पहले सरकार के जमाने में एक बांध बनाया गया था, बांध तो वहीं रह गया लेकिन नहरें ८ गुनी बना दी गई जो कि मैदानी इलाके में बनायी गयीं; उस नहर को गहरा और चौड़ा कर के सारा पानी पहाड़ से उतार कर मैदानी इलाके में भेज दिया जाता है। जब यह कहा जाता है कि मिर्जापुर में बड़ा काम हो रहा है, बड़े उद्योग चल रहे हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य और दुख होता है। मिर्जापुर जिले के नाम पर हम उन पहाड़ियों को कोई फायदा न कर के तकलीफ दे रहे हैं। फायदा यही हुआ कि उन के घर गये, खेत गये और १०, २०, ५० रु० मुआवजा दे कर उन की जमीन लेली गई, वह मोहताज हो कर घूम रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई। तो हम आप से यह अनुरोध करते हैं कि मिर्जापुर जिले का कष्ट तभी दूर हो सकता है जब कि उस २०० मील लम्बे जिले का, वह जिला जब बना था तो कुल आबादी ६, ७ लाख थी, आज आबादी उस की १४ लाख है और जो आबादी बढ़ी है पहाड़ों में बढ़ी है, प्लानिंग विभाग और परिषद् अलग हों और पहाड़ी इलाके के लिये जो अनुदान दिया जाय वह यहीं से अलग कर के दिया जाय तब तो वहां की व्यवस्था हो सकती है।

सवा सौ मील लम्बे पहाड़ी क्षेत्र में कोई जनाना अस्पताल नहीं है। माननीय गुप्ता जी जब मंत्री थे तो उन्होंने आदेश दिया, हमने भी स्वास्थ्य विभाग तथा सेक्रेटरी से कहा और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अस्पताल हो जायगा। उस इमारत की बुनियाद पड़ी हुयी है बहुत दिनों से; दो, ढाई हजार रुपया लगाकर उसका निर्माण रोक दिया गया। इस प्रकार मजाक होता है। अगर सवा सौ मील लम्बे क्षेत्र में कोई महिला बीमार हो जाय तो वह भूत के नाम पर मरती है या फिर वह बनारस और इलाहाबाद जावे। हमारे जिले के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। सरकार ने इतना गल्ला दिया, ४४ पैसे किलो बेचने का आदेश है लेकिन ५० और ६० पैसा किलो बेचा गया। जिन आदमियों को एक महीने में ५ किलो मिलना चाहिये था उन्हें एक, आध किलो दिया गया इस वजह से वहां भुखमरी बढ़ी, उचित इन्तजाम नहीं हो सका वितरण का और यह इसलिये नहीं हो सका कि आवागमन के उचित साधन नहीं हैं, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां भूखमरी तो है ही लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दो महीन के अन्दर वहां पानी पीने के लिये भी नहीं रहेगा और लोग पानी के बिना ही मरने लगेंगे। ४-६ महीने तक चिल्लाते रहने के बाद वहां बोरिंग मशीन गयी लेकिन वह भी चार महीने से बेकार पड़ी हुयी है। अगर इस बीच में बोरिंग की गयी होती तो पहाड़ी इलाके में १०-२० कुयें तो खुद ही गये होते और पानी की व्यवस्था ठीक हो गई होती। अब कहना यह है कि टैंकरों से पहाड़ों पर ४०-५० मील तक पानी पहुंचाया जायगा जिसमें काफी पैसे सरकार के खर्च होंगे। सोन का पानी पहाड़ों पर पहुंचाने की बात हो रही है लेकिन सुना जाता है कि मिर्जापुर के अल्मुनियम फैक्टरी का सोडा मिला हुआ गंदा पानी सोन नदी में गिराया जाता है जिससे वह पीने के योग्य नहीं है और उससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो कहीं ऐसा न हो कि लोग भूख से मरने के अलावा उस पानी को पीकर न मरने लगें। इसलिये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि मिर्जापुर के लिये या तो सारा अनुदान अलग से हो और उसमें भी राजगढ़, राबर्ट्सगंज और दुद्धी के लिये विशेष प्रबन्ध हो वरना मिर्जापुर के नाम पर वहां का भी सब पैसा मैदानी इलाके वाले ही खर्च कर डालेंगे और वहां के लोग ऐसे ही रहेंगे। उस ५० मील के इलाके में एक आयुर्वेदिक औषधालय और एक ऐलोपैथिक अस्पताल को खोलने का आश्वासन ४-५ वर्ष पहले ही सरकार की तरफ से मिला था और यह कहा गया था कि नगवां और चोपन में ये खोले जायेंगे लेकिन आज तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है।

महंगाई की बात बहुत कही जाती है लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि आखिर इसका कारण क्या है। आज हालत यह है कि देहात में जो चीजें पैदा होती हैं वे तो सस्ती बिकती हैं और शहर की हर चीज देहात वालों को मंहगी खरीदनी पड़ती है। वह धोती जो किसान कभी एक और दो रुपये जोड़ी खरीदकर पहनता था वही धोती उसे ४० रुपये जोड़ी मिलती है। पहले जहां पैसे की पचीस सूई मिलती थी वहां अब एक पैसा की एक सूई मिलती है।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)---

माननीय सदस्य जरा बतला दें कि किस नम्बर की धोती है जो पहले २ रुपये जोड़ी मिलती थी और आज ४० रुपय जोड़ी मिलती है।

श्री रामनाथ---

मैंने खुद १ और २ रुपये जोड़ी धोती खरीदी है।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

आखिर यह महंगाई किसकी देन है ?

श्री रामनाथ---

यह आप लोगों की देन है। आप लोग ही कारखानों में जाकर मजदूरी तनख्वाह के लिये हड़ताल करवाते हैं जिस से वहां तैयार हुयी चीजें मंहगी पड़ती हैं। अगर किसान से आप गल्ला सस्ता लेना चाहते हैं तो किसानों को भी उसके काम में आने वाली चीजें सस्ती देनी चाहिय।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, तीन दिन से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही है, उससे मैं यही अन्दाज लगा सका हूं कि सदन के करीब ९६.६६ प्रतिशत सदस्य उस अभिभाषण से संतुष्ट नहीं है, उसम संशोधन चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि पालतू कुत्ते की तरह भौंकते तो हैं लेकिन चोट नहीं कर पाते और ऐसा मालूम होता है कि जंजीरों से जकड़े हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य संयमित भाषा का प्रयोग करें।

श्री रघुनाथ सिंह---

मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा था लेकिन मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। अब सवाल यह आता है कि २० साल से जो यह सरकार चली आती है उसक प्रति जनता की कतई आस्था नहीं रह गयी है और उसका कारण यही है कि हमारी सरकार नेकनीयती से कार्य नहीं कर रही है। अगर हमारी सरकार की नीयतनेक रहती और नेकनीयती से नीतियां बनाई जायं और उन नीतियों पर सही रूप से अमल किया जाय तो प्रशासन भी ठीक रह सकता है, भ्रष्टाचार भी दूर हो सकता है और आज जो मंहगाई बढ़ी हुयी है वह भी अपनी जगह स्थिर रह सकती है।

हमारे भाई हरियाना (निर्दलीय) ने कहा कि हमको यह दोष दिया जाता है कि लालच में आकर हम कांग्रेस से मिल गये हैं। उसके लिये उन्होंने सफाई देने की कोशिश की लेकिन अन्त में स्वयं ही इस बात को माना और यह कहा कि हमारे जो आपरेटर्स हैं उन्हें कुछ लालच दिया जाय तो वे २४ घंटे पानी दे सकेंगे। मैं समझता हूं कि जो लालच हरियाना जी को दिया गया उसी का यह असर था कि वे आपरेटर्स को भी लालच देकर काम कराना चाहते हैं।

इसी प्रकार से गोविन्द सहाय जी ने यह कहा कि हमारे देश व प्रदेश में फासिज्म, कम्युनिज्म आ सकता है। लेकिन वह इस बात को भूल गये कि सबंदलीय सरकार भी काम कर सकती है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

एक पक्षीय बात वह कह गये, शायद दूसरे पक्ष की बात नहीं समझना चाहते ; तभी वह इन बातों को कहते हैं । कांग्रेसी सरकार तो बन गयी लेकिन अभी तक मैं यह समझ न सका कि १९७ की संख्या से और अध्यक्ष महोदय निकल जाने पर १९६ की संख्या होने पर कांग्रेस की सरकार कैसे बन सकती है जब क कि वह किसी दूसरी पार्टी क सदस्यों अथवा निदलियों को शामिल न करे और उनको शामिल करने पर उसे कांग्रेस सरकार नहीं कहा जा सकता, संयुक्त सरकार ही कहा जा सकता है । इसलिये यह कहना कि कांग्रेस सरकार बनी है यह कतई गलत है । अब प्रश्न यह आता है कि जनता का जिस सरकार म विश्वास न हो वह सरकार कैसे चल सकती है । दूसरे मान म कहा जा सकता है कि जनता का विश्वास किस तरह खोया गया और अब वह किस तरह प्राप्त किया जा सकता है । मेरी ही तहसील किरावली में प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिजली और दो सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया था । लेकिन आज १५ साल के बावजूद भी अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है । कुम्भकरण केवल ६ महीने सोता था लेकिन यह सरकार १५ साल तक सोती है और मैं समझता हूं कि २० साल पूरे होने के बाद भी शायद वह काम पूरा नहीं हो पायेगा । फतेहपुर सीकरी हमारे भारतवर्ष का एक हिस्टारिकल प्लस है जहां कम से कम दो, ढाई सौ टूरिस्ट रोजाना आते जाते हैं । वहां के लिये बिजली जरूरी समझी गयी और फतेहपुर-सीकरी तक पहुंचायी गयी । मगर देहाती क्षेत्र में जहां अन्न अधिक उपजाया जा सकता था वहां बिजली को कतई नहीं ले जाया गया । मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार की नाकामयाबी कहूं या अनुभवहीनता कहूं उसी का फल है । आचार्य दीपंकर के शब्दों में यह कह सकता हूं कि सरकार प्रशासन में इतनी ढीली है कि अपने कर्मचारियों से दबी हुई है जिसके कारण वह यह देखती ही नहीं कि कहां किस कार्य में कितनी प्रगति हुई । लेकिन वह फतेहपुर-सीकरी जिसे हमारी सरकार इतना महत्वपूर्ण समझती है वहां आज २० साल के बाद भी कोई अस्पताल नहीं है । अगर किसी टूरिस्ट की चोट लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है तो उसको आगरे की ही शरण लेनी पड़ती है ।

इसके अलावा जो हमारे यहां सरकारी गल्ले की दुकानें हैं उन पर उचित मात्रा में गल्ला और चीनी नहीं दी जाती जिसके कारण जनता बहुत परेशान है । हमारी सरकार का इतना ही कर्तव्य नहीं है कि वह किसी प्रस्ताव को पास कर दे बल्कि उसको अमल में लाने की भी उसकी जिम्मेदारी है । मैं एक ही सुझाव इस बारे में देता हूं कि अगर सरकार इस बात का प्रण करे और जनता के सामने इसका प्रदर्शन करे और नेकनीयती से नीतियां बना कर काम करे तो शायद जनता उसका विश्वास करे और उनकी सरकार चलने में बाधक न हो ।

(इस समय १ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री प्रतापसिंह, पीठासीन हुए ।)

इसका दूसरा उपाय जिसको मैं सही समझता हूं यह है कि यह सरकार त्यागपत्र देकर दूसरे पक्ष को मौका दे जिससे जनता की इच्छा को मौका मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में पहाड़ों का , कुछ पिछड़े हुये इलाकों का खासतौर से वहां के प्रगति की बात की । लेकिन गोरखपुर जिले की बात यह है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, वहां के लोग बहुत दुबले, पतले और कमजोर हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता , दूध नहीं मिलता और फल नहीं मिलते हैं जहां कि बुन्देलखंड के लोग मोटे तगड़े होते हैं जो कि विरोधी दल की ओर से चुन कर आये हैं और नारा लगाते हैं कि बड़ी भुखमरी है और बड़ी तखलीफ है लेकिन मैं समझता हूं कि

गोरखपुर से बढ़कर तकलीफ लोगों को इन जिलों में नहीं होगी। हमारा क्षेत्र तराई का इलाका है; वहां न सड़कें हैं न अस्पताल हैं और न कोई उद्योग की मिल ही स्थापित हुई है। मैं इस विधान सभा का पहले भी दस साल तक सदस्य रहा हूं और मैं देखा करता था कि जहां के लोग हल्ला करते थे वही फायदा उठाया करते थे। लेकिन म हल्ला करना नहीं चाहता। मैं तो अपन जिल की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं किसी चीज का कारखाना खुला है और कहीं किसी का खुला है लेकिन गोरखपुर में खाद क कारखाने के अलावा कोई भी कारखाना नहीं खुला है।

इसके अतिरिक्त यह है कि पूर्वी अंचल के ३/४ जिले पटेल आयोग में लिय गय ह लकिन गोरखपुर को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इसकी मांग हमने भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से भी की थी। जब माननीय लाल बहादुर शास्त्री गोरखपुर गये थे तो हमने उनसे मांग की थी कि गोरखपुर और बस्ती को भी इस पटेल कमीशन में शामिल कर लिया जाय। हमारे यहां सिंचाई के साधन बहुत कम हैं जिसके कारण किसानों की फसल सूख जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है और कभी बाढ़ आ जाती है और सारी की सारी फसल बरबाद हो जाती है। इससे किसानों की कमर टूटती जा रही है। अभी हमारे जिले में ओले पड़ गये जिस से किसानों की सारी फसल बरबाद हो गई। वहां के किसानों की हालत अच्छी नहीं है। फिरभी दूसरे जिलों म टस्ट वर्क्स खोल दिये गये हैं लेकिन यहां पर और खास तौर से मेरे जिले में कोई टेस्ट वर्क नहीं खोला गया है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां २०० के करीब अदालत पंचायतें हैं और उनमें करीब ७०० चीनी की दुकानें खोली गई हैं और एक-एक दुकानदार को दो दो बोरी चीनी दी जाती है जो चोर बाजार में चली जाती है। अधिकारी कहते हैं कि दो बोरी में उसे केवल ३ रुपये बचते हैं। इस से वह कसे बेंच सकता है? मेरा सुझाव यह है कि दुकानें कम कर दी जायं और एक आदमी को इतनी चीनी दी जाय जिससे वह पचास रुपये माहवार कमा सके। गल्ले की दुकान दी जाती है लकिन राशन कार्ड नहीं बनाये जाते हैं। शहरों में तो राशन कार्ड हैं लकिन यहां नहीं हैं इसलिय चोर बाजारी होती है क्योंकि उसको मुनाफा कम होता है। एक बोरी पर उसको एक रुपया मिलता है लेकिन चार रुपये ले जाने में खर्चा पड़ता है। इसलिये चोर बाजारी होती है। जो दस एकड़ से कम खेती वाले हैं उनको राशन मिलना चाहिये और उनका कार्ड बन जाना चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि एक लाख से ऊपर जो उद्योग में लगे हों उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। पूंजीवाद आज हावी हो रहा है। जितने दूकानदार गोरखपुर में हैं खासकर जन संघ के हैं, लूट रहे हैं, ज्यादातर चोर बाजारी करते हैं और उस झंडे के नीचे छिपे हुये हैं। जिस समय मिट्टी के तेल का अभाव था बड़े-बड़े जन संघ के डीलरों ने दो महीने में लाखों रुपया कमाया। चाहे किसी भी पार्टी के हों, जन संघ के हों, कांग्रेस के हों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हों, अगर चोर बाजारी करते हैं तो उनको सख्त सजा दी जाय। आज जनता कराह रही है। किसानों को न सस्ते दाम पर गल्ला मिलता है और न चीनी मिलती है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि देहाती इलाके में राशन कार्ड बना देना चाहिये जिससे दूकानदार चोरी न कर सकें। बहुत से दूकानदार भोले भाले सभापतियों से दस्तखत करवा लेते हैं कि यह चीज बिक गयी, उसके बाद चोर बाजारी में उसको बेचते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं कि फरेंदा तहसील में कोल्ही से बुजमनगंज, बानी बाजार, मेहदावल होती हुयी सड़क जाती है। उसके बनने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर, को अपने पिछले मुख्य मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त लिख चुके थे कि यह सड़क बनवा दी जाय लेकिन यह सड़क सात आठ वर्ष में भी नहीं बन सकी। इसको बहुत जल्दी बनवा दिया जाय।

*श्री सरजू प्रसाद (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस भाषण को पढ़कर सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह भाषण नहीं है, किसी कवि या लेखक की किसी की प्रशंसा में लिखी हुई गाथा है, गद्य रूप में। जैसे चन्द्रबरदाई ने पृथ्वीराज के विषय में और भूषण ने शिवाजी के विषय में लिखी थी। जो चीजें लिखी गयी हैं उसके बिलकुल उल्टी परिस्थिति है। उसमें लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार की बात कही गयी है। कम से कम यू० पी० में और खासकर मेरठ में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर लोगों को अपना मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। वहां पर वोट खरीदा जाता है, वोटर्स को शराब पिलाई जाती है, पैसा बांटा जाता है और उसको अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक डालने से वंचित किया जाता है। इतना ही नहीं, वहां ऐसा भी हुआ है कि वोटर्स को वोट डालने से रोक दिया जाता है। वहां पर इनके आदमी अपने अपने पक्ष के आदमियों को लट्ठ ले कर गरीबों के घर पर बिठा देते हैं जिससे वे इनके खिलाफ वोट देने न जा सकें। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो यहां तक हुआ है कि दो आदमी ही पूरे गांव का वोट डाल देते हैं और किसी को जाना ही नहीं पड़ता है और सभी के नाम से जाली वोट डलवा दिये जाते हैं। तो इस प्रकार की जहां वोटिंग होती हो वहां पर प्रजातंत्र की बात कहां है? वह तो प्रजातंत्र की हत्या है। हमारे जिले में सन् ६२ में तो ऐसा हुआ कि विरोधी मतों को आने नहीं दिया और अब की उससे एक डिग्री और आगे हो गये कि अब तो किसी आदमी को आने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल दो ही आदमियों ने सालिम गांव के सारे वोट दे दिये। जहां ऐसी स्थिति हो, इतना आतंग और जाल हो वहां पर प्रजातंत्र की बात करना तथ्य से परे है।

रानीखेत की जो बात है, जहां से सी० बी० गुप्ता जी चुनाव लड़े, वहां पर तो उनके प्रतिद्वन्दी के घर तक को जला दिया गया और उन पर गोली तक चलायी गयी। तो जहां पर राजनीति में विरोधी को जान से मारने तक का अपराध किया जाये, उसका घर जलाकर उसका सर्वस्व नाश करने का षडयंत्र किया जाये, वोटर्स को पैसा बांटा जाये, शराब पिलाई जाये, वहां तो प्रजातंत्र कदापि नहीं है और चाहे जो कुछ हो। वह तो स्पष्ट प्रजातंत्र का मखौल है।

खाद्य नीति की जो बात है, उसकी व्यवस्था इतनी गलत है कि उसमें गरीब आदमियों को राशन नहीं मिल रहा है। ७० रुपये मन में अनाज कहां से आता है? वह कंट्रोल रेट से क्यों नहीं आता है? इसलिये नहीं आता है कि वह स्टाकिस्ट के घर जाता है, उससे पैसा लेकर एलेक्शन लड़ा जाता है और यह भी अपनी गद्दी बनाये रखना चाहते हैं और चोरबाजारियों की भी गद्दी बनाये रखना चाहते हैं। जब किसान के यहां अनाज पैदा होता है और वह उसके यहां होता है तो उससे वह सस्ता खरीद लिया जाता है। उत्पादक को कम दाम मिलता है और वह ही गेहूं जब स्टाकिस्ट्स के घर में होता है तब उसका दाम ६५–७० रुपये हो जाता है। मैं एक किसान का बच्चा हूं और खेती करता हूं। मुझे इन सब बातों को देखकर बड़ा दुःख होता है। किसान को मक्का वाले को २४ रुपये मिलता है और गेहूं वाले को मिलता है ३२ रुपये, जो कि इनके उत्पादन में सारी कमर तोड़कर मेहनत करता है, उनकी रक्षा करता है और अपनी जान लगा देता है और जो आदमी कुछ भी काम नहीं करता, केवल गद्दियों पर पड़ा रहता है सब काम मजदूर लोग करते हैं, वह पाता है ६५ रुपये। एक हरामखोर इतना फायदा कमाता है, यह सरकार की नीति है। खाद्य नीति में यह सरकार बिलकुल फेल रही है। इसमें पैदा करने वाले को और खाने वाले को लूटा जाता है और चन्द लोग अंधाधुन्ध पैसा कमाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी जब विपक्ष की सरकार यानी विकल जी की मिनिस्ट्री बनने की संभावना की बात आयी तो अपने आप ही गेहूं का दाम एक दम से १० रुपये घट गये। क्योंकि लोग जानते थे कि यह चोरबाजारियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं होगी। किन्तु जब उन्होंने जाना कि कांग्रेसियों की सरकार बन रही है तो दाम बढ़ गये १० रुपये। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार चोरों की मुहाफिज है।

जहां तक सवाल पैदा होता है सूखे का। हमारा जिला तो सब जिलों में जो अच्छा माना जाता है। लेकिन वहां भी सूखे के कारण दोनों फसलें खराब गयी हैं। पानी की हालत खराब है। मैं अपने गांव में गया। मुझे सरकार की नीयत तो यह मालूम पड़ती है कि पैदावार कम से कम कैसे हो। जब पानी की जरूरत होती है छोड़ा नहीं जाता, कुओं में करेन्ट नहीं छोड़ी जाती, तीन हफ्ते सूखा रहता है और एक हफ्ते चलता है। बम्बे में पानी भी कम छोड़ा जाता है। एक तरफ तो पानी की शिकायत है कि बाढ़ आती है और दूसरी तरफ जहां पानी की जरूरत होती है वहां पानी नहीं मिलता। नाले के पानी ने लोगों को तबाह कर रखा है। अगर सरकार उस पानी को ऊंचा उठा करके सिंचाई में ले तो उससे एक तरफ तो गांव डूबने से बचाया जा सकता है और गांवों में उन मच्छड़ों से जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसको रोका जा सकता है और उस उपजाऊ पानी से अनाज ज्यादा पैदा किया जा सकता है। अगर सरकार पानी की समस्या पर कंट्रोल कर दे, पानी को ऊंचा उठाकर छोड़ दिया जाय तो उस पानी से बहुत कुछ किया जा सकता है।

जहां तक मजदूरों की आजादी का सवाल है, वह एक प्रहसन मात्र है। मोदीनगर को आप देखें। वह भस्मासुर पुरी बना हुआ है। कांग्रेस सरकार ने उस मिल मालिक को भस्मासुर का अधिकार दे रखा है कि जिसके ऊपर हाथ रख दो वह भस्म हो जाय। देश में तो मजदूरों को लेबर कोर्ट में जाने का मौका मिलता है लेकिन मोदीनगर में मजदूरों को कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिलता है। वहां तो जो कातिल है वही हुक्मरां हैं, वही मुंसिफ है। वहां एक कंसीलियेशन बोर्ड बना हुआ है और उसमें आई० एन० टी० यू० सी० के लोग हैं और आई० एन० टी० यू० सी० कौन है, कांग्रेस और मिल मालिकों की मिलीजुली संतान है, दोनों के मेल से मिलकर आई० एन० टी० यू० सी० बना है। उस कंसीलियेशन बोर्ड में आई० एन० टी० यू० सी० के आदमी हैं, मैनेजमेंट के आदमी हैं और खासकर वही आदमी रहते हैं जिनको मोदी चाहता है और जो मजदूर जरा सा सिर उठाता है, मजदूरी, महंगाई, बोनस, छुट्टी आदि के लिये, उसे निकाल दिया जाता है और उस मजदूर को किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक नहीं है। मजदूरों के लिये जो कानून हैं वह इतने डिफेक्टिव हैं कि उनसे पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचता है। वह मजदूरों का गला घोंटने वाले हैं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें अगर किसी की नौकरी छूटती है तो उससे कह दिया जाय कि जब तक तुम अदालत में रहोगे तुम काम नहीं कर सकते। तो वह बेचारा ३, ३ और ४, ४ साल तक बेरोजगार रहकर मुकदमा लड़े, यह हो रहा है लेकिन मोदी नगर में इससे भी आगे है। वहां मजदूरों को कोई हक नहीं है कि कंसीलियेशन बोर्ड के आगे वह जाय। बिलकुल उसी तरह से जैसे भस्मासुर को शिव जी ने प्रसन्न हो कर यह अधिकार दे रखा था कि जिसके सर पर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जायेगा, वहां का भस्मासुर यह कंसीलियेशन बोर्ड है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, बहुत सारे गांव हमारे जिले में ऐसे हैं जहां की आबादी १ हजार है लेकिन वहां एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है और बच्चों को पढ़ने के लिये तीन-तीन चार-चार मील तक जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ऐसी जगह पढ़ने का इन्तजाम होना चाहिये।

जहां तक सड़क का सवाल है, यह सरकार बड़ी-बड़ी सड़कों को तो सजाने में कसर नहीं रखती है लेकिन छोटे-छोटे गांव तक सड़क पहुंचाने में अपनी तौहीन समझती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

इसके पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य का आवाहन करूं, माननीय अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दी है कि सचेतकों के द्वारा नाम आयेंगे । इसीलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे बारबार यहां आ कर या खड़े हो कर अपना नाम देने की कृपा न करें ।

एक सदस्य—

क्या सचेतक नियुक्त कर दिये गये हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आप अपने नेता सदन से पूछिये कि सचेतक नियुक्त हो गये हैं या नहीं ।

श्री गोपाल राम दास (जिला अल्मोड़ा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं । मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान कुमायूं प्रदेश के सूखा पीड़ित इलाके की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसका जिक्र हमारे माननीय साथियों ने यहां पर किया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र खाद्य के मामले में बाहरके ऊपर अधिक निर्भर रहता है क्योंकि वहां पर बहुत कम अनाज पैदा होता है । वहां की जनसंख्या के मुताबिक वहां पर पैदावार नहीं होती है । इसीलिये वहां की जनसंख्या को खिलाने के लिये हमें सरकार या प्रदेश के बाहर से अनाज आयात करना पड़ता है । अभी तक जो अनाज का कोटा वहां पर दिया जाता है वह बहुत ही सीमित कोटा होता है ।वह वहां की जनसंख्या के जरूरत के अनुसार नहीं होता है । इसी के साथ मैं यह भी कहूंगा कि वहां की खाद्य समस्या को और उलझा दिया गया है । वहां पर जब पिछली बार ओला वृष्टि हुई और समय के अनुसार वर्षा नहीं हुई तो हमारे जिलाधिकारियों ने, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने सरकार को इत्तिला नहीं दी कि वहां पर अधिक इलाका सूखे से पीड़ित हैं । उन्होंने यहां तक गवारा नहीं किया कि वह गांवों में जाकर सूखा पीड़ित एरिया और ओला पीड़ित एरिया को देखते । पटवारी या लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर सूचना मिली और जिलाधीश ने यहां सरकार के पास भेज दी । उससे नतीजा यह निकला कि हमारा पहाड़ी प्रदेश सूखा पीड़ित घोषित नहीं किया जा सका । आज अल्मोड़ा के जिलाधीश यह कहते हैं कि हम उस एरिया का सर्वे कराने जा रहे हैं और करेंगे । मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको पहले कहा जा चुका था कि सर्वे कराइये और इसको सूखापीड़ित घोषित कीजिये मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इतनी देर से उनकी नींद खुली । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर खाद्य समस्या या और भी जो समस्यायें हैं उन पर रेवेन्यू विभाग ज्यादा हावी होता जाता है । इस विभाग को ज्यादा कसने की जरूरत है । सब से ज्यादा रेवेन्यू विभाग ही इसमें अपराधी ठहराया जा सकता है । प्लानिंग विभाग को भी इस रेवेन्यू ने फेल कराया । प्लानिंग विभाग में मैं काम कर चुका हूं उसके बारे में बहुत सी बातें सदन के समक्ष कभी अवसर मिलेगा तो रखूंगा । इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम अल्मोड़ा और गढ़वाल क्षेत्रको तुरन्त ही सूखा पीड़ित घोषित करे और उसके बाद वहां ज्यादा से ज्यादा कोटा दिया जाय । वहां पर खाद्यसमस्या को अनाज मोल लेकर हल किया जा सकता है । लेकिन उसके लिये पैसा कहां से आयेगा ? हम तो पहाड़ी इलाके से आते हैं जहां पर लोगों की आमदनी कम है पैसा आता है नौकरी से । हम अधिकांश तो सेना में ही नौकरी करते हैं । उस के बाद दूसरे नम्बर पर सिविल इम्प्लाइज हैं । मगर वहां की जनसंख्या इस कदर बढ़ती जा रही है कि उन लोगों को खिलाना मुश्किल पड़ रहा है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में खनिज पदार्थ काफी मात्रा में हैं और वहां का कच्चा माल हम लोग बराबर बाहर भेजा करते हैं। लीसा, खड़ी और लकड़ी आदि वहां से काफी मात्रा में बाहर जाती है । इन चीजों के उद्योग, मेरा निवेदन है कि, पहाड़ों में ही स्थापित किये जाने चाहिये । इसके साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां का कच्चा माल वहीं

यूटिलाइज किया जाना चाहिये। हमारे यहां उद्योग धंधे बिठाने के लिये भी वहां की शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये और वह शिक्षा उद्योग ओरियेन्टेड होनी चाहिये तभी उस प्रदेश की उन्नति हो सकती है।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का जो आपने अवसर दिया है उस के लिये मैं आप का आभारी हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि तीन दिनों से इस पर यहां बहस हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों के साथ अनेक सुझाव भी यहां प्रस्तुत किये गये हैं। मैं भी सुझावों के रूप में अपनी कुछ बात सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

जिन समस्याओं की तरफ महामहिम राज्यपाल महोदय ने ध्यान दिलाया है मैं ऐसा समझता हूं कि उन पर हम को ध्यान से विचार करना चाहिये। पहले ही वाक्य में उन्होंने कहा है कि "माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकारने इस बात का प्रयास किया है कि प्रदेशकी उन्नति शीघ्र हो। सरकार क्या करने जा रही है इस बात की रूपरेखा सरकार ने तीन दिन में ही प्रस्तुत कर दी है।" मैं सदन से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल के भाषण के साथ साथ विरोधी दल के जो संशोधन उनके अभिभाषण पर आये हैं उन पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि खाद्य के संबंध में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने और इस के लिये आवश्यक है कि सरकार एक ऐसे आयोग का गठन करे कि जिसके माध्यम से प्रदेश में खेती की दशा सुधारी जाय और यहां कृषि की पैदावार बढ़ायी जाय। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे आवश्यक है कि जिस प्रकार से दूसरे बोर्ड बने हुये हैं, खेती का बोर्ड भी उसी तरह से बनायें और निश्चित रूप से आप पता लगायें कि हमारे प्रदेश में, गेहूं, मक्का, ज्वार, धान और जो भी फसल हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य "आप" शब्द का प्रयोग न करें, "सरकार" का प्रयोग करें।

श्री रामकरन—

ठीक है। मैं कह रहा था कि आप इस बात का प्रयास करें और जैसे ठीका का काम दिया जाता है उसी तरह से जो भी काश्त करने वाले लोग हैं उनके मन को बढ़ाने के लिये आप घोषणा करें कि अगर वह लोग पानी, बीज, खाद की जो भी सुविधा चाहें वह दी जायगी। मैं आपको पिछले उदाहरण देना चाहता हूं कि गोरखपुर कमिश्नरी में बड़ी शोहरत हुई और सूखा से बचाव के लिये डेढ़ लाख कुयें खोदे गये। मैं दावे से कहता हूं कि २० रुपये के हिसाब से ३० लाख रुपया बटा, लेकिन पूरी कमिश्नरी के अन्दर एक ब्लाक का ही सर्वे आप करा लें कि कितने कुओं को पैसा बंटा है और किस प्रकार से कुयें खोदे गये और कितनी सिंचाई हुई तो आपको पता लग जायगा कि वास्तव में जो ३० लाख रुपया डेढ़ लाख कुओं पर खर्च किया गया है उसका ठीक इस्तेमाल हुआ है या नहीं। जहां आप योजना बनाते हैं, योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं, मैं समझता हूं कि उसकी खामियों को ढूंढ़ने का प्रयास करना चाहिये वरना २० वर्ष में जैसे तीन योजनायें खत्म हो गयीं, चौथी की भी वही हालत होगी।

दूसरे, नहर और सिंचाई का सवाल है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। जब जरूरत होता है तो पानी नहीं मिल पाता है। नालियां इस तरह से खराब है कि जहां पानी से सींचकर बढ़ाना चाहते हैं वहां पानी गलत तरीके से बह जाता है और बजाय फायदे के नुकसान लोग कर लेते हैं। सड़कों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिये और चौथी सबसे जरूरी बात यह है कि गन्ना उद्योग की तरफ भी ध्यान जाना आवश्यक है। पिछली बार सरकार ने प्रयास किया कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिये। सेन्ट्रल बोर्ड तथा सरकार गयी और आपका

[श्री रामकरन]

जो ज्वाइंट कंट्रोल बोर्ड है उसने भी सिफारिश की, लेकिन चीनी का जो आज उत्पादन है जो पिछले साल, इस साल या आगे तैयार करेंगे उसमें ६ लाख टन की कमी है। इसमें सबसे आवश्यक बात यह है कि गन्ने की कीमत की तरफ ध्यान जाना चाहिये। हर चीज की कीमत बढ़ रही हैं लेकिन गन्ने की कीमत की रफ्तार वहीं पर है। गन्ने के काश्तकार को महंगे दाम पर बीज, खाद खरीदना पड़ता है। इसलिये अगर आप चीनी उद्योग का भला चाहते हैं, चीनी मजदूरों का भला चाहते हैं तो आप केन्द्रीय सरकार और खास तौर से केन्द्र के मंत्रियों पर दबाव डालें और सिफारिश भेजें कि गन्ने की कीमत निश्चित रूप से बढ़नी चाहिये, तभी चीनी का उद्योग बच सकता है, वरना यह खतरा आपके सामने है और खास तौर से पूर्वी जिलों पर तो इसका खतरा रहेगा ही। इसके बाद भूमि भवन कर को छोड़ने की बात का सवाल है, मैं समझता हूं जनता के मन में सरकार के प्रति अच्छा असर पड़ेगा यदि सरकार संयुक्त विरोधी दलों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को मान लें। ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से इस बात की आवाज आती है कि विरोधी पक्ष की तरफ से कोई स्पष्ट रूप रेखा नहीं रखी जाती, कोई सुझाव नहीं रखे जाते। मैं कहता हूं कि हमारी तरफ से जो संशोधन रखे गये हैं उसमें वह सब है। अगर विरोधी पक्ष को सरकार बनाने का अवसर मिला तो वह उन कार्यों को कर दिखायेगी। जिन प्रदेशों में विरोधी पक्ष ने सरकारें बनायी हैं उन्होंने जिन मुद्दों को सामने रख कर सरकार बनायी है उसको पूरा करने का प्रयास किया है।

मान्यवर, माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने अपने कल के भाषण में जो अपने को पुराना समाजवादी आचार्य जी का शिष्य समझते हैं, एक ऐसी बात कही जिसको सुन कर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त की तारीफ करते हुये उन्हें सर्वहारा के प्रतीक की संज्ञा दी। अगर इस प्रदेश में माननीय चन्द्रभानु गुप्त जैसे व्यक्ति को, जिनके पास मोतीमहल हो, कोठी हो, जिनके जन्म दिवस पर ६५ लाख की थैली भेंट हो, सर्वहारा का प्रतीक कहा जायेगा तो लैनिन और मार्क्स को फिर इस धरती पर आना पड़ेगा और समाजवाद की नयी कोई परिभाषा बनानी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि सरकार विरोधी पक्ष के संशोधनों पर विचार करे जिससे देश की जनता खुशहाल हो।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जहां तक कांग्रेस सरकार की आलोचना करने का सवाल है, विरोधी दलों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी बहुमत में हो, उसकी वे आलोचना करें। किन्तु हमारा भी कर्त्तव्य हो जाता है कि जो भी पार्टी बहुमत में हो, जो उसकी नीतियां हों, उनका हम समर्थन करें, सरकार में जो भी कमियां हों उनको सदन के सामने रखें, और मुझे खुशी है कि जहां भी गलती हुई है, हमारे मंत्रियों ने उसको स्वीकार किया है। १९४६ से पहले जो महारथी थे उन्होंने काफी कुर्बानियां की हैं, वे उधर के भी लोग हैं और इधर के भी लोग हैं। परन्तु १९४६ के बाद जिनकी उत्पत्ति हुई है, स्वतंत्रता के जमाने में, जिन्होंने अमेरिका जर्मनी और इंगलैण्ड का साहित्य पढ़ रखा है, वे यही सोचते हैं कि हमें वहां के अनुसार ही सुविधा मिलना चाहिये और उनको उन कष्टों का पता नहीं जो १९४६ से पूर्व अंग्रेजों के जमाने में लोगों ने उठाये थे। यह आपको मानना पड़ेगा और क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि उस वक्त नीलाम होते थे गरीब किसानों के और गरीब हरिजनों के। लेकिन आज हिम्मत नहीं है कि कोई बेगार ले सके। परन्तु सरकार का भी उनके प्रति कोई कर्त्तव्य है। मैं आपको मिसाल देता हूं जैसा कि लोग कहते हैं कि गोकशी बन्द हो। जब हम गाय का दूध पीते हैं और उनके बैलों से खेती का काम लेते हैं तो वह सब की मां है। इसलिये नहीं कि वह हिन्दुओं की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मां है बल्कि मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सभी की मां है क्योंकि सभी उसका दूध पीते हैं । हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोकशी पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इसके लिये कांग्रेस सरकार बधाई की पात्र है और उसके लीडर भी । परन्तु जनसंघ के या अन्य दल कहते हैं कि गोकशी सब जगह बन्द हो । मैं भी यही चाहता हूं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया वैसा ही सब जगह हो जाना चाहिये । परन्तु यह बात भी तो नहीं है कि हम सारी सरकारको एक ही डंडे से हांके । हां, जैसे कि अन्न की समस्या है उसके लिये विरोधी पार्टियों को उसके लिये सुझाव देना चाहियें । हमारी विरोधी पार्टियां तो किसान और मजदूरों के मसले को एक करके लड़ने की ओर लड़ाने की बात करते हैं । उस पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है । मैं तो मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं वे खेतिहर मजदूरों को दी जायं । वे जमीनें केवल किसानों को ही न बांटी जायं, किसानों को आप और सुविधायें खेती बढ़ाने के बारे में दे सकते हैं । मेरा नम्र निवेदन यह है कि कल कारखानों का जहां तक सम्बन्ध है वहां तो यह बात ठीक है परन्तु किसान और मजदूरों को एक स्थान पर ला दें यह नहीं हो सकता । विरोधी पार्टी के लोग यही कहते रहते हैं कि सरकार ने जमीन नहीं बंटवाई । सरकार ने जो जो अच्छे काम किये हैं उसके लिये तो यह हमेशा बधाई की पात्र हैं । इस सरकार ने वे काम किये हैं जो अन्य सरकारें न कर सकीं । इस सरकार ने जमीन्दारी उन्मूलन बिल आदि पास करवाये । यह तो उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिये बधाई की बात है । आप कहते हैं कि महंगाई है । महंगाई क्यों है ? आचार्य दीपांकर जी ने कहा कि चार-चार महीनों से रजबहों में पानी नहीं मिला । मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ही जगहों के ओवरसियरों को तुरन्ट सस्पैन्ड करवाया जाय ।

इसके अलावा सरकार ने वायदा किया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक की हरिजन सदस्य रहेगा, लेकिन सरकार वह सदस्य आज तक नहीं भेज सकी है । क्यों नहीं भेज सके ? मेरा निवेदन है कि कमीशन में एक हरिजन सदस्य यह सरकार तुरन्त नियत करें । अगर आप कहते हैं कि हरिजनों को १८ फीसदी सदस्य स्थान देगें तो दीजिये वरना कहिये मत । आपने फीस माफ की, वजीफे दिये । कितने बड़े ये उत्थान किये लेकिन सबका उलटा असर यह हुआ कि आज वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ हैं और एक आफत मचा रखी है । विरोधी पक्ष के लोग बदनाम करते हैं कांग्रेस की सरकार को और इनके दूकानदारों की दूकानों में, उनके छिपे गोदामों में गल्ला भरा पड़ा है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो यही लोग उसे छुड़ाने पहुंचते हैं । सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट करने वाला है जनसंघ और बदनाम लोग करते हैं गुप्ता जी को । तो आपके भाई बन्द जो ब्लैक करते हैं उनको आप समझा बुझा कर ठीक कीजिये । यहां ईमानदार आदमी को भी वही टैक्स देना पड़ता है जो बेईमान से लिया जाता है । इसमें सरकार संशोधन करे । मकानों पर जो भूमि भवन कर है वह इसे भी हटाना चाहिये वरना शहरों की हालत नहीं सुधर सकती है । मेरा विरोधियों से नम्र निवेदन है कि सरकार की वह आलोचना तो करें पर वहीं करें जहां सरकार की कोई गलती हो । इसलिये आप विरोध सोच समझ कर करें ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हर दल बोलने वालों की सूची आपको देता है । मैंने सुबह एक सूची दी थी । उसका पहला नाम भी सुबह से अभी तक नहीं पुकारा गया है । ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जो लिस्ट आई है उसी के हिसाब से मैंने पुकारा है । पीठासीन व्यक्ति की ओर से यही कोशिश रहती है कि जहां तक हो, सबको अवसर मिले ।

*श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी (जिला लखनऊ)--

श्रीमन्, अभी थोड़ी देर पहले माननीय गोविन्द सहाय जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न नैतिकता की प्रथा का उठाया था । मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों को जनता ने आम चुनाव एक बार नहीं, दो-दो बार हराया है उन्हें नागरिक परिषद् में, जिसमें जनता के लाखों रुपया चीन और पाकिस्तान की लड़ाई के समय दिया था, क्यों भेजा जा रहा है ? उस संस्था के अध्यक्ष पद पर एक ऐसे ही व्यक्ति को मनोनीत किया जा रहा है या कर दिया गया है जो दो दो बार आम चुनाव में हारा है । यह कौन सी प्रजातांत्रिक पद्धति या नैतिकता की बात है ?

दूसरे, उत्तर प्रदेश में ५ नगरपालिकाओं के चुनाव होने चाहिये थे । परन्तु दुर्भाग्य से अभी भी राज्यपाल महोदय के भाषण में इसका कोई संकेत नहीं है कि ये चुनाव कब और कैसे होंगे । आज ये महापालिकाएं प्रशासकों के मातहत काम कर रही हैं । माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है इन महापालिकाओं में । मैं समझता हूं कि यदि सुधार हुआ है तो वह भ्रष्टाचार बढ़ने में हुआ है । जिस प्रकार से मकानों का असैसमेन्ट प्रशासक लोग या उनके कर्मचारी बढ़ा रहे हैं यह यहां के प्रत्येक नागरिक को मालूम है । जब से महापालिकाएं खत्म हुई हैं वहां के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और प्रशासक महोदय को इस बात का भी समय नहीं है कि वह कम से कम लखनऊ के उन क्षेत्रों में तो जाकर देखें जहां आज भी देहात से भी खराब हालतों में नागरिक रह रहे हैं। मेरा इशारा आलमबाग और सआदतगंज से है । वहां कोई भी नागरिक व्यवस्था नहीं है हालांकि वहां के रहनेवालों से टैक्स वसूले जाते हैं और सभी नियम लागू किये जाते हैं जो नगरपालिका के हैं ।

शिक्षकों का संघर्ष काफी अर्से से चल रहा था लेकिन गवर्नर के भाषण में उसके लिये कहीं कुछ नहीं है । उनकी मांग रही है कि एडेड कालेजों में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टीचर्स को वही वेतन क्रम मिलने चाहियें जो सरकारी संस्थाओं में हैं । उसके लिये कोई संकेत इस भाषण में नहीं है । जब तक ये विषमतायें रहेंगी तब तक शान्ति नहीं हो सकती है ।

अभी आपने देखा होगा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने फिर अधिक महंगाई भत्ते की मांग की है । यदि हम समय-समय पर इसके लिये आयोग ही नियुक्त करते रहेंगे तो कितना समय लगेगा और राज्य कर्मचारियों में क्षोभ तब तक बना रहेगा, ये सोचने की बातें हैं । सिद्धान्ततः यह सरकार यह मंजूर करे कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का भत्ता हो उसी अनुपात से राज्य कर्मचारियों का भी भत्ता होगा । समय-समय पर कमीशन मुकर्रर करने की बात उनकी समस्याओं को टालने की बात होती है । मुझे आशा है कि यह सरकार इस ओर ध्यान देगी और राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देगी ।

श्रीमन्, मुझे कई बस्तियों में जाने का अवसर मिला है । हमारी यह सरकार बड़े बड़े प्रचारकीय साधनों का इस्तेमाल करके कहती है कि वह श्रमिकों के लिये बहुत खयाल करती है और प्रचार करती है कि उसने श्रमिकों के लिये आधुनिक बस्तियां बनाई हैं । लेकिन बस्तियां तो बन जाती हैं पर उसके बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता । लखनऊ नगर टिकैतगंज में दो बस्तियां हैं । वहां पर जो फ्लश की व्यवस्था है, वह कोई काम नहीं करती । बस्ती बहुत गंदी है । न तो उनकी देखभाल नगरमहापालिका करती है और न श्रम विभाग ही करता है । महापालिका का कहना है कि उसको वह बस्ती सौंपी ही नहीं गयी है । ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पर जो काम करने वाले हैं वे आफीसरों के यहां घरों पर काम करते रहते हैं, वहां के लोग बड़ी दयनीय और शोचनीय दशाओं में काम कर रहे हैं । इस ओर मैं सदन का विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने भाषण में हरिजनों के बारे में कोई संकेत नहीं किया है कि किस प्रकार से उनकी उन्नति की जायगी। केवल स्टाइपेंड आदि का जिक्र कर दिया गया है । इस प्रकार की चीजों से उनका कोई भला नहीं होता है । मैं अपने विशेष ज्ञान से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में २७ छावनियां हैं उनमें से एक लखनऊ में भी है, उन छावनियों में रहने वाले हरिजनों के लिये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है । न तो उनको गांवों में ही सम्मिलित किया जाता है और न शहरों में ही । इसलिये वहां के रहने वाले और लोगों मिलने वाले लाभ से वंचित ही रह जाते हैं । उनको उद्योग धंधों और मकान आदि के लिये कोई रुपया नहीं मिल पाता । इसलिये उनको या तो देहात से संबद्ध कर दिया जाय या शहरों से संबद्ध कर दिया जाय, जिससे उनको भी लाभ मिल सके ।

हमारे प्रदेश में बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जिनको सरकार कई प्रकार से कार्यान्वित करती है । मस्लन भारत सरकार ने चीनी आक्रमण के समय होम गार्ड्स की स्थापना की थी । नागरिक सुरक्षा के लिये इसकी आवश्यकता थी । लेकिन हमारे यहां पी० आर० डी० भी वही काम करती है इस प्रकार एक ही काम के लिये दो विभाग हो गये हैं । मेरा विचार है कि पी० आर० डी० को समाप्त करके एक होम गार्ड् संगठन को कायम रखा जाय और मजबूत बनाया जाय ।

*कुंवर आनन्दसिंह (जिला गोंडा)---

अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । मुझे एक सूचना देनी है । मैं सरकारी पक्ष से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो लिस्ट उनकी ओर से दी गयी है, उसमें श्री आनन्द सिंह का नाम है, उसी के अनुसार मैंने उनको बुलाया है । हाउस में इस पर कमेंन्ट नहीं होना चाहिये ।

कुंवर आनन्दसिंह---

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हमारा प्रदेश एक किसानों का प्रदेश है, सहकारिता हमारा नारा है और आज की सबसे मुख्य समस्या खाद्यान्न की समस्या है । हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी सहकारी संस्था स्थापित है जिसका नाम गन्ना संघ है, गन्ना समितियां जिसका एक अंग हैं, श्रीमन्, गन्ना इस प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है और इस पर ही तमाम किसानों का भरणपोषण निर्भर रहता है । देश की ५० प्रतिशत शकर हम पैदा करते हैं और जो देश का गन्ने का क्षेत्र है उसका ५५ प्रतिशत से ज्यादा गन्ना यहां बोया जाता है । ७० करोड़ रुपये का गन्ना यहां फैक्टरियों को बेचा जाता है और ९ करोड़ से अधिक रुपये का सालाना टर्नओवर है । गन्ने का मूल्य बढ़ सका और आज उन की दुर्दशा यह है कि किसानों में बहुत असन्तोष है, लेकिन यह बातें दिल्ली सरकार के तय करने की थीं और उन्होंने तय किया । पिछले ३ साल से जो सूखा पड़ रहा है उस से गन्ने की बुवाई पर भी असर पड़ रहा है और इस साल पिछले साल की अपेक्षा आधे से भी कम गन्ना बोया गया है और सोसाइटियों की दशा खराब हो रही है । आज संघ का लगभग २ करोड़ ४६ लाख रुपया लघु सिंचाई योजनाओं में, १७५ लाख रुपया उर्वरकों की कीमत स्वरूप दिया गया है, गन्ने के दाम तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन आज लोग गन्ना बोना नहीं चाहते और उन की दृष्टि दूसरी फसलों की तरफ है । इस से सोसाइटियों का नुक्स यह है कि जो रुपया बांटा गया है उसकी वसूली में दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं और वसूली बिलकुल बन्द हो गई है । इस के अलावा चूंकि रुपया वसूली न होने से वापस नहीं आ रहा है इसलिये नये ऋण के लिये भी सोसाइटियों के पास पैसा नहीं है । अगर सरकार ने इस तरफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[कुंवर आनन्द सिंह]

ध्यान नहीं दिया तो यह सोसाइटियां थोड़े ही दिन और चल सकेंगी और बाद में बैठ जायेंगी । यह संघ अफसरशाही के भी शिकार हैं और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज ५ मास से संघ में कोई सेक्रेटरी नहीं है । संघ ने प्रस्ताव भी कर के भेज दिया लेकिन अभी तक किसी सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं हुई । इसका कारण यह मालूम होता है कि केन कमिश्नर साहब के मन के मुआफिक आदमी उन्हें नहीं मिल रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस संघ में २१ लाख आदमी हैं और सारे भारत की आधी शकर जिस के द्वारा बनती है और जो संघ केवल खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं है बल्कि जिस ने उन्नति के भी तमाम काम किये हैं उस की यह दुर्दशा क्यों है ? गन्ना संघ की बदौलत ही आज सूबे में १२ कालेज, ३१ हाई स्कूल और २० अस्पताल चल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हों तो उसका हवाला दे दें ।

कुंवर आनन्दसिंह---

यह रिपोर्ट नहीं है, यह केवल डेटा है जो मैंने कलेक्ट किये हैं । मैं चाहता हूं कि इस संघ और गन्ना समितियों की ओर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये, मुझे आशा है कि मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे । मेरा अनुरोध है कि ४ करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में गन्ना समितियों के लिये बिना ब्याज के किया जाय तथा अगले सीजन तक हर तरह की वसूली बन्द की जाय और बकाया पर कोई तावानी सूद न लगाया जाय ।

अब मैं कुछ कृषि उत्पादन के विषय में कहना चाहता हूं । इस दिशा में जो कुछ भी किया गया है वह सराहनीय है और हमने हर तरह की कोशिश की कि अधिक से अधिक साधन किसानों तक पहुंचायें । लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतिवर्ष हम लक्ष्य से दूर होते जाते हैं आंकड़े लिये जा सकते हैं और जितना गल्ला हम बाहर से मंगाते हैं वह हर साल बढ़ता चला जाता है और अभी तक हम इस स्तर पर नहीं पहुंच सके हैं कि कम गल्ला बाहर से मंगाना पड़े । अगर, श्रीमन्, पिछले वर्ष में हम एक मन भी गल्ला कम मंगाते या १ मन भी कम मंगाते तो हम कह सकते थे कि हम अगले वर्ष और कम मंगायेंगे । यह सही है कि प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन प्रकृति की दुहाई हम हमेशा नहीं दे सकेंगे । हमें विचार करना है कहीं हमारी नीतियों में कोई दोष रह गया है । हमें उन भूलों को कबूल करके, उनका सुधार करना होगा । प्रकृति अपनी जगह है, कभी खिलाफ होगी और कभी माफिक होगी, लेकिन हमें अपनी नीतियों पर फिर ध्यान देना होगा ।

हमारे यहां की खेती एक अजीब हाल से गुजर रही है । खेती के लिए ३ चीजों की बहुत आवश्यकता होती है । एक खाद, दूसरा बीज और तीसरा पानी । इस प्रदेश में कुछ इस तरह से विभाग बनाये गये हैं कि खाद अलग मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है, बीज कहीं अलग पड़ा हुआ है और पानी देने वाला कोई और है और खेती करने वाले तो अलग हैं ही । तो ये ३-४ मंत्री मिल कर खेती कर रहे हैं । मेरी राय में ये तीनों चीजें एक ही मिनिस्ट्री के अन्डर में होनी चाहिए और यदि इसको यह विभाग बहुत बड़ा विभाग हो जाता है तो इसमें से आप फल संरक्षण और पशुपालन विभाग के काम को अलग निकाल सकते हैं ।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पशुपालन विभाग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । पशुपालन और विशेषतया मत्स्य पालन में हमारा प्रदेश बहुत पीछे है । मैं उन्नतिशील देशों की नहीं कहता, कांगो या मलाया ऐसे देशों में भी प्रति एकड़ ७०-१०० मन मछली पकड़ी जाती है जब कि हमारे प्रदेश में २ लाख एकड़ जो ताल हैं, प्रति वर्ष प्रति एकड़ २ किलो से ३ किलो मछली पकड़ी जाती है । अगर बहुत ज्यादा न करें और १० मन ही कर लें तो हम इस प्रदेश की आय बढ़ा सकते हैं और उसमें उन्नति कर सकते हैं ।

जहां तक खाद्य पदार्थों की समस्या है जिसके लिए प्रोक्योरमेंट की स्कीम की घोषणा की जा रही है। यह जरूरी है कि जिनके पास खाने को नहीं है, उनको अन्न दिया जाय, लेकिन जिनके पास से खाना लिया जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि उनका भी दिल टूट जाय और वे गल्ला ही पैदा करना छोड़ दें, जैसा कि रूस में हुआ था, जिसके बाद तमाम खेत नेशनलाइज करने पड़े थे। इस समय हमें ४ लाख टन की आवश्यकता है, कृषकों से अच्छे दाम पर लेकर उनके दामों को सिफिसडाइज करके उपभोक्ता को कम दामों पर दिया जाय।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने कहा था कि जो नामों की सूची आपके पास पहुंची है, उनको ही बुलवाया जायगा...

श्री अधिष्ठाता---

कृपया आप बैठें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कामतासिंह (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो हम लोगों ने संशोधन दिये हैं ये संशोधन ऐसे नहीं हैं जिनको मानने में कांग्रेसी सरकार को कोई कठिनाई हो। बल्कि वही सब बातें हैं जिनको दूसरी गैर कांग्रेसी सरकारें कर रही हैं और आज जो हमारे प्रदेश की हालत है आज जिस तरह से महंगाई और अन्न का संकट है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और तबाह हैं उसको देखते हुए हमने जो संशोधन रखे हैं इनकी तत्काल आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि अगर हमारे संशोधन मान लिये जायं, शामिल कर लिये जायें तो हमें राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार इन बातों को मानने से इनकार करती है। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश की है वह अन्न की समस्या है। इस बारे में जो उसके स्थायी हल थे उसके लिये हम बहुत दिनों से कहते चले आ रहे हैं कि जमीन बांटिये, उसकी हदबन्दी कीजिये और इस तरह से जो जमीन निकले उसको उनके हाथ में जाने दीजिये जो जांगर चलाते हैं। अगर ऐसे लोगों के हाथों में जमीन जायगी तो पैदावार बढ़ेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बल्कि जब हदबन्दी की गई थी तो हमने सुझाव दिया था कि इस तरह से कीजिये कि जो ३०,३५ लाख एकड़ जमीन निकले वह जांगर चलाने वाली जनता के हाथ में जाये। सिद्धान्ततः चकबन्दी को मानकर चकबन्दी ४० से ६४ एकड़ तक की गई जिससे जमीन नहीं निकली और गरीब जनता को जमीन में कुछ हिस्सा नहीं मिला। अगर आप अन्न समस्या का स्थायी रूप से हल करना चाहते हैं तो जांगर चलाने वाली जनता को जमीन दे दें और अगर आवश्यकता हो तो सीलिंग कानून को संशोधन के जरिये बदलिये।

दूसरी बात यह है कि राजकीय व्यापार कीजिये। इसके बारे में सोचिये जो जमीरेवाज सारा अनाज चुरा कर के अपने गोदामों में रखे हैं और जब बाजार में कमी पड़ती है तो धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई लूटते हैं उन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, आप के बस के बाहर की बात। इसलिये मैं कहता हूं कि राजकीय व्यापार कीजिये। जो परेशान जनता है, उसके लिये राशन की दुकानें खुली हुई हैं १० से २० फीसदी को राशन बांटा जाता है जब कि ५० से ६० फी सदी जनता एम० एल० ए० और तहसीलदार को घेरती है कि हमारे पास अन्न का दाना नहीं है। आज १० फीसदी राशन बांटने का कोई प्रश्न नहीं है इससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सेन्टर पर एक एक दुकान खोलनी चाहिये और १०-२० फीसदी का कायदा लगाये बगैर सब को अन्न दीजिये। यह एक बहुत पुरानी मांग है कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कीजिये।

तीसरी बात यह है कि सिंचाई के बारे में जरूर आपने कुछ इन्तजाम किया, कुछ नहरें, ट्यूबवेल लगाये लेकिन जो आज नहरों और ट्यूबवेल की हालत है वह ठीक नहीं है। ठीक समय पर पानी का इन्तजाम नहीं होता और जब किसान को पानी की जरूरत नहीं है तो नहरें लबालब

[श्री कामताप्रसिंह]

भरी रहती हैं। बलिया में एक दोहरीघाट नहर बहती है जो ठीक समय पर कभी पानी नहीं देती और पिछले समय जब सूखा पड़ा था तो इतनी जोर से पानी आया कि तीन-चार जगह नहर टूट गई। ग्राम बेलसरा और रामपुर के बीच में नहर टूट गयी। जिससे कार्तिक की बोवाई नहीं हुई, उल्टे किसानों पर मुकदमें चलाये गये। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नहर काट डाली और आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि उन बेगुनाह किसानों पर नहर विभाग के कर्मचारियों ने २०हजार रु० जुर्माना किया है। दूसरी बात यह है कि नहर का रेट इतना अधिक है कि दुरेजी गांव में जहां जमीन का लगान २० हजार रु० है वहां पानी का लगान किसान २१ हजार रुपये देते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि आप पानी मुफ्त दीजिये, खाद और बीज का ठीक से इन्तजाम कीजिये और जांगर चलाने वाली जनता के हाथ में जमीन देकर देखिये कि ४–५ साल में कितनी पैदावार बढ़ती है और उसका स्थायी हल निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन यह बात नहीं होती है।

एक दूसरी बात मैं अपने बलिया जिले के बारे में कहना चाहता हूं। जिस तरह से बलिया जनपद अंग्रेजी राज्य में उपेक्षित रहा और उसका कोई खयाल नहीं किया गया उसी तरह से आप भी उस जिले का कोई खयाल नहीं कर रहे हैं। शुरू-शुरू में जब कि आप बहुत दिनों से इस गद्दी पर बैठे हुए हैं यह कहा गया था कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये बलिया का कारखाना चाहिये तो सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि वहां खाद का कारखाना खुलेगा, लेकिन बाद में वह कारखाना भी गायब हो गया। हमारी बहुत पुरानी मांग रही है बलिया में चीनी का कारखाना खोलने की। माननीय मुख्य मंत्री गुप्ता जी ने आश्वासन भी दिया था कि रसड़ा में चीनी का कारखाना खुलेगा, लेकिन वह भी गायब हो गया। दूसरी हमारी बहुत ही पुरानी मांग यह रही है कि यू० पी० से बिहार को जोड़ने के लिये बक्सर के पास गंगा पर एक पुल बनाया जाय लेकिन उसका भी कोई खयाल नहीं किया गया। इसीलिये मैं कहता हूं कि जैसे अंग्रेजी राज्य में हमारा जिला उपेक्षित रहा, वैसे ही आज भी उपेक्षित है। इस सम्बन्ध में खासतौर से मुख्य मंत्री से मुझे शिकायत है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये सर्वहारा हैं। मेरा कहना है कि अगर ये सर्वहारा हैं तो, पता नहीं कि हम लोग किस कोटि में आयेंगे और हम कहां जायेंगे? अगर मुख्य मंत्री जी सर्वहारा हैं तो मैं देखता हूं कि तराई में कुछ थोड़ी-थोड़ी जमीन हम लोगों को जीविकोपार्जन के लिये मिली है लेकिन जब मुख्य मंत्री जी वहां जाते हैं तो प्राग फार्म में जाकर टिकते हैं जिसने लीज पर ४ हजार एकड़ जमीन ले रखी है जब कि वह ८ हजार एकड़ जमीन जोतता है और जिसके लठैत आसपास के किसानों को पीटते हैं, उनके मवेशियों को अपने रास्ते से नहीं जाने देते। वहां जाकर माननीय मुख्य मंत्री जी दो-दो घंटे बैठते हैं और दावतें खाते हैं, लेकिन उनको इसकी याद नहीं आती कि उनके साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वे किसान जो कंधे से कंधा मिला कर प्राग फार्म के पीछे ही झोपड़ियों में पड़े हैं, उन्हें क्या तकलीफ है। मुझे उनके दावत खाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या उनका यह फर्ज नहीं था कि वे ५ मिनटके लिये उन साथी किसानों के बीच में जाकर बैठते जिससे वे गदगद हो जाते?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मुख्य समस्या जो हमारे प्रदेश में है वह खाद्य की है। विरोधी दल के जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनसे मैं ठंडे दिल से कहना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें कि आने वाला जो संकट है, खाद्य के सम्बन्ध में जो परिस्थिति हमारे सामने है उसे किस तरह से हल किया जाय? अगर हर बात

की हम और आप आलोचना करें और बार-बार सरकार के लिये कठिनाई और मुसीबतें पैदा करें तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खाद्य की समस्या को अगर अविलम्ब इस प्रदेश में हल करना है तो इसके लिये आपको तात्कालिक कोई कदम उठाना होगा। मैं बार-बार कहता हूं कि हमारे पूर्वी जनपद में बहुत से प्राइवेट नलकूप लगे हुए हैं। किसान बार-बार दौड़ कर अधिकारियों के पास बिजली के लिये जाता है, प्रार्थना-पत्र देता है, पैसे खर्च करता है अपना समय बर्बाद करता है, लेकिन उसके बाद भी वह बिजली नहीं पाता। जहां तक सरकारी ट्यूबवेल हैं ऐन वक्त पर खराब हो जाते हैं। उसके पास अगर कोई ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उसे बिजली नहीं दी जाती। यह एक बड़ी समस्या है। अन्न आकाश से तो बरसने वाला नहीं है। बाहर के भरोसे से हमारा प्रदेश और देश पराबलम्बन की नीति अपना कर कब तक काम चलायेगा? किसान को तात्कालिक सहायता देनी होगी। अच्छे से अच्छी खाद, अच्छे से अच्छा बीज और सस्ते रेट पर बिजली और पानी की व्यवस्था करनी होगी। जब तक हम इन समस्याओं का तात्कालिक इन्तजाम नहीं होता है तब तक खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है। अगर आपका राज्य जिस तरह से पिछले १५ साल से चल रहा है उसी तरह से चला और सरकारी कर्मचारियों का रवैया वही रहा, तो मैं कहता हूं कि यहां तक तो डूब चुके हैं, बाकी भगवान भला करेगा। एक-एक कागज फाइलों में दो-ढाई साल तक पड़ा रहता है, किसान कराहने लगता है और किसान को सहायता नहीं मिल पाती। १५ तारीख को हमारे क्षेत्र में वोटिंग हुई। १७ तारीख को एक किसान जिसका नाम सियार नुनिया था उसकी भूतपूर्व जमींदार के लठैतों ने हत्या कर दी। जमींदार ने देखा कि किसान मर गया तो उसने अपने गन्ने के खेत में आग लगा दी और लाश लेकर थानेदार के पास पहुंचा और यह कहानी गढ़ी कि इसने आग लगाई थी। ५ हजार रुपये उस थानेदार को दिये गये। लेकिन जब यह बात डी० एम० से बताई गयी तो थानेदार मुअत्तल किया गया और दूसरा थानेदार आया, हत्या का मुकदमा कायम हुआ ११ आदमियों पर और ८ आदमी पकड़े गये। लेकिन दो-तीन आदमी जिसमें जमींदार भी था पैसे के बल पर बाहर रहे और १ महीना ७ रोज बाहर रहे। नये थानेदार ने ए० डी० एम० (जे०) के यहां ८७/८८ की कार्यवाही के लिये पर्मीशन चाही लेकिन पर्मीशन नहीं दी गयी। फिर वह जमींदार एम० डी० ए० (जे०) की अदालत में हाजिर हो गया और जमानत पर छूट गया। मैं आपका ध्यान ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो संविधान की मर्यादा भंग करते हैं, गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। ए० डी० एम० (जे) देवरिया के द्वारा जमानत ले लेना ३०२ के मुकदमें में कोई मामूली बात नहीं है। खाद्य मंत्री जी से इस दर्दभरी कहानी का जिक्र किया गया, डी० एम०, देवरिया को बतलाया गया कि ए० डी० एम० (जे), देवरिया लम्बी रकम खा गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ए० डी० एम० वहां प्रसन्नता से घूम रहा है। यह प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, इसकी ओर आपको ध्यान देना होगा और कड़ाई से कदम उठाना होगा। प्रदेश में जो भ्रष्ट प्रशासन चल रहा है उसे खत्म करना होगा। इसमें विरोधियों की भी सहायता देनी होगी। मुझे ताज्जुब होता है कि प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट सभी समाजवाद की बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बाहर लड़ते हैं लेकिन यहां गठबंधन किये हुए हैं। आप कैसे समाजवाद लायेंगे? आपका गठबन्धन तो ऐसे दलों से हुआ है जो इस देश में फासिज्म लाना चाहते हैं। इसलिये अगर आपको समाजवाद लाना है, गरीबी मिटाना है तो आपको ऐसे तत्वों से गठबन्धन छोड़ना होगा वरना यहां फासिज्म आयेगा और देश के इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों से लिखा जायगा। इसलिये मैं आपका आवाहन करता हूं आप हमारे साथ आओ और हमारे साथ मिल कर समता और स्वतंत्रता लाओ और इस देश और प्रदेश से फासिज्म का सफाया करो तभी गरीबों का राज्य होगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का गन्ना सब से बड़ा उद्योग है और बड़ा भारी संकट किसानों पर आया है। एक भाई ने कहा कि गन्ने का दाम साढ़े तीन रुपये मन होना

[श्री राजदेव]

चाहिये। मैं कहता हूं कि गन्ने का दाम कम से कम चार रुपये मन होना चाहिये और अगर चार रुपये मन का दाम आप ने नहीं दिया तो पूर्वी जिलों की सारी फैक्टरियां बन्द हो जायंगी। आज किसान जब स्वयं गन्ना पेरता है तो उसे ४, ५ रुपये मन का औसत पड़ता है। इसके अलावा उसे खोइया मिलती है, महिया मिलती है, रस मिलता है। तो फिर क्यों तीन, साढ़े तीन रुपये मन में वह अपना गन्ना फैक्टरी को देगा? आप सरकार की बुराई करते हो। माननीय गेंदासिंह जी बैठे हैं, इनको हमने खाद्य का सारा भार दे रखा है। कल तक तो ये आपके साथ थे। आप जरा इन्तजार तो करें। कल तक ये आपके सब से बड़े नेता थे और आज हमने भी खाद्य की जिम्मेदारी इनको दी है। इसलिये आप इनकी सहायता करें। अन्त में मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि गन्ने का दाम अगर ४ रुपये मन नहीं किया गया तो प्रदेश में सारी फैक्टरियां बन्द हो जायंगी।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री चेतराम पचपेड़ा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं कि मुझे आपने समय दिया और इस अवसर पर मैं ईश्वर से एक प्रार्थना भी करूंगा कि वह बजाय थोड़े टाइम के आपको इस कुर्सी पर पूरे पांच वर्ष के लिये आसीन कर दे।

मैं इस सदन के लिये एक नया व्यक्ति हूं, अभी अभी चुन कर आया हूं और मैं आपके द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर जो मेरे मन में विचार उत्पन्न हुये हैं उनको सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मैं इसमें कितना सफल होऊंगा, ईश्वर मेरी मदद करे। मैं यह समझता हूं कि जैसे फेस इज दि इन्डेक्स आफ मैन उसी प्रकार से राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की तमाम पालिसी का द्योतक होता है। मैं समझता हूं या कि प्रदेश के सामने आज जो समस्यायें हैं उनके हल करने के लिए कोई क्लियर-कट बात इसमें होगी, लेकिन ऐसी कोई बात मुझे इसमें पढ़ने के बाद नहीं मिली, सुनने का तो सौभाग्य हुआ ही नहीं था क्योंकि हम लोग उठ कर चले गए थे। तो मुझ जैसे नए आदमी को जब इतनी निराशा हुई तो मैं समझता हूं कि पुराने व्यक्तियों को कितनी निराशा हुई होगी। जो निराशा उत्पन्न हुई है इसीलिए उन लोगों ने संशोधन पेश किये हैं। वह कांग्रेस की पक्ष की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बात साबित हो रही है कि एक ही फिकरा कहा करते हैं कि मैं इस ओर से खड़ा हुआ हूं और जितनी गाली वे दे सकते हैं, देते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, यहां बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं और पोलिटिक्स तथा सिविक्स के विद्यार्थी जानते हैं कि गवर्नर के अभिभाषण में, मैं समझता हूं कि संविधान की अवहेलना की गई है। इसमें हमने देखा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें यह है कि इक्वेलिटी होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य बीच से न आयें।

श्री चेतराम पचपेड़ा---

एजूकेशन में मामले में हमने देखा है कि एजूकेशन का सिस्टम गलत है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि इक्वेलिटी का ध्यान इस अभिभाषण में नहीं रखा गया है। प्रदेश में बहुत सी ऐसी प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनमें न तो मास्टर हैं, न बिल्डिंग है और न फर्श है और दूसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जो मन्त्रियों के तथा बड़े-बड़े आफिसर्स के बच्चे हैं वे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जैसे किंडरगार्टन, के हैं, मोंटेसरी स्कूल हैं जहां हर तरह की पूरी-पूरी सुविधाएं हैं। ऐसे प्रदेश में जो जमहूरियत का दावा करता है और कहा जाता है कि हम इक्वेलिटी लाना चाहते हैं वहां छोटी-सी चीज एजूकेशन तक में यह चीज नहीं ला पाए हैं। हम देखते हैं कि तालीम आज दूषित होती जा रही है। क्या हमारे सरकार कामना करती है ? क्या वे बच्चे जो प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ते हैं और वे लड़के जो नैनीताल वगैरह में इंगलिश स्कूलों में पढ़ते हैं उनको अपने जीवन में उन्नति करने का समान अधिकार मिल सकता है और उनकी समान योग्यता हो सकती है ? यह एक अभिशाप है और यह अच्छा नहीं है।

मुझे दुख है कि हमारे यहां तनख्वाहों में जमीन आसमान का अन्तर है। हम रोते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। हमने देखा है कि एक तरफ तो चौकीदार की तनख्वाह वही तीन रुपए माहवार चली आ रही है और दूसरी ओर मिनिस्टर, कमिश्नर और कलेक्टर वगैरह को देखते हैं तो उनको १,५००, २,००० रुपए तनख्वाह मिलती हैं। जितनी उनकी तनख्वाह है उतने ही उनके बड़े भत्ते और उपलब्धियां हैं। मैं चाहूंगा कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे विदेशों में हमने देखा है कि जर्मनी में ३०० रुपए मिलते हैं, रूस के स्टैलिन केवल २०० रुपए लिया करते थे और इंग्लिस्तान में ३०० रुपए लेते थे उसी तरह से यहां भी होना चाहिए। हम जनतन्त्र के हिमायती हैं और समानता की बात करते हैं तो तनख्वाहें भी बराबर होनी चाहिए। दूसरे प्रदेशों में अपोजीशन की सरकारों ने तय कर दिया है कि ५०० रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। तो फिर यहां क्यों खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ? आप क्यों मौन धारण किए हुए हैं आप जनता को बुरी तरह से चूस रहे हैं। हमने देखा है कि यहां कोई समानता नहीं है।

मैं कुछ मंहगाई के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे साथी रोज महंगाई के बारे में चिल्लाते हैं। मैं भी मंहगाई के बारे में यह कहना चाहता हूं यह सुरसा की रूप धारण किए हुए हमारे सामने खड़ी हुई है। हम देखते हैं कि जो मंहगाई के लिए चिल्लाया जाता है अनाज की मंहगाई के बारे में एक प्रश्न आया है। मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां किसानों में ८५ फीसदी खेतिहर मजदूर हैं। इस कांग्रेस शासन के समय में मंहगाई का चहुमुखी विकास हुआ है। हम देखते हैं कि सभी चीजों के दाम चौगुने हो गए हैं, चाहे अनाज हो, कपड़ा हो, तेल हो, बीड़ी सिगरेट या दूसरी चीजें हों। उसको रोकने का सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

आगे मैं एक बात अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर राममूर्ति जी सामने बैठे हुए हैं। मैं बरेली जिले में नवाबगंज क्षेत्र से आया हूं। मुझे खुशी है कि राममूर्ति जी बरेली के ही हैं। हमने सुना है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अविकसित क्षेत्रों की खोज करता है। मुझे ताज्जुब है कि उस डिपार्टमेंट को नवाबगंज नजर क्यों नहीं आया ? वहां १९ वर्षों से कोई भी विकास नहीं हुआ है। हां, एक कस्बा है जिसके चार हजार वोट हमेशा कांग्रेस को मिलते हैं, लेकिन वहां के निवासी जब स्टेशन जाते हैं तो धूल में सन जाते हैं। परशुराम की तरफ एक गांव है वहां चौधरी राना साहब से हमारे मन्त्री जी वादा कर आए थे ओलों के कारण लगान माफ कर देंगे। पहला लगान तो अभी तक माफ नहीं हुआ और दूसरा ओला फिर पड़ गया। सरकार उसकी ओर ध्यान दे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गेंदासिंह)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल जी को धन्यवाद देने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए या अन्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

प्रकार से अन्न की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दिए। काफी अच्छे सुझाव आए। कुछ आलोचनाएं भी हुयीं। सरकार लाभ उठाएगी। परन्तु कुछ भ्रांतियां भी हैं और कुछ कठिनाइयां भी हैं सहायता के सम्बन्ध में।

(इस समय ३ बज कर ४० मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सहायता के लिए कुछ कहना चाहूंगा। इसमें शक नहीं कि प्रदेश में अन्न की कमी है। वह इस सीमा तक है कि कभी-कभी माननीय मित्रों ने यह भय भी बताया है कि भूख से मौत भी हो सकती हैं। यह बहुत ही भय की बात है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और असाधारण स्थिति प्रदेश में विद्यमान हो तो कुछ असाधारण तरीके पर सब को सोचने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सन्देह नहीं कि असाधारण स्थिति इस समय है। दो लगातार सूखे रहे और बाहर से भी अन्न मिलने में जो कठिनाई हुई इसने यह विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। अब उसमें श्रीमन्, कुछ उपाय.....

एक सदस्य---

जमीन के नीचे पानी है, आप उसे ऊपर लाइए।

श्री गेंदासिंह---

उसके लिए भी यत्न हो रहा है, लेकिन उसमें आपकी सहायता चाहिए। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि सबसे पहले उत्पादन की बात है और उत्पादन के सिलसिले में मैं एक मिनट में एक बात कहना चाहूंगा कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार सिद्धान्त रूप से कुछ बातें प्रतिपादित की गयी हैं लेकिन उसका कुछ मुख्य विरोधी दल जो इस देश के हैं और खासकर इस प्रदेश के हैं, उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने इसका प्रतिपादन किया कि कभी भी छोटे खेतों से बड़े खेत न किए जायं। उन्होंने सहकारिता का पूरी ताकत से विरोध किया।

एक सदस्य---

सहकारिता का नहीं। केवल सहकारी खेती का विरोध किया।

श्री गेंदासिंह---

जब तक छोटे खेतों का भी कुछ इलाज न किया जाय उत्तर प्रदेश का कुछ इलाज होना सम्भव नहीं है। बिना छोटे खेतों का, छोटे खेतिहर का उत्पादन बढ़ाए, बिना उनकी दयनीय स्थिति के सुधारे तो श्रीमन्, समाजवाद हो जायगा थोथा। किसी भी प्रकार से इस प्रदेश में, इस देश में जो सबसे नीचे का दबा हुआ आदमी है, यदि उसकी उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ सकती तो क्रय शक्ति भी नहीं बढ़ेगी और यदि खेती में ऐसी ताकत नहीं आती है तो कैसे उनको ऊपर उठाया जाय?

एक सदस्य---

सबको साधन उपलब्ध कराइए.....

श्री गेंदासिंह---

आपसे तो विचार विनिमय करने का मैं बड़ा भाग्य समझता हूं। आप कभी आइए और कहिए। लेकिन यहां पर जो मैं कह रहा हूं, उसको आप सुनें और उसके उपरान्त आप जिस प्रकार से उचित समझें उसका उत्तर दे सकते हैं। हमारी खेती का जो ढंग है, अभी हम बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं तो किस प्रकार से छोटे किसानों को ऊपर उठाया जा सकेगा? बड़े किसानों के पास सामर्थ्य है। यहां पर जब भी चर्चा होती है, मैं अपने मित्रों से क्षमा चाहूंगा सिवाय बिजली और उसके अतिरिक्त कभी भी चर्चा सदन में नहीं सुनी। एकड़ आध एकड़,

दो एकड़ और ५ एकड़से नीचे का जो किसान है उसको बिजली से क्या काम ? वह ट्यूब वेल नहीं बना सकता है। यह ठीक है कि बड़े सिंचाई साधनों से उसकी सहायता हो सकती है और बड़ी सिंचाई की भी अपनी एक सीमा है। यह एक प्रश्न है जिस पर हमें बड़े गौर से विचार करना चाहिए कि व्यक्तिगत खेती के लिए साझे का पानी कहां तक लाभदायक होगा ? वह चाहे ट्यूबवेल का हो चाहे नहर का हो। मझली सिंचाई का वह सारा कार्य ऐसा नहीं है कि जब किसान चाहे अपने खेत में पानी डाले। तो इनका बहुत बड़ा अनुभव करने के बाद सरकार को इसकी अनुभूति हुई है और उसके फलस्वरूप इस बार कृषि योजनाओं में लघु सिंचाई व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी रकम नियत की गयी है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

आप अपने वर्तमान उत्तरदायित्व के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। आप उत्पादन को छोड़ कर वितरण व्यवस्था के बारे में कुछ कहें, उस पर प्रकाश डालें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न इतना बहुत हो गया मन्त्री जी।

श्री गेंदासिंह—

जब टम्बरेश्वर प्रसाद जी कुछ कहते हैं, तो मैं उससे बहुत प्रभावित होता हूं। लेकिन निवेदन है वह फिर जरा स्पष्ट कर दें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इस समय तक आप उत्पादन की जिम्मेदारी निभा रहे थे किन्तु अब आप वितरण की निभा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, अनाज के दामों के बारे में कुछ प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि गुप्ता जी ने आपको जो इसके योग्य समझा है।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, वही मैं निवेदन करने जा रहा हूं। वितरण तो तब हो जब जेब में कुछ हो। जब थैली में कुछ आ जाए तब मैं उस समय भाई टम्बरेश्वर जी से सलाह लूं। तो मैं कह रहा था कि हमारे देश में खेती करने का जो तरीका है उसमें केवल एक अपील करना चाहता हूं कि छोटे किसानों के ऊपर उठाने की बात होनी चाहिए और इसी वजह से सरकार ने एक फैसला किया, हो सकता है कि उसमें किसी को शिकायत हो, लेकिन यह किया गया कि जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनको २० रुपया की सहायता कर दी जाय जिससे वह कच्चे कुयें खोद सकें। आज यह फैसला गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार की सिफारिश पर किया है कि २५ लाख रुपया अब वे उन लोगों को देना चाहते हैं जहां कच्चे कुओं को लोग पक्का करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आज सबसे उत्तम कार्य यही है कि हम अपने उत्पादन के कार्य को बढ़ाने की चेष्टा करें। आपको कृषि मन्त्री जी को भी सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन एक दिशा उन किसानों को जो भाई टम्बरेश्वर जी की श्रेणी के हैं दिखाई देने लग गयी है कि अब एक उदय होने वाला है और एक ऐसा जमाना आने वाला है जब कि उत्तर प्रदेश की खेती से हम अपनी जरूरत के अनाज को पूरा कर सकेंगे। लेकिन जब तक नहीं पैदा कर पाते और दूसरों से लेकर बटवारे का प्रबन्ध करना है तब तक तो शिकायतें होंगी ही। श्रीमन, मैं आपसे उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि आज उत्पादन जो हो रहा है उसमें कमी है। उसमें शिकायत का होना स्वाभाविक है। आज इस समय १० हजार के लगभग फेयर प्राइस शाप्स चल रही हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि इनमें से कितनी दूकानें ऐसी हैं जिनके बारे में शिकायत नहीं है। लेकिन किया क्या जाय ? कुछ लोग कहते हैं कि दूकानें बन्द करो। लेकिन अगर बन्द करें तो जो जरूरतमन्द हैं उनके पास गल्ला पहुंचे कैसे ?

श्री चन्द्रबली—

उनको नहीं मिल रहा है। कार्ड सिस्टम चालू कीजिए।

श्री गेंदासिंह—

कार्ड वाली बात मैं भूला नहीं हूं। उस पर भी आऊंगा।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

गल्ला है ही नहीं तो कार्ड बांट कर भी क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे इस तरह से बीच में माननीय मन्त्री जी को रोकेंगे तो जो सूचनायें उनके पास हैं उनके पाने से आप वंचित रह जायेंगे।

श्री सरजूप्रसाद—

गल्ले की कमी बिल्कुल नहीं है मन्त्री जी, अगर है तो ७० रुपए मन में वही चीज क्यों मिल जाती है?

श्री गेंदासिंह—

मैं सरजूप्रसाद जी से कहूंगा कि वे तो पक्के समाजवादी हैं। वे मेरठ जिले में १०, २० किसानों के घरों से गल्ला निकलवायें। अगर कमी नहीं है तो फेयर प्राइस शाप्स क्यों हैं? (श्री राकेश द्वारा कुछ कहने पर) राकेश जी, कृपया मुझे सुन लें। मैं समझता हूं कि कमी है। यह सूखा पड़ा है। अब दिन में जिसको दिखाई न दे वही कह सकता है कि अन्न की कमी नहीं है। दो वर्ष से सूखा पड़ा और आज सारे देश में हाय-हाय मची हुई है और उस वक्त भी कहा जाय कि कमी नहीं है तो फिर क्या कहा जाय? मैं कहता हूं कि कमी के इस जमाने में बन्दोबस्त करना पड़ेगा कि हम लोगों के पास जो है उसे कैसे पहुंचावें। इसलिए मैं समझता हूं कि आज हम भारत सरकार से या दूसरे लोगों से मांगकर जो भी अन्न मिल पाता है उसको पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। यह बात सही है कि सरकार इस कमी को समझती है और यह भी समझती है कि माननीय सदस्यों की इस काम में सहायता ली जाय। दूकान खोलने के मामले में उनकी सहायता ली जाती है। दूकानों के ऊपर किस तरह से बटवारा हो रहा है उस बटवारे के सिलसिले में माननीय सदस्यों की सलाह ली जायगी। इस तरह के आदेश दिए गए हैं जिलों में कि माननीय सदस्यों की राय ली जाय। जब माननीय सदस्य जिलों में वापस जायेंगे तो पायेंगे कि उनसे सहायता मांगी जा रही है। अगर किसी तरह से किसी दुकान के ऊपर गड़बड़ हो रही है, उन दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जरूरत है, वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके विषय में उनसे सलाह मशविरा किया जायगा। अगर किसी प्रकार की कार्यवाही करने की जरूरत है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

कुछ यहां पर यह चर्चा हुआ कि सरकार के हाथ में अन्न के मामले को दे दिया जाय। यह बड़ा सवाल है। इस समय मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। स्टेट ट्रेडिंग की हमारी योजना है। वह चीज होनी चाहिए, लेकिन वह बड़ा काम है और आज सरकार इसको हाथ में लेती है तो उसका कुछ तरफ से विरोध होगा। उस बड़े काम को यदि छोटे तरीके पर शुरू किया जाय तो अच्छा है। सरकार उसके लिए सोच रही है और आपकी सहायता मांग रही है। सरकार सोचती है कि समूचे उत्पादकों में से ऐसे उत्पादक जिनके पास बाजार में ले जाने के लिए सरप्लस पैदा होता है उनसे कुछ अनाज मांगा जाय और उनको एक ऐसी कीमत दी जाय जिसमें उनको घाटा न पड़े और इतने ऊंचे भी दाम न दिए जायं जिससे कीमत बाजार में ऊंची हो जाय.....

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रथा ठीक नहीं है। अगर माननीय मन्त्री जी बैठ जायं और आपको आमन्त्रित करें तभी आपको कुछ कहने की इजाजत हो सकती है, वरना आप खड़े न हों।

श्री गेंदासिंह—

मैं नाम आपका नहीं जानता हूं लेकिन यदि कोई सलाह आप देना चाहते हों वह शिरोधार्य है पर इसके साथ ही अगर कोई सलाह इधर से दी जाय तो उसको भी सुनने के लिए आप को तैयार होना चाहिए। इस समय मैं आपको न्यौता दे रहा हूं। आप मुझे सुन लें। हम उस अनाज का बटवारा करें और उन लोगों में उस अनाज का बटवारा करें जो अन्न उत्पादन के काम में नहीं लगे हुए हैं। छोटे खेतिहर मजदूर हैं। छोटे किसान हैं जो इतनी खेती करते हैं कि उनके पास अनाज नहीं रहता अपने खाने के लिए। तो उन आदमियों को अन्न देने के लिए आखिर हम कहीं से, किसी जगह से तो अन्न लायेंगे। एक तो हम भारत सरकार से अन्न मांगते हैं। जितना भी वह अन्न दे उनसे मांगा जाय लेकिन भारत सरकार की भी एक शर्त है। वह यह कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अन्न है और वह बाजार में जाता है तो उस अन्न को स्वयं यह सरकार क्यों न खरीदे। वह कहते हैं कि सरकार इस बात की कोशिश करे कि सारा का सारा अनाज वह प्राइवेट बाजार में न चला जाय और ऐसे लोगों के हाथ में न चला जाय जो बाजार में उससे लाभ उठाएं। तो यह स्थिति है जिस पर हम सभी को विचार करना है और सोचना है। आज इस बात का प्रयत्न किया जाय कि जो अन्न सरप्लस है, जिनके पास कुछ अन्न बच रहता है उनसे उसको प्राप्त किया जाय। चाहे ऊपर के किसानों से यह कहा जाय कि वह अन्न व्यापारी के पास न जाय। व्यापारियों के पास यह तो नहीं हो सकता कि अन्न जाये ही नहीं लेकिन एक सीमा तक सरकार के पास वह अन्न आना चाहिये ताकि वह गरीब लोगों को और शहर के लोगों को, जो उत्पादन में नहीं लगे हुये हैं, उनको उपलब्ध हो सके। इससे कीमतें इतनी नहीं चढ़ने पायेंगी जितनी कि आजकल चढ़ जाती हैं। यह स्टेट ट्रेडिंग के लिये एक कदम है, पहला, जिसे मैं समझता हूं कि सदन का आशीर्वाद मिलना चाहिये।

इसकी बहुत आलोचना हुई कि छोटे लोग पकड़ गये और बड़े नहीं पकड़े गये। यह बात नहीं है। कुछ छोटे लोग इसलिये भी पकड़े गये कि ऐसा समझा गया कि वे बड़े लोगों की मदद में हैं और बड़े लोगों का माल उनके यहां जमा है। कुल ४० हजार क्विन्टल अनाज निकला और यह बड़े-बड़े लोगों के घर से ही निकला है। बड़े जखीरे बड़े लोगों के यहां से ही मिले हैं।

एक सदस्य—

बड़े लोगों को पकड़ने में आपके हाथ कांपेंगे।

श्री गेंदासिंह—

न हाथ कांपे हैं और न कभी कांपेंगे।

श्री महीलाल—

अगर हाथ नहीं कांपे तो उन लोगों को पकड़ने के बाद रात में ही जमानत पर क्यों छोड़ दिया गया?

श्री गेंदासिंह—

मैं महीलाल जी से कहना चाहता हूं कि जिसको वह पकड़वाना चाहते थे वह पकड़ गया। उन्होंने जिस समय मुझसे कहा, मैंने तुरन्त इस बात का प्रयत्न किया कि असल अपराधी बचने न पाये। अब सवाल यह है कि उस अनाज को बेंचें कैसे। हमने उसे बेचने

[श्री गेंदासिंह]

का भी प्रबन्ध किया। हां, यह ठीक है कि उसके लिये हमने अदालत में दरख्वास्त दी और अदालत ने कहा कि इस भाव पर तुम अनाज बेचो। इस बारे में अदालत में और सरकार में थोड़ा मतभेद है। अगर अदालत ने किसी को जमानत पर छोड़ दिया तो यह उसका काम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह चाहूंगा कि समय चार के करीब है। अगर आप ५ मिनट में समाप्त कर लें तो बाकी कामरोको प्रस्ताव आदि हम चार बज कर पांच मिनट पर ले लेंगे।

श्री गेंदासिंह—

मुझे ५, ७ मिनट मिल जायं तो अपनी बात समाप्त कर दूंगा। तो उस पकड़े हुए अनाज को बेचने का आदेश जो अदालत ने दिया वह यह था कि वह १ रुपये २० पैसे से १ रुपये ३० पैसे तक के भाव पर बेचा जाय। उसे बेचने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहां, मैं एक बात का और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। स्मगलिंग के लिये जो ट्रकों का इस्तेमाल होता है उन ट्रकों को किस तरह से कब्जे में लाया जाय, इस सवाल पर हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। और अगर वह कानूनी सलाह मिल गयी तो उसके लिये हमें कुछ प्रबन्ध करना पड़ेगा। संभव है कि इसके लिये हमें कानून में कुछ परिवर्तन भी करना पड़े तो उसके लिये हम फिर आपके सामने आयेंगे। श्रीमन्, सिर्फ इससे काम नहीं चलता कि कोई दूकान कैंसिल कर दी जाय। हम इस बात पर भी सलाह ले रहे हैं कि ब्लैक करने वाले की सिर्फ दूकान ही कैंसिल न की जाय बल्कि उसको अपराधी मान करके अदालत तक पहुंचाया जाय और उसको सजा दिलाने का भी प्रबन्ध किया जाय। लेकिन जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो उससे कोई-कोई गलती हो सकती है। रुस्तम साहब इस वक्त नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर बनारस में कुछ लोग पकड़े गये तो थोड़ा पीठ तो ठोकें। अगर अच्छा काम हुआ तो यह तो कहें कि अच्छा हुआ। बुरे को बुरा कहेंगे ही और उसमें भी हम आपकी सलाह से फायदा उठायेंगे। तो यह जो बड़ा काम हो रहा है उसमें जो गल्ला एकत्र किया जाय उसका उचित बटवारा भी किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि बटवारा निर्दोष है, लेकिन निर्दोष करने के लिये अकेली कोई सरकार इसमें सफल नहीं हो सकती। हां, सरकार का हिस्सा ज्यादा रहेगा लेकिन उधर बैठने वाले जो माननीय मित्र हैं उनकी सहायता की बड़ी भारी आवश्यकता है, वह बटवारे के काम में और एकत्र करने के काम में भी यथासाध्य मदद करें। जो ऐसे अपराधी लोग हैं कि जो लोगों से उगाह करके इकट्ठे किये गए अनाज को दूसरी तरफ से ले जा रहे हों तो उनको सजा दिलाने में हम कोई और कसर नहीं उठा रखेंगे।

एक सदस्य—

आप परिचित चेहरों को ही बुलाते हैं और अपरिचित चेहरों को नहीं बुलाते, मैं तीन दिन से खड़ा होता हूं और मेरा नाम आ रहा है, मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

यह मौके का समय नहीं है, कुछ कामरोको प्रस्ताव लूंगा, बाद में आपसे बात होगी। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

श्रीमन्, आपके सामने नये-नये सदस्य आ रहे हैं और कल का सिर्फ समय है। हम सवा चार सौ सदस्य आये हुये हैं और ४ दिन के समय में ३, ४ मिनट प्रत्येक सदस्य के हिस्से में पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि सबको बोलना ही चाहिए लेकिन यह विधान सभा एक दुःख-दर्दों की परिचायक और विधायक शक्ति है, तो समय जरूर दिया जाय और अगर ऐसा

न हो सके तो समय ६ घंटे जो हैं उसके बजाय १६ घंटे विधान सभा चलायी जाय, तो किसी को एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

अश्वनीकुमार जी, आप यह बात समझ लें कि यह बहुत अच्छी स्वस्थ बात है कि आप लोगों के अन्दर बोलने की इच्छा है, लेकिन गवर्नर के भाषण पर जो वाद-विवाद है यह हमेशा ही होता रहा है और इसके लिये अधिक से अधिक समय जो ४ दिन का दिया गया है वह मैंने निर्धारित कर दिया है। उसमें अधिक से अधिक जितने बोल सकेंगे, बोलेंगे।

उत्तर प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचनार्थ अभ्यर्थियों के अतिरिक्त नामों की वापसी की तिथि में परिवर्तन की मांग

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, ऐसा है कि कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड के सदस्यों का जो निर्वाचन होना था उसमें नाम वापसी की तिथि ३ बजे तक थी, लेकिन सचेतक लोग इस प्रयास में हैं कि यह चुनाव निर्विवाद हो जाय। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि नाम वापसी का समय कल १–४–६७ को ५ बजे तक बढ़ा दिया जाय और चुनाव यदि आवश्यक हो तो १–४–६७ के बाद जब आप निश्चित कर दें तब रहें।

श्री अध्यक्ष—

यह बात जिस तरह से आपने उठाई मैं औचित्य नहीं समझ सका। दरअसल जो नियम बने हैं उनका पालन होता है। एक नियम यह है कि अगर सारा सदन चाहे तो नियम निलम्बित किये जा सकते हैं और कोई निश्चय लिया जा सकता है। अच्छा होता, अगर आप अपने दल के नेता और नेता सदन से परामर्श कर लेते। और अगर कर लिया है तो.....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

परामर्श कर लिया है और उधर से भी बात हो गई है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता सदन से पूछना चाहूंगा कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

नियम का निलम्बन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नियम का निलम्बन हो ही जायेगा। यह समय बढ़ाकर १–४–६७ को सायंकाल चार बजे तक हो जायेगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जब चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो जाय, तो उसको स्थगित करना कोई बड़ी अच्छी परम्परा नहीं है। विभिन्न दलों के माननीय सचेतक महोदय अगर इसमें जागरूक रहें तो कदाचित ऐसी स्थिति भविष्य में न आये। इलेक्शन का समय वही रहा। मतैक्य हो गया तो कोई बात नहीं, अन्यथा ३ तारीख को होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस चुनाव के लिये १२ तक का समय निश्चित था....

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि आपने सुझाव दिया, निर्वाचन तीन तारीख को १२ बजे से चार बजे तक का हो जाय।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मेरे पास जो काम रोको प्रस्ताव आये हैं उनके विषय में मैं बतला दूं। एक माननीय अश्विनी कुमार चतुर्वेदी का कामरोको प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी नेता जो बन्द हैं उसके विषय में है। इसलिये इसको मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं है क्योंकि वह काफी समय से बन्द हैं। प्रश्नों द्वारा इसका समाधान हो सकता है और उधर न्यायालय में भी विचाराधीन है। फिर भी मैं मुख्य मन्त्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)---

इससे पहिले कि आप इसे माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेजें मैं इस सिलसिले में.....

श्री अध्यक्ष-

आपको परम्पराओं का आदर करना पड़ेगा।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

मैं परम्पराओं का आदर करता हूं परन्तु जो विद्यार्थी पांच महीने से जेल में बन्द पड़ा हो उसके लिये मुझे कुछ निवेदन कर लेने दें। श्रीमन्, वैसे आप कहते हैं तो मैं बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्ष---

माननीय चतुर्वेदी जी, मैं एक बात बताऊं। अगर आप उस विद्यार्थी की सहायता करना चाहते हैं तो मैंने उसी कार्यवाही के लिये माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया है। यहां पर बड़े से बड़ा दायरा और लक्ष्य है नियमों की गरिमा का।

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों की परीक्षा समय से पूर्व करने तथा फार्म उपलब्ध न हो सकने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५१ के जो प्रस्ताव आये हैं, उनमें से मैंने एक को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है ---"इस वर्ष प्रदेश के मेडिकल कालिजों की प्रवेश परीक्षा संचालन का कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया गया है। जिसने इस परीक्षा के प्रबन्ध हेतु उप-कुलपति के संयोजकत्व में एक उप समिति गठित कर दी। इस उप समिति ने इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा का समय जून मास के स्थान पर मई कर दिया है तथा प्रवेश फार्म भेजने की अंतिम तिथि ३० अप्रैल के स्थान पर ३१ मार्च कर दी है। इस समय प्रदेश भर के छात्र अपनी परीक्षाओं में व्यस्त हैं। उनके लिये प्रवेश फार्म भरने में भारी कठिनाई आ रही है। प्रवेश परीक्षा के बारे में विज्ञापन दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी ऐसे समाचार पत्र में नहीं दिया गया जिसकी कि व्यापक बिक्री हो, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी जिलों के अधिकांश प्रवेशार्थी इसके बारे में अज्ञान में हैं।

प्रवेश फार्म विभिन्न मेडिकल कालेजों को नहीं भेजे गये तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फार्म सुगमतापूर्वक उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कारणों से मेडिकल कालिजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों तथा उनके संरक्षकों में व्यापक असन्तोष एवं रोष है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं संबंधित मंत्री जी से नियम ५१ के अन्तर्गत एक वक्तव्य देने की मांग करता हूं।"

यह श्री वीरेश्वर त्यागी जी का है। इसे मैंने स्वीकार किया है। मैं यह चाहूंगा कि यदि माननीय मंत्री जी के पास सूचना हो तो वे अभी दे दें।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में तीन रोज हुये मेरा ध्यान पहले माननीय शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने खींचा था और उस बात की जानकारी के बाद मैंने उस विषय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे विश्वविद्यालय से कहें कि वे अर्जी प्राप्त करने की तिथि को बढ़ायें और इम्तहान में बैठने की जो तिथि रखी गयी है उसको भी बढ़ा दें। विश्वविद्यालय एक अटोनामस संस्था है और उसको इम्तहान लेने का जो अधिकार दिया गया है वह एक समझौते द्वारा दिया गया है। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और वह समिति जिसका कि गठन किया गया है विश्वविद्यालय की ओर से, वह मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे। मैंने सुझाव दिया है कि अर्जी देने की तारीख २०–२१ अप्रैल तक रख दी जाय और उसके उपरान्त सुभीते से इम्तहान लेने की तारीख रखी जाय तथा फार्म्स आदि भी सुगमता से हर स्थान पर काफी मात्रा में उपलब्ध रहें जिससे कि विद्यार्थियों को इम्तहान में बैठने में कोई दिक्कत न हो, वे सुगमता से फार्म भर सकें और परीक्षा में बैठ सकें।

श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)—

जैसा मैंने लिखित सूचना में कहा है, इस परीक्षा के विषय में कोई सूचना ऐसे अखबारों में नहीं छपी जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जाते हों।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सूचना दी है, उसके बाद वह कठिनाई नहीं रहेगी।

श्री वीरेश्वर त्यागी—

आज आखिरी तारीख है। जो दिक्कत आज की तारीख में होगी वही ८ तारीख को रखने में भी होगी। मैं चाहता हूं कि वही कार्यक्रम रखा जाय जो पहले रखा जाता था। अप्रैल के आखिर में फार्म भरने की तारीख हो और जून के आखिर में परीक्षा हो।

श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कौन सी तारीख का सुझाव दिया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने निवेदन किया कि यहां से २०–२१ तारीख के लिये सुझाव दिया गया है और अगर वे और आगे भी बढ़ा सकें तो वह सुझाव भी भेजा जा सकता है। लेकिन अपनी सुविधा आदि के अनुसार किस तरह से इम्तहान लिया जाय, किस तरह से रिजल्ट निकाला जाय, यह सब उनकी योजना के अनुसार ही होगा। जो असुबिधा पश्चिमी जिले के विद्यार्थियों को हुई उसके लिये मुझे दुःख है और मुझे आशा है कि जो नये सुझाव उनके पास भेज दिये गये हैं उनके अनुसार वह असुविधा भी दूर हो जायगी।

श्री वीरेश्वर त्यागी—

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सा समाचार पत्र है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के विद्यार्थियों को सूचना दी गयी थी ।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ध्यान आकर्षित करने वाले प्रश्नों के जरिये आपने यह प्रश्न उठा कर जनता की बड़ी सेवा की है और माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि अविलम्बनीय सूचना मंगा कर उसकी व्यवस्था भी कर दी। अब २०–२१ तारीख कर दी गयी है, अब यह कोई प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। आपके प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विस्तार से जवाब दे दिया और आपके सुझाव को मान लिया और जो असुविधा हुई उसके लिये खेद प्रकट कर दिया । अब यह पूछना कि कौन से अखबार में दिया गया था या नहीं दिया गया था, उचित नहीं है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, इन्टरमिडियेट की परीक्षाएं हो रही हैं और वे १९ तारीख तक होंगी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि २०–२१ तारीख रखी गयी है। उससे भी विद्यार्थियों को उतनी ही असुविधा होगी। जो इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं, वे उनका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिये जो पुरानी तारीखें थीं वही रखी जायं तो मुनासिब होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह भी बताया कि वह आगे भी बढ़ाने के लिये तैयार हैं, उसके लिये भी कह रहे हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तिथियों का परिवर्तन क्यों किया गया और पिछले वर्षों में क्या तिथियां रहती थीं ?

श्री अध्यक्ष—

जो वक्तव्य आया, उसमें कारण आ गये और स्थिति स्पष्ट हो गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

लेकिन परिवर्तन के कारण नहीं ज्ञात हुये।

श्री अध्यक्ष—

मैं अब इजाजत इसलिये नहीं दूंगा क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने बता दिया कि यूनिवर्सिटी को अधिकार देने के बाद वहां से कार्यक्रम घोषित किया गया और जो उसमें असुविधाओं की सूचना आई उसमें उन्होंने हस्तक्षेप कर के आग्रह किया और बात मान ली है तो अब वह चीज समाप्त हो जाती है।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नियम ५१ दिया था और उसमें यह था कि कल १ अप्रैल को दस हजार कर्मचारी छटनी हो जायंगे . .

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि नियम में एक ही विषय लिया जा सकता है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

आप मंत्री जी से आग्रह कर सकते हैं, नियमतः आपके लिये यह सम्भव है, मेरा आग्रह है कि आप इस को भी ले लें ....

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम ५१ में केवल एक ही प्रश्न ले सकता हूं, उससे हम बंधे हैं और उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। मैंने इसमें कारण भी विस्तार से लिख दिये हैं; आप बातचीत कर ल और आप अल्पसूचित प्रश्न दे सकते हैं।

श्री भुवनेश भूषण (जिला इटावा)—

श्रीमन्, एक मेरी सूचना थी जिसके कारण दस हजार कर्मचारी बेकार हो जायंगे ..

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी बताया कि मैं भी नियमों से बंधा हूं और एक ही प्रश्न एक दिन में लिया जा सकता है। यों तो जितने भी प्रश्न आते हैं वह सरकार के पास सूचना के लिये भेज देते हैं और विशेषरूप से जो चर्चा होनी होती है वह हो जाती है। ध्यान आकृष्ट हो जाता है और आप प्रश्न दे सकते हैं।

श्री भुवनेश भूषण—

आपने मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया होगा, वह जानकारी दे दें तो अच्छा है। दस हजार आदमी कल से बेकार हो जायेंगे और अगर वह उचित समझेंगे तो अवश्य समय से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, आप तो सदन के पुराने सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि एक से अधिक नियम ५१ के प्रश्न न लिये गये हों। आवश्यकता को देखते हुए वक्तव्य दिलाये गये हैं। आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कल सुबह ही दस हजार कर्मचारी बेरोजी हो जायंगे.....

श्री अध्यक्ष—

बहुत से विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन केवल महत्वपूर्ण होना ही ग्राह्यता के लिये आवश्यक नहीं है। मैंने जो अपने आदेश लिखे हैं उसमें पूरे कालम में १ से ५ तक कारण दे दिये हैं। वह आप देख लें। बाकी आपने मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस तरह से आकृष्ट कर ही दिया है।

अब २-१ सूचनायें मुझे देना है।

श्री प्यारेलाल—

श्रीमन्, एक सूचना मैंने भी दी थी ...

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में तो मेरे पास १-२-१०-२० कितनी भी सूचनायें आ सकती हैं लेकिन नियमों में प्राविधान है कि केवल एक सूचना ही एक दिन में स्वीकार हो सकती है और वह मैं स्वीकार कर चुका हूं, उस पर वक्तव्य भी आ चुका है और उसका जो लक्ष्य था वह भी पूरा

[श्री अध्यक्ष]

हो गया, वाद-विवाद भी समाप्त हो गया, अब उसके बाद में और अनुमति नहीं दे सकता कि एक एक विषय पर माननीय सदस्य खड़े हों।

श्री प्यारेलाल—

इस तरह का विषय तो सम्बन्धित मंत्री के पास कार्यवाही के लिये अवश्य भेजना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे पुनः विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूं कि आप सही परम्पराओं के सृजन में मेरी सहायता करें। इतना हो सकता है कि आपकी निगाह में वह अधिक महत्वपूर्ण हो लेकिन उसकी अविलम्बनीयता और कितनी कम्पैरेटिव महत्व का है, यह भी देखना पड़ता है। यदि आपको शंका रहे तो आप मुझसे व्यक्तिगत बात चीत कर लें ताकि आपको भविष्य में इस प्रकार की कठिनाई न हो।

अधिष्ठाता मण्डल के नाम निर्देशित सदस्य

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। अधिष्ठाता मण्डल में २ नाम, माननीय हरीशकुमार गंगवार और माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट और जोड़ दिए गए हैं।

उपनेता, संयुक्त विधायक दल के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक और सूचना आई है नेता विरोधी दल, माननीय रामचन्द्र विकल जी से और वह यह है कि संयुक्त विरोधी दल के उपनेता, श्री गंगा राम तलवार निश्चित हुए हैं।

मुख्य मंत्री द्वारा कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद आज जो माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद तथा माननीय भुवनेशभूषण शर्मा ने माननीय चन्द्रभानु गुप्त तथा माननीय नवल किशोर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है, उनका कहना है कि जो पत्र उनकी ओर से मुझे प्राप्त हुआ अथवा जो स्थिति स्वयं उन्होंने मुझे बताई उससे आदरणीय सदन एवं उसके माननीय सदस्यों के अधिकारों पर अवांछनीय हमला है, उन्होंने गलत बयानी की है, सदस्यों के वक्तव्यों को तोड़ा मरोड़ा है और उनके सदन के कार्य में बाधा डालने के लिए भय पहुंचाया है।

मैंने उस पर अपना निर्णय देने से पहले यह उचित समझा कि मैं माननीय टम्बेम्वर प्रसाद से यह जानकारी करूं कि इससे किस विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, किन सदस्यों के वक्तव्यों को तोड़ा मरोड़ा गया तथा किन सदस्यों को भय दिखला कर उनके सदन के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद के स्पष्टीकरण के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किस विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। माननीय टम्बेम्वर प्रसाद यह भी नहीं बता सके कि किन सदस्यों के किन वक्तव्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है तथा किस प्रकार उनके सदन के कार्य में बाधा डाली गई। उन्होंने स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने कोई नाम नहीं दिए हैं, अतः यह बताने में असमर्थ हैं। इससे यह प्रत्यक्ष है कि श्री टम्बेम्वर प्रसाद तथा भुवनेशभूषण शर्मा की सूचना आशंका पर निर्धारित है। दूसरी बात यह भी उल्लेखनीय है कि नेता सदन और नेता विरोधी दल ने अपनी-अपनी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही मुझे

सूचित किया है जब तक निर्विवाद रूप में यह सिद्ध न हो सके कि उन्होंने जानबूझकर सदन को भ्रम में डालन के लिए मुझे कोई गलत सूचना दी है, कोई गलतबयानी का प्रश्न नहीं उठता।

जैसा मैंने कल सदन के समक्ष सूचित किया था जो पत्र मुझे नेता सदन द्वारा श्री नवल किशोर के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ है, उसमें केवल यह कहा है कि उनके कांग्रेस दल में चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या १९८ थी जिसमें एक की मत्यु हो गई, तथा एक मनोनीत सदस्य ने कांग्रेस दल में शामिल होने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त ३० सदस्यों का समर्थन उन्हें प्राप्त है, जिसमें से २४ ने उनको लिखकर आश्वस्त किया है और ६ ने मौखिक रूप से।

इस परिस्थिति में मैंने स्वयं कल स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए दोनों दलों के माननीय नेताओं से अपने-अपने दल के सदस्यों की सूची उनके हस्ताक्षरों सहित मांगी है, चूंकि किसी भी दल ने सदस्यों की सूची मेरे पास नहीं भेजी थी। उस सूची के प्राप्त होने के उपरान्त ही मुझे दलों की स्पष्ट स्थिति का पता चल सकगा।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे प्रयोजन के लिए विभिन्न दलों की सदस्य संख्या केवल इस लिये जानना आवश्यक है कि मैं दलों को मान्यता देते समय एवं उनके आसनों तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करते समय उसको ध्यान में रखूं। इससे अधिक इस जानकारी का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। सदन में जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं, उन पर जो भी निर्णय सदन लता है, वह माननीय सदस्यों के मत स्वातन्त्रय पर आधारित होता है, उसको किसी भी दल का निर्णय नहीं अपितु सदन का निर्णय माना जाता है. जो उस विषय पर अन्तिम और सर्वमान्य होता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह स्पष्ट मत है कि प्राग-दर्शन (प्राइमा फेसी) में इस सूचना में किसी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न निहित नहीं प्रतीत होता। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद द्वारा नियम ३०१ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद ने नियम ३०१ के अन्तर्गत मेरे पास भेजी है उसके आधार भूत प्रश्न यही हैं। उसमें मेरा निर्णय इस प्रकार है .....

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

आप कृपया उस को पढ़ दें। सूचना दूसरे प्रकार की है बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष—

मैं बताना चाहता हूं कि यों पढ़ना आवश्यक नहीं है जब तक मैं इजाजत न दूं।

माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद ने नियम ३०१ के अन्तर्गत यही जो अभी विशेषाधिकार में प्रश्न उठाए थे इनके विषय में मुझसे यह पूछना चाहत ह।

(१) उत्तर प्रदेश कांग्रेस की विधान सभा दल में सदस्य संख्या केवल १९७ है।

(२) दूसरे आप ने लिखा है माननीय चन्द्रभानु गुप्त केवल कांग्रेस दल के ही नेता चुने गए हैं।

(३) यह कि श्री गुप्त को अन्य लोगों की ओर से लिख कर देने का कोई अधिकार नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

(४) यह कि मौखिक सूचना विधान सभा में दलों का आधार नहीं बन सकती है।

(५) यह कि राज्यपाल को चुने हुए सदस्यों की ओर से कोई राजनैतिक मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं है।

(६) यह कि संयुक्त विधायक दल की संख्या सदन में १९७ से अधिक है। इस प्रकार इन्होंने लिखा है।

मेरे पास एक सूचना माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद तथा माननीय भुवनेशभूषण शर्मा द्वारा नियम ३०१ के अन्तर्गत भेजी गई है.....

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

उसमें मैंने जो रिक्वेस्ट की, वही आपने छोड़ दी।

श्री अध्यक्ष—

जिसके द्वारा ऐसे प्रश्न को उठाने की अनुमति मांगी है जो औचित्य का विषय न हो। वह विषय इसी विशेषाधिकार के प्रश्न में निहित है इसलिए मैं उन्हीं आधारों तथा तथ्यों पर जिनको मैंने अभी अपने निर्णय में स्पष्ट किया था यह आवश्यक नहीं समझता कि इस की अनुमति दूं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मेरा एक निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष—

कौन से नियम में निवेदन करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

व्यवस्था के प्रश्न का निवेदन कर सकता हूं। आपने व्यवस्था ३०१ पर दे दी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो तथ्य आपके सामने आए हैं क्या आप उपयुक्त समझते हैं कि श्री चन्द्रभानु गुप्त को नेता सदन के रूप में इस सदन में पुकारा जाय। मेरा निवेदन यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे इसमें सन्देह होता तो मैं आप को अनुमति दे देता।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

आपके सन्देह का सवाल नहीं है। कभी उनको नेता सदन के रूप में चुना नहीं गया। तथा नेता चुनते समय सदस्य संख्या १९८ थी कांग्रेस की और यहां जो दूसरा दल बैठा है उसकी सदस्य संख्या १९८ से अधिक है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न की जब अनुमति नहीं दी तो स्पष्ट है कि उसका औचित्य नहीं माना गया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, विधान मंडल के इस अधिवेशन को आहूत करके और अपना सम्बोधन दे कर और उसके सन्दर्भ में माननीय गोविन्द सहाय तथा श्री केशवदेव हरियाना और दूसरे सदस्यों के भाषण सुनने का जो लाभ श्री राज्यपाल जी ने हम सबको प्रदान किया है उसके लिए मैं उनका बहुत ही अनुगृहीत हूं। लेकिन माननीय राज्यपाल ने अपने सम्भाषण में कांग्रेस सरकार

की मूलभूत नीतियों की चर्चा करते हुए उन पर अपना विचार प्रकट करते हुए उनकी कुछ आधार-भूत बातों को छोड़ दिया है और इसी लिये मुझे खेद है कि उन्होंने कई मुख्य बातों की, विषयों की चर्चा उसमें नहीं की है जो प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक थीं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी ने प्रारम्भ में ही चतुर्थ महा निर्वाचन होने के कारण प्रजातन्त्र के ऊपर जो आस्था प्रकट की थी वह स्वाभाविक थी लेकिन मान्यवर, आगे चल कर उन्होंने अपनी इस आस्था को निर्मूल साबित किया है। उन्होंने प्रदेश की ५ नगरमहापालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की बल्कि वहां पर जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उनकी कार्य-प्रणाली की बड़ी प्रशंसा की है। यह कहा गया है कि इन प्रशासकों के कार्यकाल में वहां का प्रशासन और वित्तीय स्थिति सुधरी है। मान्यवर, वित्तीय स्थिति सुधरने का कोई और कारण नहीं था, केवल एक कारण था कि वहां जमीनों की कीमत बढ़ गयी और जो जमीन मध्यम श्रेणी के लोगों को सस्ते दामों पर दी जाती थी वह जमीन बढ़े हुए दामों पर दी गयी और उसी के सहारे वित्तीय स्थिति सुधारने की चेष्टा की गयी है। उनके लिए स्वाभाविक था कि वे सरकार की ओर से इस बात की घोषणा करते कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों का चुनाव इसी वर्ष होने वाला है उसी तरह से इन नगर महापालिकाओं का चुनाव भी इसी वर्ष में होगा।

महामहिम राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण होगा। अगर ऐसा होता तो मुझे प्रसन्नता होती लेकिन मुझे विश्वास है कि भविष्य में यह होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि कानपुर ऐसे औद्योगिक नगर में लगभग ७ हजार मजदूर दो कारखानों के बन्द होने की वजह से बेकार पड़े हुए हैं। उन कारखानों के मजदूरों की हालत ऐसी दयनीय हो गयी है कि जिनके बारे में मैं आप से क्या कहूं? मिल मालिकों ने एक साल से प्ले आफ कर दिया है जिसका उनको पैसा नहीं मिलता है और वे बेचारे जगह-जगह रिक्शा चला कर या साग सब्जी बेच कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर वह चाहती है कि उन मजदूर परिवारों का सही ढंग से भरणपोषण हो और मजदूरों की जिन्दगी जो खतरे में है उससे उनको बचाया जाय तो वर्तमान श्रम कानूनों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आजकल श्रम कानून के अनुसार प्ले आफ होने पर सरकार पैसा दिलाती है लेकिन जब उद्योगपति अपने कारखाने को बन्द कर देते हैं तो सरकार कहती है कि ऐसे मामलों को आपको न्यायालय में ले जाना चाहिए। तो आप देखें कि एक तरफ तो मजदूर डेढ़-डेढ़ साल से बेकार पड़े हुए हैं, उनके खाने पीने के लिए, उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए कोई उचित साधन नहीं है और दूसरी तरफ उनको प्ले आफ का पैसा भी नहीं मिलता है।

श्रम विभाग द्वारा उनके लिए बहुत सी कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं। श्रम विभाग की तरफ से जो आवास मिले हुए हैं और जिनमें मजदूर रहते हैं, चूंकि उनको वेतन मिलता नहीं है इसलिए स्वाभाविक है कि वे किराया नहीं दे सकते। उन मजदूरों को जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा है और साथ ही उनके क्वाटरों के बिजली व पानी के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं ताकि मजदूर कानपुर छोड़ कर कहीं बाहर चले जायं जिससे उद्योगपतियों को ग्रेच्युटी व कम्पेन-सेशन न देना पड़े। तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कानपुर माहेश्वरी जट मिल और लक्ष्मी काटन मिल को चालू करावें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो प्रदेश के औद्योगीकरण की बात उसकी गलत साबित होगी।

इस समय माननीय खाद्य मन्त्री और माननीय गोविन्द सहाय जी नहीं हैं। माननीय गोविन्द सहाय ने अपने भाषण में इस बात की चर्चा की कि हमारा मनी व मनी मार्केट पर कोई कब्जा नहीं है लेकिन मैं आपके द्वारा उनको बतला दूं कि मनी मेन (पूंजीपतियों) का सरकार के ऊपर कब्जा है। अगर उनको इसमें किसी तरह का सन्देह हो तो मैं सदन की जानकारी के लिए बतला दूं कि हमारे नए खाद्य मन्त्री जो किसानों के पुराने सेवक हैं अब बिल विभाग से मिल मालिकों के पक्ष की बात करने लगे हैं। वे माननीय मुख्य मन्त्री के साथ दिल्ली जाते हैं

[श्री भगवती सिंह विशारद]

और वहां जाकर यह कह आते हैं कि चीनी मिल मालिकों की हालत बहुत खराब है। वे चीनी मिल मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कहते हैं कि शक्कर पर से कन्ट्रोल उठा लेना चाहिए। शकर का मूल्य बढ़ा दिया जाना चाहिए। जब वे इस तरफ बैठते थे तो वह गन्ने के उत्पादकों के लिए व्यापक आन्दोलन करते थे, जेल जाते थे लेकिन जैसे ही उधर जा कर बैठे, दिमाग पलट गया। अब कहने लगे हैं कि ५ रुपए मन में लोग गन्ना खरीदते हैं इसलिए उद्योगपतियों को गन्ना नहीं मिलता है। इसलिए चीनी के दाम बढ़ा दिए जाने चाहिए। सरकार के ऊपर पूंजीपतियों का पंजा जमा हुआ है उस पंजे को हटाने में वह मेरी सहायता करेंगे और मैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार हूं।

अलाभकर जोतों के लिए बड़े उपाय किए गए। पहले चकबन्दी का सहारा लिया गया लेकिन उससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाद में सहकारी खेती का नारा लगाया गया लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि जन मानस उसके पक्ष में नहीं है इसलिए वह नारा भी बन्द कर दिया गया। अलाभकर जोतों के किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। अगर सुधार करना है तो फिर एक ही उपाय है कि इन किसानों पर से भू-राजस्व कर माफ किया जाय और उनको ऐसे साधन उपलब्ध किए जायं जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अन्न के उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकें।

आज कल किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उसके सम्बन्ध में उनकी हैसियत आंकी जाती है। अगर किसी किसान की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह अपने खेत में कुआं बनवा सके तो उसको किसी तरह से कर्ज नहीं मिलता जब कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उद्योग विभाग में किसी भी पूंजीपति को कर्ज देने के लिए उसकी हैसियत नहीं आंकी जाती है बल्कि उसके जमानतगीरों के आधार पर कर्ज दे दिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जो किसान के लिए कर्ज देने की व्यवस्था है उसमें सुधार करे और उसके साथ ही जो भूमि सुधार सम्बन्धी कानून लागू हैं उनमें कुछ इस तरह का परिवर्तन करे जिससे कि यहां के अलाभकर जोतों वाले किसानों को कुछ राहत और लाभ पहुंच सके।

यहां जो श्रम कानून बने हैं वह ऐसे लचीले हैं कि उनके सहारे पूंजीपतियों पर किसी तरह से कोई कड़ाई नहीं की जा सकती, न दण्ड दिया जा सकता है और अगर कोई श्रमिक हड़ताल करता है तो उनकी हड़ताल गैर कानूनी घोषित कर दी जाती है। श्रमिकों के लिए जेलों के दरवाजे खोले जाते हैं। लेकिन अगर कोई कारखानेदार कारखाना बन्द कर लाक आउट कर देता है तो उसके खिलाफ यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। इस प्रदेश की बेकारी को दूर करने के लिए यहां यह आवश्यक है कि नए-नए कल कारखाने खुलवाने के लिए व्यवस्था हो, वहां बन्द कारखाने खुलवाये जायं। ग्रामीण क्षेत्र में जो बेकारी है उसे दूर करने के लिए खादी तथा ग्राम उद्योग के कामों को बढ़ाया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो बेकार ग्रामीण और खेतिहर मजदूर हैं उनके भरण पोषण की समस्या हल नहीं हो सकेगी और उनके लिए अत्यधिक कठिनाइयां पैदा हो जायंगी।

इस आदरणीय सदन की बैठक के पहले हमारे प्रदेश के शिक्षकों की ओर से आन्दोलन चलाया जा रहा था। उनकी ओर से इस बात की मांग की गयी थी समान सेवा और समान वेतन का व्यवहार उनके साथ लागू किया जाय लेकिन मुझे खेद है कि राज्यपाल ने स्वयं अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया है। इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षकों के सम्बन्ध में समान सेवा और समान वेतन होने चाहिए और उनकी सेवाओं में सुधार होना चाहिए। अगर हम इस देश में अच्छे नागरिक पैदा करना चाहते हैं और यह चाहते ह कि इस देश में प्रजातन्त्र फले-फूले तो हमको बुनियादी जगहों पर सुधार करना होगा जहां से अच्छे नागरिक बन कर निकलते हैं और यह तभी

सम्भव है जब इन संस्थाओं में काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनकी हालत भी सुधारी जाय। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इन मुख्य समस्याओं पर ध्यान दे तभी प्रदेश की भलाई हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त।

*श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष---

मैं जिन लोगों को बुलाऊं उनसे आभार की आशा करता हूं और जिनको न बुला सकूं उनसे नाराजगी की।

श्री महरमसिंह---

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय कृष्णानन्द राय ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। कल से मैंने बहुत से सदस्यों के विचार सुने। कानपुर के माननीय सदस्य बाबू बदरे साहब कल बोल रहे थे और यह कह रहे थे कि कांग्रेस ने चुनाव में साम्प्रदायिकता का ऐसा रूप अपनाया जो शायद किसी दल ने नहीं अपनाया होगा। आज हमारे एक मित्र श्री हरिश्चन्द्र सिंह जी कांग्रेस को पूंजीपतियों की सरकार बता कर बड़े गुस्से में आ गए थे। बहुत से सदस्यों ने विभिन्न रायें जाहिर कीं। मैं अपने उन साथियों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि शायद उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि आम चुनाव में गो-हत्या के नाम पर चुनाव लड़ा गया....

श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा कि गो-हत्या के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो जरा इसे स्पष्ट कर दें कि उनका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने जो इतनी शाब्दिक बात कही, मतलब उसका सभी समझते हैं।

श्री महरमसिंह---

माननीय सदस्य शायद समझे नहीं। कांग्रेस पर गोहत्या का आरोप लगा कर चुनाव लड़ा गया। यहां तक कि 'मुस्लिम-हरिजन भाई-भाई, हिन्दू जाति कहां से आयी' इस तरह के नारे विरोधी पार्टियों की ओर से लगाई गये। मैं किसी का नाम लेना पसन्द नहीं करता विरोधी पार्टियों की ओर से जातिवाद का भी प्रचार करके चुनाव लड़े गए। सम्भवतः कांग्रेस ने इस तरह की बहुत कम बातें की होंगी मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने इस सिद्धांत को कहीं पर अपनाया हो वैसे कहीं पर कोई गलती भी हो सकती हैं लेकिन इस सिद्धांत को लेकर कांग्रेस ने कहीं पर चुनाव नहीं लड़ा। अपने उन मित्रों से यह भी कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने देश में चुनाव कराया सम्भवतः कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सत्तारूढ़ होती एसी परिस्थिति में चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होती।

राज्यपाल के अभिभाषण पर सुझाव देना उनका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। इसलिए जो सुझाव उन्होंने दिए हैं और जो सरकार के साधनों के हिसाब से पूरे किए जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महरम सिंह]

सकते हैं, मैं आपके माध्यम से उन सुझावों को पूरा करने के लिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं दो सुझाव भी पेश करना चाहता हूं। एक तो यह कि भूमि भवन कर की बहुत चर्चा चली है, मैं भी यह समझता हूं कि इस कर से हमारे शहरी भाइयों को बहुत परेशानी हुई है और इसमें मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसके लिए तुरन्त एक कमीशन की नियुक्ति की जाय जो शहरी भाइयों की कठिनाइयों का सर्वे करे और उसकी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत हो जानी चाहिए। इसका हल निकालना निश्चित रूप से सरकार का कर्तव्य है।

महंगाई की भी बड़ी चर्चा की गई। इसके सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने अपने विचार नहीं प्रकट किये हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है। इस समय किसान के पास तीन महीने का समय है, अप्रैल, मई और जून। इसके बाद बरसात में कोई काम करना उसके लिए सम्भव नहीं होगा। आज किसान को ७० रुपया प्रति हजार के भाव पर ईंट मिलती है और सीमेंट में तो बड़ी भारी गड़बड़ी है। फिर वह किस तरह से कुयें बना सकता है। तकावी का यह हाल है कि किसानों की दरख्वास्तें ७–८ महीने तक ब्लाक तथा जिला नियोजन कार्यालय में पड़ी रहती हैं। किसानों को कन्ट्रोल रेट पर ईंट और सीमेंट मिलनी चाहिए। किसानों को तकावी के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। जो खेती के उत्पादन के लिए जरूरी चीजें हैं उनको कन्ट्रोल रेट पर किसानों को दिलाया जाय और उनके लिए कोटा एलाट कर दिया जाय। एक सुझाव में यह देना चाहता हूं कि गैर सरकारी व्यक्तियों की जिला लेविल पर एक कमेटी का गठन किया जाय। इसके सदस्य चाहे मनोनीत हों या और किसी जिससे किसानों की तकलीफ को दूर किया जा सके। इससे उत्पादन के बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने नलकूप लगाने के लिए तकावी देने की व्यवस्था की है। इसके लिए आदेश जारी किया है कि जिनके पास ५ एकड़ से जमीन कम है उनको यह तकावी नहीं दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिनके पास ५ एकड़ से जमीन कम है और सिंचाई के साधन नहीं हैं और दूसरे काश्तकारों की सामर्थ्य नहीं है तो यह प्रतिबन्ध लगाना कहां तक मुनासिब है? मैं चाहता हूं कि सरकार को इस प्रतिबन्ध को हटा लेना चाहिए और इस तरह से कर देना चाहिए कि आस-पास के किसान अगर अपनी सहमति प्रगट करें तो नलकूप लगा दिया जाय और किसी को तकावी देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल किसान लोग तकावी के लिए महीनों परेशान होते हैं इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को ऐसा आदेश जारी करना चाहिए जिससे उसके एप्लीकेशन देने के बाद एक निश्चित अवधि के अन्दर काश्तकार को रुपया मिल जाना चाहिए। वैसे इस महंगाई का किस तरह से निराकरण हो सकेगा, मैं नहीं जानता कि देश और प्रदेश में आबादी बढ़ती रहेगी, रुपया बढ़ता रहेगा, लोगों का रहन-सहन का स्तर बढ़ता रहेगा, सूखा पड़ेगा और ओले पड़ेंगे। तो यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि इन परिस्थितियों में गल्ले की महंगाई हो सकती है। लेकिन उसको रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक शेष चीजों की महंगाई को भी रोकना है। किसान के सामने भी दिक्कत है। जिस समय गल्ला तेज होता है, उसी हिसाब से अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। प्रयास किया जाता है कि गल्ला सस्ता हो। अगर वह प्रयास सफल होता है तो शेष चीजों के दाम नहीं के वहीं के वहीं रहते हैं। जिसको किसानों की सुविधा के लिए सस्ता किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

*श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कोई बात इस प्रस्ताव के सिलसिले में कहूं एक बात कह देना चाहता हूं, उन कांग्रेस के साथियों से जिन्होंने तरह-तरह की दलीलें और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तकरीरें पेश की हैं कि हम क्या हैं और वह क्या हैं। उन सब साथियों से कहता हूं कि अगर हृदय से यह महसूस करो कि गंगा यमुना और त्रिवेणी का संगम इधर है जहां से उतर कर चलने वाली यह धारा का स्वरूप महान् मानवीय समुद्र में मिलता है तो हम से सहयोग करें। यदि आप लोग यह महसूस करो कि दूसरी ओर फटे बांस की बांसुरी है, हो सकता है कि बांस की फटन प्रतीत न हों, लेकिन बावजूद उसके आवाज फटी हुई जरूर रहती है, आज, कल और परसों तरह-तरह की दलीलें लोकतन्त्र और समाजवाद की बात को ले कर रखी गयी। लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्य सोचें कि आप का लोकतन्त्र कहां है? माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में सबसे पहले पृष्ठ पर लोकतन्त्रीय गणतन्त्रीय संविधान के प्रति आस्था प्रकट की गई है लेकिन वह लोकतन्त्र सारा का सारा अगर आप देखें .....

श्री अध्यक्ष—

जरा अपनी स्पीड को कम कर दें जिससे आप का भाषण लिखने में आसानी हो।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मुझे खुशी है कि हमारे विपक्षी बन्धुओं को बड़ा अच्छा लग रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। कल आप अपना भाषण जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊः
३१ मार्च, १९६७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४ एल० ए०—१९६७—८४६।